रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 1975/आषाढ़ 14, 1897

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1975/ASADHA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—*Section 3—Sub-section (i)*

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

NOTICE

G.S.R. 805.— The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 31st January, 1975

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
1	2	3	4
	सा०का०नि० 1 (अ), दिनांक, 1 जनवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में परिवर्तन के लिए विनिमय की दरें।
1.	G.S.R. 1 (E), dated the 1st January, 1975.	Ministry of Finance.	Dates of Exchange for Conversion of Foreign currency into Indian currency
	सा० का०नि० 2(अ), दिनांक 2 जनवरी, 1975	तदैव	नाइलोन स्टेपल फाइबर को उत्पाद शुल्क से जितना छ रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक है, छूट देती है।
2.	G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 1975.	Do.	Exempting Nylon staple fibres from the duty of excise leviable in excess of rupees six per Kg.
	सा०का०नि० 3 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 1975	निर्माण और आवास मंत्रालय	जल प्रदूषण की रोक थाम और नियन्त्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड (कारबार के सब व्यवहार की प्रक्रिया) नियम, 1975
3.	G.S.R. 3(E), dated 10th January, 1975.	Ministry of Works and Housing.	The Central Board for the Prevention and Control of water Pollution (Procedure for transaction of Business) Rules, 1975
	सा०का०नि० 4(अ), दिनांक 10 जनवरी, 1975	राज्य सभा सचिवालय	आवास तथा टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम 1975
4.	G.S.R. 4(E), dated the 10th January, 1975	Rajya Sabha Secretariat	Housing and Telephone facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1975.

1	2	3	4
	सा०का०नि० 5 (अ), दिनांक 10 जनवरी, 1975	लोक सभा सचिवालय	आवास तथा टैलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) संशोधन नियम, 1975
5.	G.S.R. 5(E), dated the 10th January, 1975.	Lok Sabha Secretariat.	Housing and Telephone facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1975.
6.	G.S.R. 6(E), dated the 14th January, 1975.	Ministry of Home Affairs.	Passport (Entry into India) Amendment Rules 1975.
	सा०का०नि० 7(अ), दिनांक, 14 जनवरी, 1975	गृह मंत्रालय	उपान्तरों सहित हरियाणा आवास बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का हरियाणा अधिनियम 20) जिसका चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है।
7.	G.S.R. 7(E), dated the 14th January, 1975.	Ministry of Home Affairs.	The Haryana Housing Board Act, 1971 (Haryana Act 20 of 1971) as extended to the Union Territory of Chandigarh with modifications.
	सा०का०नि० 8(अ), दिनांक 14 जनवरी, 1975	निर्माण और आवास मंत्रालय	सा०का०नि० 398 (अ) दिनांक, 21 सितम्बर, 1974 द्वारा गठित जल प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड का सदस्य नामित करती है तथा यह निदेश देती है कि उक्त अधिसूचना मे संशोधन किया जाए।
8.	G.S.R. 8(E), dated the 14th January, 1975.	Ministry of Works and Housing.	Amendment in G.S.R. 398 (E) dated the 21st September, 1974 regarding Constitution of Members to the Central Board for the Prevention and Control of Water Pollution.
	सा०का०नि० 9 (अ), दिनांक 14 जनवरी, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	अंतः क्षेत्रीय गेहूं उत्पाद संचलन नियंत्रण आदेश 1973 में संशोधन।
9.	G.S.R. 9(E), dated 14th January, 1975.	Ministry of Agri. & Irrigation.	Amendment in the Inter Zonal wheat and wheat Products (Movement Control) Order, 1973.
	सा०का०नि० 10 (अ), दिनांक, 17 जनवरी, 1975	तदैव	जनवरी और जुलाई से प्रारम्भ होने वाली किसी भी छः मास की अवधि के दौरान वनस्पति तेल जो सारणी में विनिर्दिष्ट है उसके उपयोग की सीमाएं विहित करना
10.	G.S.R. 10(E), dated the 17th January, 1975.	Do.	Limitation in the use of vegetable oils specified in the Table during any 6-months period from Jan. to July of each year.
11.	G.S.R. 11(E), dated the 18th January, 1975	Ministry of Home Affairs.	Areas described in the Schedule as notified areas where entry shall be in accordance with with the terms of a permit.
	सा०का०नि० 12 (अ), दिनांक 18 जनवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 (1974 का 52) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एम० ए० रंगास्वामी अपर सचिव भारत सरकार को प्रयोजनों के लिये सशक्त करती है।
12.	G. S. R. 12(E), dated the 18th January, 1975	Ministry of Finance.	Shri M. A. Rangaswamy Add. Secy. to the Govt. of India specially empowered by sub-section (1) of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974).
	सा०का०नि० 13(अ), दिनांक 20 जनवरी, 1975	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय	भारत रक्षा अधिनियम, 1971 नियम 114 के उप-नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उल्लिखित अधिकारी भी कर सकेंगे।
13.	G. S.R. 13 (E), dated 20th January, 1975	Ministry of Supply and Rehabilitation	Officers mentioned therein shall also exercise powers conferred upon by Sub-rule(2) of rule 114 of the Defence of India Rules ,1971.
	सा०का०नि० 14(अ), दिनांक 21 जनवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1975
14.	G.S.R. 14 (E), dated the 21st January, 1975	Ministry of Finance.	Central Excise (Third Amendment) Rules, 1975.
	सा०का०नि० 15(अ), दिनांक 21 जनवरी 1975	तदैव	उत्पाद-शुल्क योग्य माल को जो स्थानीय उपभोग के लिए हो हटाया जाना।
	G.S.R. 15(E), dated the 21st January, 1975	Do.	Removable of excisable goods for home Consumption.

1	2	3	4
	सा०का०नि० 16(अ), दिनांक 22 जनवरी, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	खाद्य नियम, (संशोधन नियम), 1975
15.	G.S.R. 16 (E), dated the 22nd January, 1975	Ministry of Agri. & Irrigation.	Food Corporations (Amendment) Rules, 1975.
	सा०का०नि० 17(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1975	मंत्रिमण्डल सचिवालय	अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एव-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) संशोधन नियम, 1975
16.	G.S.R. 17(E), dated the 24th January, 1975.	Cabinet Secretariat.	India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1975.
	सा०का०नि० 18(अ), दिनांक 24 जनवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	पोतो के साथ बार्जों को शर्तों के अध्यधीन उदग्रहणीय समस्त सीमा शुल्क और उदग्रहणीय सीमा-शुल्क के समस्त सहायता शुल्क से छूट देती है।
17.	G.S.R. 18(E), dated the 24th January, 1975.	Ministry of Finance.	Exempting barges along with ships from the whole of the duty of customs and auxiliary duty of customs subject to certain conditions.
	सा० का० नि० 19 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	आदेश के प्रथम अनुसूची के कालम (3) में उल्लिखित पटसन के वस्त्रो के किस्मों पर मूल्य निर्धारण
18.	G.S.R. 19(E), dated the 25th January, 1975.	Ministry of Commerce	Fixation of price of varieties of jute textiles mentioned in col. (3) of the first schedule of the order.
	सा०का०नि० 20(अ), दिनांक 28 जनवरी, 1975	मंत्रिमण्डल सचिवालय	अखिल भारतीय सेवा (मंहगाई भत्ता) संशोधन नियम, 1975.
19.	G.S.R. 20 (E), dated the 28th January, 1975.	Cabinet Secretariat.	All India Services (Dearness Allowance) Amendment Rules, 1975.
	सा० का० नि० 21(अ), दिनांक 29 जनवरी, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	चाय (संशोधन) नियम, 1975
20.	G.S.R. 21 (E), dated the 29th January, 1975.	Ministry of Commerce.	Tea (Amendment) Rules 1975.
	सा० का० नि० 22(अ), दिनांक 30 जनवरी, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	चावल (दक्षिणी जोन) संचलन नियत्रण (संशोधन) आदेश, 1975
21.	G.S.R. 22 (E), dated 30th January, 1975.	Ministry of Agri. & Irrigation.	Rice (Southern Zone) Movement Control (Amendment) Order 1975.
	सा० का० नि० 23 (अ), दिनांक 30 जनवरी, 1975	तदैव	दक्षिण राज्य (चावल निर्यात का विनियमन) संशोधन आदेश 1975
	G.S.R. 23 (E), dated 30th January, 1975.	Do.	Southern States (Regulation & Export of Rice) Amendment Order, 1975.
22.	G.S.R. 24 (E), dated the 31st January, 1975.	Ministry of Finance.	Central Civil Services (Revised Pay) Amendment Rules, 1975.
	सा० का० नि० 25 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	1 फरवरी, 1975 से महा पत्तन न्यास (संशोधन) अधिनियम 1974 (1974 का 29) का प्रवृत्त होना।
23.	G.S.R. 25 (E) dated the 1st February 1975	Ministry of Shipping & Transport	Appointing the 1st day of February as the date on which the Major Port Trusts (Amendment) Act, 1974 (29 of 1974) will come into force.
	सा० का० नि० 26(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	–तदैव–	1 फरवरी 1975 से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) का उपबन्ध मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महापत्तनों को लागू होंगे।
	G.S.R. 26 (E), dated the 1st February, 1975	—Ditto— Transport	1st day of February 1975 as the date on and from which the provision of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) applies to the Major Ports of Bombay, Calcutta and Madras.
	सा० का० नि० 27(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	–तदैव–	मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975
	G.S.R. 27 (E), dated the 1st February 1975	—Ditto—	Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Boar Meetings) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 28(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	–तदैव–	मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियो को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
	G.S.R. 28(E), dated 1st February, 1975	—Ditto—	Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 29(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	–तदैव–	मुम्बई पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975
	G.S.R. 29(E), dated 1st February, 1975	—Ditto—	Port of Bombay (Responsibility for goods) Regulations, 1975

1	2	3	4
	सा० का० नि० 30(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम 1975
	G.S.R. 30(E), dated the 1st February 1975	Ministry of Shipping and Transport	Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 31(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
	G.S.R. 31(E), dated the 1st February 1975	—Ditto—	Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 32(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	कलकत्ता पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975
	G.S.R. 32(E), dated 1st February 1975	—Ditto—	Port of Calcutta (Responsibility for goods) Regulations, 1975
	सा० का० नि० 33(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975
	G.S.R. 33 (E), dated the 1st February 1975	—Ditto—	Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 34(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्ता का संदाय) नियम, 1975
	G.S.R. 34(E), dated the 1st February 1975		Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 35(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	मद्रास पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975
	G.S.R. 35(E), dated the 1st February 1975.	—Ditto—	Port of Madras (Responsibility for goods) Regulations, 1975.
	सा० का० नि० 36(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	—तदैव—	एक हजार चार सौ रुपये की रकम को वेतन-मान (भत्तों को छोड़कर) को अधिकतम रकम के रूप में नियतिकरण ।
	G.S.R. 36(E), dated 1st February 1975	—Ditto—	Rs. One thousand and four hundred as the amount in the maximum of the pay scale (exclusive of allowances) for the purpose of the Major Port Trusts Act, 1963. (38 of 1963)
	सा० का० नि० 37(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा सचिवालय (निवास स्थान आवंटन) नियम, 1974
24.	G.S.R. 37(E), dated the 1st February 1975	Lok Sabha Secretariat	The Lok Sabha Secretariat (Allotment of Residences) Rules, 1974.
	सा० का० नि० 38(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 301, तारीख 22 फरवरी, 1971 में संशोधन ।
25.	G.S.R. 38(E), dated the 1st February 1975	Ministry of Agriculture and Irrigation	Amendments in the Notifications in the late Min. of Food, Agri. Com. Dev. and Cooperation (Dept. of Agri.)No. G.S.R. 301, dated the 27th Feb, 1971.
	सा० का० नि० 39(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	प्रथम अनुसूची की मद स० 1 की उपमद सं० (1) के अन्तर्गत आने वाली चीनी के लिए मूल्यानुसार शुल्क नियति करण ।
26.	G.S.R. 39(E), dated the 1st February 1975	Ministry of Finance	Fixing of a tariff valve for Sugar under Sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule.
	सा० का० नि० 40(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	संचार मंत्रालय	भारतीय डाकघर (प्रथम संशोधन) नियम, 1975
27.	G.S.R. 40 (E), dated the 1st February 1975	Ministry of Communication	Indian Post Office (First Amendment) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 41(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय	कम्पनी (कर्मचारियों की विशिष्टियां) नियम, 1975
28.	G.S.R. 41(E), dated the 1st February 1975	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 42(अ), दिनांक 3 फरवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 171/70 केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 21 नवम्बर, 1970 में संशोधन ।
29.	G.S.R. 42(E), dated the 3rd February 1975	Ministry of Finance	Further amendments in the notification in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue and Insurance) No. 171/70-Centre Excises, dated the 21st November, 1970.
30.	G.S.R. 43(E), dated the 3rd February 1975	Ministry of Law, Justice and Company Affairs.	Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 44(अ), दिनांक 5 फरवरी, 1975	कृषि और सिंचाई मंत्रालय	उर्वरक का साम्य-रूप से वितरण ।
31.	G.S.R. 44(E), dated the 5th February 1975	Ministry of Agri. & Irrigation	Equitable distribution of fertilizer.

1	2	3	4
	सा० का० नि० 45(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1975	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	खाद्य अपमिश्रण निवारण (द्वितीय संशोधन) नियम, 1974 के प्रारूप पर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के प्रयोजनार्थ तारीख को बढ़ोती।
32.	G.S.R. 45(E), dated the 6th Fe bruary 1975	Ministry of Health and Family Planning	Extension of date for the purpose of inviting objections or suggestions on the draft of the Prevention of Food Adulteration (Second Amendment) Rules, 1974.
	सा० का० नि० 46(अ), दिनांक 1 फरवरी, 1975	ऊर्जा मंत्रालय	कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975
33.	G.S.R. 46(E), dated the 12th February 1975	Ministry of Energy	Coal Mines (Conservation and Development) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 47(अ), दिनांक 12 फरवरी, 1975	लोक सभा सचिवालय	लोक-सभा सचिवालय (निवास-स्थान आवंटन) नियम, 1974 में संशोधन।
34.	G.S.R. 47(E), dated the 12th February 1975	Lok Sabha Secretariat	Corrigenda to G.S.R. 37(E), dated the 1st February, 1975.
	सा० का० नि० 48(अ), दिनांक 2 फरवरी, 1975	वित्त मंत्रालय	सारणी के स्तम्भ (3) मे विनिर्दिष्ट वस्तुओ को छूट।
35.	G.S.R. 48(E), dated the 12th February 1975	Ministry of Finance	Exemption to the articles specified in Col. (3) of the Table.
36.	G.S.R. 49(E), dated the 14th February 1975	—Ditto—	Corrigenda to G.S.R. 671(E), dated the 30th November, 1974.
37.	G.S.R. 50(E), dated the 14th February 1975	Ministry of Law Justice & Company Affairs.	Corrigenda to G.S.R. 701(E), dated the 27th December, 1974.
	सा० का० नि० 51(अ), दिनाक 19 फरवरी, 1975	विदेश मत्रालय	जी० एस० आर० 398(अ), दिनांक 30 अगस्त, 1972 में संशोधन।
38.	G.S.R. 51(E), dated the 19th February 1975	Ministry of External Affairs	Further amendments to G.S.R. 398(E), dated the 30th August, 1972
39.	G.S.R. 52(E), dated the 20th February 1975	Ministry of Law, Justice & Company Affairs	Application of Section 159 to Foreign Companies Rules, 1975.
40.	G.S.R. 53(E), dated the 20th February 1975	—Ditto—	Companies (Declaration of Beneficial Interest in Shares) Rules, 1975.
41.	G.S.R. 54(E), dated the 20th February 1975	Ministry of Agri. & Irrigation	Corrigendum to G.S.R. 16(E), dated the 22nd January,197 5.
	सा० का० नि० 55(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1975	वाणिज्य मंत्रालय	वस्त्र समिति (उपकर) नियम, 1975
42.	G.S.R. 55(E), dated the 25th February 1975	Ministry of Commerce	Textiles Committee (Cess) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 56(अ), दिनांक 26 फरवरी, 1975	गृह मत्रालय	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 39 और 40 को मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र मे लागू करना।
43.	G.S.R. 56(E), dated the 26th February 1975	Ministry of Home Affairs	Application of Sections 39 and 40 of the Code of Criminal Procedure 1973 (2 of 1974) in the Union territory of Mizoram.
	सा० का० नि० 57(अ), दिनाक 26 फरवरी, 1975,	—तदेव—	राष्ट्रपति निदेश देते है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 40 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियां, मिजोराम सघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा भी प्रयोग की जाएगी।
	G.S.R. 57(E), dated the 26th February 1975	—Ditto—	The President directs the Administrator of the Union territory of Mizoram to exercise powers of the State Govt. under clause (f) of sub-section (1) of Section 40 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).
	सा० का० नि० 58(अ), दिनाक 27 फरवरी, 1975	निर्माण और आवास मंत्रालय	जल (प्रदुषण का निवारण और नियत्रण) नियम, 1975
44.	G.S.R. 58(E), dated the 27th February 1975	Ministry of Works & Housing	Water (Prevention and Control Pollution) Rules, 1975.
	सा० का० नि० 59(अ), दिनांक 27 फरवरी, 1975	श्रम मंत्रालय	प्रसूति प्रसुविधा (खान) संशोधन नियम, 1975
45.	G.S.R. 59(E), dated the 27th February 1975.	Ministry of Labour	Maternity Benefit (Mines) Amendment Rules, 1975.
46.	G.S.R. 60(E), dated the 28th February 1975	Ministry of Finance	Central Civil Services (Revised Pay) Second Amendment Rules, 1975.
	सा० का० नि० 61(अ), दिनांक 28 फरवरी, 1975	विदेश मंत्रालय	संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 1 मार्च, 1975 से प्रवृत्त होगी।
47.	G.S.R. 61(E), dated the 28th February 1975	Ministry of External Affairs	The Constitution (Thirtyfifth Amendment) Act, 1974 shall come into force on the 1st day of March 1975.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1975

सा०का०नि० 807.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय (विधि-कार्य विभाग) मे मुकदमा कार्य सहायक (खर्च के बिल) भर्ती नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. इन नियमो का नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधि-कार्य विभाग, मुकदमा-कार्य सहायक (खर्च के बिल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि और न्याय मत्रालय, विधि-कार्य विभाग, मुकदमा-कार्य सहायक (खर्च के बिल) भर्ती नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 1 के उपनियम (1) में, "विधि और न्याय मत्रालय, विधि-कार्य विभाग," शब्दो के स्थान पर, "विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि-कार्य विभाग" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमो की अनुसूची में,

(1) स्तम्भ 2 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर शब्द, "नौ" रखा जाएगा,

(2) स्तम्भ 4 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

"425-15-500-द०रो०-15-560-20-700 रु०"

(3) स्तम्भ 6 और 7 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर शब्द "लागू नहीं होता" रखे जाएंगे,

(4) स्तम्भ 10 और 11 के अन्तर्गत विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

10.

"शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा,";

11.

"विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) में के ऐसे न्यायालय लिपिक की प्रोन्नति द्वारा जिसने उस श्रेणी मे कम से कम 5 वर्ष की अर्हक सेवा की हो।"

[फाइल सं० ए० 12018/2/74-प्रशा०1(एल०ए०)]

जी० सी० शारदा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 9th June, 1975

G.S.R. 807.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) Litigation Assistant (Bills of Costs) Recruitment Rules, 1971 namely :—

1. These rules may be called the Ministry of Law and Justice Department of Legal Affairs, Litigation Assistant (Bills of Costs) Recruitment (Amendment) Rules 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Offcial Gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 1 of the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, Litigation Assistant (Bills of Costs) Recruitment Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs" the words "Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs" shall be substituted.

3. In the Schedule to the said rules,

(i) for the existing entry under column 2, the word "Nine" shall be substituted.

(ii) for the existing entry under column 4, the following shall be substituted, namely :—
"Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700"

(iii) for the existing entries under columns 6 and 7, the words "Not applicable" shall be substituted,

(iv) for the existing entries under columns 10 and 11 the following entry shall respectively be substituted

10.

"100 per cent by promotion";

11.

"By promotion of Court Clerk in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) having rendered at least 5 years' qualifying service in that Grade".

[File No. A. 12018/2/74-Adm. I (LA)]

G. C. SHARDA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 1975

सा०का०नि० 808.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मत्रालय (विधि-कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1330, तारीख 29 सितम्बर, 1962, में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में "5. विदेश मंत्रालय," शीर्षक के अन्तर्गत, "विदेश में भारतीय मिशन का प्रधान," प्रविष्टि के स्थान पर, "विदेश में भारतीय मिशन का प्रधान और वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में मंत्री (आर्थिक)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

यह अधिसूचना 2 मई, 1975 से प्रभावी समझी जाएगी।

स्पष्टीकारक कथन

भारत के संघ की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी विदेशी राज्य या सयुक्त राष्ट्र संघ से किए गए सभी करार और संविदाएं राष्ट्रपति की ओर से निष्पादित की जाती है और विधि-कार्य विभाग, विधि मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1330, तारीख 29, सितम्बर, 1962 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा अधिप्रमाणित की जाती हैं। इस अधिसूचना की अनुसूची में अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ विदेश में भारतीय मिशन के प्रधान को, ऊपर वर्णित करारों और संविदाओं को निष्पादित और अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। "मिशन का प्रधान," पद में, राजदूत, उच्चायुक्त, दूतावास का भारसाधक मंत्री, कार्यदूत और कार्यकारी उच्चायुक्त सम्मिलित है।

2. 2 मई, 1975 को, वर्ष 1974-75 के लिए भारत को 4.5 करोड़ डालर की ऋण-राहत देने के लिए भारत के संघ और सयुक्त राज्य अमरीका के मध्य वाशिंगटन में एक करार हस्ताक्षरित किया गया था। हमारे राजदूत की अनुपस्थिति के कारण वाशिंगटन में भारत के राजदूतावास में मंत्री (आर्थिक) ने 2 मई, 1975 को भारत की ओर से उस करार पर हस्ताक्षर किए। साथ ही वाशिंगटन मे हमारे राजदूतावास ने निवेदन किया कि उपर्युक्त पैरा 1 मे प्रतिनिर्दिष्ट अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1330 तारीख 29 सितम्बर, 1962 में उपयुक्त संशोधन किया जाए, ताकि वाशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में मंत्री (आर्थिक) को राष्ट्रपति की ओर से करार आदि निष्पादित करने के लिए

प्राधिकृत किया जा सके। चूंकि वाशिंगटन में हमारे राजदूतावास में मंत्री (आर्थिक) ने 2 मई, 1975 को, ऋण-राहत करार में हस्ताक्षर किया है। अतः संशोधन को 2 मई, 1975 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करना आवश्यक हो गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस भूतलक्षी प्रवर्तन से किसी के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं० फा० 17(1)/75-न्यायिक]

ए० पी० राय, संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 13th June, 1975

G.S.R. 808.—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G. S. R. 1330 dated the 29th September, 1962, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the heading "V. Ministry of External Affairs", for the entry "The Head of an Indian Mission in a foreign country" the entry "The Head of an India Mission in a foreign country and the Ministry (Economic) in the Indian Embassy in Washington" shall be substituted.

This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd of May, 1975.

EXPLANATORY STATEMENT

All agreements and contract made in the exercise of the executive power of the Union if India with the Government of any foreign State or with the United Nations organisation are to be executed on behalf of the President and authenticated by the persons specified in the Schedule to notification No. G. S. R. 1330 dated the 29th September, 1962 issued by the Department of Legal Affairs, Ministry of Law. The Schedule to the Notification authorises among others the Head of an Indian Mission in a foreign country to execute and authenticate the above mentioned contracts and agreements. The term, Head of Mission includes and Ambassador High Commissioner, Minister in charge of a Legation, charge d' Affairs and Acting High Commissioner.

2. On the 2nd May, 1975, an agreement was signed in Washington between Union of India and the USA providing for debt-relief to India for the year 1974-75 to the tune of $ 45 million. In the absence of our Ambassador, the Minister (Economic) in the Embassy of India in Washington signed the agreement on the 2nd May, 1975 on behalf of India. Simultaneously, our Embassy in Washington requested that suitable amendment be issued to notification No. G. S. R. 1330, dated the 29th September, 1962, referred to in para 1 above so as to authorise the Minister (Economic) in the India Embassy in Washington to execute agreements etc. on behalf of the President. Since the Minister (Economic) in our Embassy in Washington has signed the debt-relief agreement on the 2nd May, 1975, it has become necessary to give retrospective effect to the amendment from the 2nd May 1975. It is certified that the interest of one will be prejudicially affected by the retrospective operation.

[No. F. 17 (1)/75-Judl.]

A. P. ROY, Joint. Secy. and Legal Adviser

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जून, 1975

सा० का० नि० 809—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश प्रशासन के सचिव (विधि और न्यायिक) के पद की भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का नाम अरुणाचल प्रदेश प्रशासन (सचिव, विधि और न्यायिक) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो संलग्न अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं— वह व्यक्ति—(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. अपवाद—इन नियमों की किसी बात का, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षों और अन्य रियायतों पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

सचिव (विधि और न्यायिक) अरुणाचल प्रदेश के पद के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद है या अप्रवरण पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक व अन्य योग्यताएं।
1	2	3	4	5	6	7
सचिव (विधि और न्यायिक)	1	केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी।	900-50-1000-60-1600-50-1800 रु०	प्रवरण पद	45 वर्ष से कम (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है)।	1. एडवोकेट के रूप में कम से कम 10 वर्ष की प्रेक्टिस वाला एडवोकेट, या 2 बम्बई या कलकत्ता उच्च न्यायालय का अटार्नी जिसे ऐसे अटार्नी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव हो, या 3. राज्य न्यायिक सेवा के जिस सदस्य, की उक्त सेवा में दस वर्ष की सेवा हो, या जिस व्यक्ति ने किसी राज्य के विधि विभाग में किसी उच्च पद पर कम से कम 10 वर्ष तक काम किया हो, या जिस व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च पद पर काम करते हुए न्यायिक मामलों का अनुभव हो

क्या सीधे रूप से भर्ती किए जाने के लिए निर्धारित आयु व शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों पर लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो	भर्ती की पद्धति अर्थात सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की जाएगी और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की जानी हो तो किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन क्या है	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानांतरण द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा जिसमें संविदा पर की गई नियुक्ति भी शामिल है।	निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानांतरण द्वारा— 1. राज्य न्यायिक सेवा सदस्य जो उक्त सेवा में 10 वर्ष की सेवा कर चुके हों या, 2. केन्द्रीय विधि सेवा, ग्रेड-4 के अधिकारी जो उक्त सेवा में कम से कम तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों, या 3. केन्द्रीय सिविल सेवाओं के श्रेणी-1 के अधिकारी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखते हों, अर्थात:— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री; (ख) श्रेणी-1 के पद पर कानूनी मामलों में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव; या 4 केन्द्रीय सिविल सेवा के श्रेणी-2 के अधिकारी जो निम्नलिखित योग्यताएं रखते हों, अर्थात :— (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री, और (ख) श्रेणी-2 के पद पर कानूनी मामलों में कम से कम दस वर्ष का अनुभव।	विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान नहीं है। चयन प्रवरण बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला विधि संबंधी पर्याप्त ज्ञान रखने वाला संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी शामिल होगा।	संघ लोक सेवा आयोग से छूट प्राप्त है।

[सं० 14012/8/74-ए० पी०]

मनोहर लाल कम्पानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th June, 1975

G.S.R. 809.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Secretary (Law and Judicial), Arunachal Pradesh Administration, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Arunachal Pradesh Administration (Secretary, Law & Judicial) Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marrige with any person.

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

The recruitment rules for the post of Secretary (law and judicial) Arunachal Pradesh

1	2	3	4	5	6	7
Name of posts	No. of posts	Classifications	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifications required for direct recruits
Secretary (law & Judicial)	1	Central Civil service Class-1	Rs. 900-50-1000-60-1600-50-1800/-	Selection post	Below 45 years (Relaxable for Govt. servants).	1. An advocate with at least ten years' practice as such or, 2. An Attorney of the High Court of Bombay or Calcutta with ten years' experience as such or, 3. A member of a state Judicial Service who has put in service as such for a period of ten years or a person who has held a superior post in the Legal Department of a State for not less than ten years or is a Central Government Servant who has had experience in legal affairs in a superior post for not less than ten years.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probtion if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ trasfer and percentage of transfer and percentage of the vascancies to be filled by various methods	in case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By transfer on deputation transfer failing which by direct recruitmet including apointment on contract	Transfer on deputation transfer from amongst— 1. Members of state Judicial Service who has put in service as such for a period of ten years, or 2. Officers belonging to the Central legal service, grade IV, who has put in service as such for at least three years, or 3. Officers belonging to other Central Civil Services, Class I, and possessing the following qualifications, namely :— (a) a Degree in Law from a recognised University; and (b) at least 7 years' experience in legal matters in a Class I post or 4. Officers belonging to the Central Civil Services, Class II, posses sing the qualifications, namely :— (a) a Degree in Law from a recognised University and (b) at least 10 years' experience in legal matters in a Class II post.	DPC does not exist. Selection will be made by a Selection Board, consisting of Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Chief Secretary of Arunachal Pradesh and an officer of the rank of Joint Secretary, with sufficient legal background, to be nominated by the Ministry of Home Affairs.	Exempted from U.P.S.C.

[No. 14012/8/74A.P.]

M.L. KAMPANI, Joint Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 810.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के मद सं० 82(3) के अधीन आने वाले पोली प्रोपीलीन को, जब कि वह भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसूची में दिया गया है, उतने भाग से छूट देती है, जितना 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है।

[सं० 72/फा०सं० 355/13/74-सीमा शुल्क 1]

बी० सी० रस्तोगी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

New Delhi, the 5th July, 1975

CUSTOMS

G.S.R. 810.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Polypropylene falling under Item No. 82(3) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 60 per cent ad valorem.

[No. 72/F. No. 355/13/74-Cus. I]

B. C. RASTOGI, Dy. Secy.

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा. का. नि. 811.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 70169 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में खण्ड (क) में "मद सं (1) से (5) तक में निर्दिष्ट सूती कपड़े" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "मद सं. (1) से (5) तक में विनिर्दिष्ट कारखाने और उत्पादन करने वाले कारखाने से अन्यत्र उपयोग में लाए गए सूती कपड़े" शब्द, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

[सं. 156/75-सी ई/फा. सं. 51/12/74 सी एक्स 2]

एन. ओबराय, अवर सचिव।

New Delhi, the 5th July, 1975

Central Excise

G.S.R. 811.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, namely :—

In the proviso to the said notification in clause (a), after the words, letters and brackets "to cotton fabrics referred to in Item Nos. (i) to (v)", the words "and used elsewhere than in the factory of production," shall be inserted.

[No. 156/75-CE/F. No. 51/12/74 CX 2]

N. OBHRAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा. का. नि. 812.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 107/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मई, 1971 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) स्लाइडर, रनर या पुलर और उसके संघटक भाग चाहे वे आपस में संयोजित हों या नहीं

[सं. 157/75-सी ई फा सं 28/2/73-सी एक्स-1]

जी. एस. मैंगी, अवर सचिव

G.S.R. 812.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 107/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, for item (3) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"(3) Sliders, runners or pullers and the components parts thereof whether assembled together or not".

[No. 157/75-CE/F. No. 28/2/73-CX.I]

G. S. MAINGI, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 जून, 1975

सा. का. नि. 813.—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. एफ 10/3/74-बी. एन. पी. दिनांक 19 फरवरी, 1975 के साथ प्रकाशित बैंक नोट प्रेस, देवास, (श्रेणी 2 के पद) भर्ती नियमावली, 1975 की अनुसूची के कालम संख्या 11 के नीचे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के बाद कृपया "भारतीय रक्षा लेखा विभाग" शब्द जोड़िए।

[संख्या 10/3/74 बी. एन. पी.]

एस. एल. दत्त, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 4th June, 1975

G.S.R. 813.—Under column 11 of the Schedule to the Bank Note Press, Dewas (Class II posts) Recruitment Rules, 1975, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. GSR F. 10/3/74-BNP, dated the 19th February, 1975, please insert "Indian Defence Accounts Department", after "Indian Audit & Accounts Department", appearing therein.

[No. 10/3/74-BNP]

S. L. DUTT, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 18 जून, 1975

सा० का० नि० 814—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ वातावरणीय विश्लेषक (वातावरणीय जीव-विज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —(1) इन नियमों का नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ वातावरणीय विश्लेषक (वातावरणीय जीव-विज्ञान) भर्ती नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

4 निरर्हताएं —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) या जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5 शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में ज्येष्ठ वातावरणीय विश्लेषक (वातावरणीय जीव-विज्ञान) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ वातावरणीय विश्लेषक (वातावरणीय जीव-विज्ञान)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग I (राजपत्रित)	1100-50-1600 रु०	लागू नहीं होता	40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की वनस्पति-विज्ञान, प्राणिविज्ञान या कृषि विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य और साथ ही वातावरणीय जीव-विज्ञान में विशेषज्ञता । (ii) वातावरणीय जीव-विज्ञान में लगभग 4 वर्ष का अनुसंधान अनुभव । (अर्हताएं अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित)

[फा० सं० ए-12018/2/75-प्रशा० 1]

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 18th June, 1975

G. S. R. 814.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Environmental Analyst (Environmental Biology) in the Department of Science and Technology namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology [Senior Environmental Analyst (Environmental Biology)] Recruitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the ordes issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for Senior Environmental Analyst (Environmental Biology) in the Department of Science and Technology.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Senior Environmental Analyst (Environmental Biology)	One	General Central Service, Class I (Gazetted)	Rs. 1100-50-1600	Not applicable	40 years (Relaxable for Government servants)	Essential (i) At least Second Class Master's degree in Botany, Zoology or Agricultural Sciences of a recognised University or equivalent with specialisation in Environmental Biology. (ii) About 4 years' research experience in Environmental Biology. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. A-12018/2/75-Adm. I]

सा० का० नि० 815.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वर्ग 1 वैज्ञानिक पदों (वातावरणीय योजना और समन्वय) पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (वर्ग 1 वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना:— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

5. निर्हताएं :

वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त अनुसूची में उल्लिखित पदों में से किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां, वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में वर्ग 1 वैज्ञानिक पदों (वातावरणीय योजना और समन्वय) के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
1	2	3	4	5	6	7
1. वातावरणीय समन्वयक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित)	1800-100-2000 रु० (पुनरीक्षण से पूर्व)	लागू नहीं होता।	50 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)।	1. आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य तथा लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में विशिष्टिकरण। (ii) किसी उद्योग या किसी अनुसंधान और विकास संगठन या किसी शैक्षिक संस्था में अनुसंधान, डिजाइन और विकास में बारह वर्ष का अनुभव।

			(अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) । वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । (ii) प्रदूषण नियंत्रण और अप-शिष्ट में अनुभव ।		
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए यदि कोई हो । विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नति की दशा मे लागू होगी या नही ।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने में किन परि-स्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परा-मर्श किया जाएगा ।	
8	9	10	11	12	13
लागू नही होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमे लघु अवधि सविदा भी है) पर स्थानान्तरण द्वारा, प्रत्येक बार भर्ती की पद्धति सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से निश्चित की जाएगी और चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें लघु अवधि सविदा भी है) . ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारो/विश्व विद्यालयो/मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनो के अधीन सदृश पद धारण कर रहे हो या 1300–1600 रु० 1300–1800 रु० के वेतनमान मे कम से कम 3 वर्षों की सेवा कर चुके हो या 1600–1800 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों में कम से कम 2 वर्ष की सेवा कर चुके हों और जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं है । (प्रति नियुक्ति/संविदा की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नही होता ।	जैसा कि सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7
2 ज्येष्ठ विशेषज्ञ (प्रणाली विश्लेषण और प्रणाली प्रतिरूपण)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित	1300-60-1600-100-1800 रु० (पुनरीक्षण से पूर्व)	लागू नही होता ।	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) ।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या भौतिकी या सक्रिया विज्ञान संबंधी अनुसधान मे कम से कम द्वितीय श्रेणी मे मास्टर की उपाधि या इजीनियरी मे उपाधि या समतुल्य । (ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक अनुसधान या किसी अन्य स्थापन मे अनुसंधान डिजाइन या विकास मे 8 वर्ष का अनुभव जिसमे से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव प्रणाली विश्लेषण डिजाइन और प्रतिरूपण मे होना चाहिए । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे अर्हताएं सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी । वांछनीय : (i) विशिष्टीकरण के क्षेत्र मे डाक्टर की उपाधि । (ii) वातावरणीय समस्याओ की प्रणाली अध्ययनो मे अनुभव । (iii) इलैक्ट्रानिक आकड़े प्रसस्करण और प्रोग्राम बनाना ।

8	9	10	11	12	13
लागू नही होता ।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमे लघु अवधि सविदा भी है) । हर बार भर्ती की पद्धति सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निश्चित की जाएगी और चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमे लघु अवधि सविदा भी है) । ऐसे अधिकारियो मे से जो केन्द्रीय/राज्य सरकारो/विश्वविद्यालयो/मान्यता प्राप्त अनुसधान और विकास संगठनो के अधीन सदृश पद धारण कर रहे हो या जिन्होने 1100-1400 रु० के या 1100-1500 रु० के पुनरीक्षण से पूर्व के वेतनमान वाले पदो मे कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो या 700-1250 रु० के पुनरीक्षण से पूर्व के वेतनमान या समतुल्य वाले पदो मे कम से कम 8 वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ 7 मे सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित अर्हताए हो (प्रतिनियुक्ति/सविदा की अवधि सामान्यता 5 वर्ष से अधिक नही होगी) ।	लागू नही होता ।	जैसा कि सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

1	2	3	4	5	6	7
3. ज्येष्ठ विशेषज्ञ	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित	1300-60-1600-100-1800 रु० (पुनरीक्षण से पूर्व)	लागू नहीं होता।	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेंगी)।	आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या भौतिकी या संक्रिया विज्ञान संबंधी अनुसंधान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक अनुसंधान या किसी अन्य स्थापन में अनुसंधान डिजाइन और विकास या परियोजना योजना और मूल्यांकन में 8 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव औद्योगिकरण के वातावरणीय प्रभावों से संबंधित समस्यायों के अध्ययन में होना चाहिये (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)। वांछनीय : (i) विशिष्टीकरण के क्षेत्र में डाक्टर की उपाधि। (ii) संगणक से जानकारी प्राप्त करने का भंडारकरण सुधार और प्रसार में अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है)। भर्ती की पद्धति हर बार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निश्चित की जाएगी और चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है) ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन सदृश पद धारण कर रहे हैं या जिन्होंने 1100-1400 रु० या 1100-1500 रु० के पुनरीक्षण से पूर्व के वेतनमान वाले पदों में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो या 700-1250 रु० के पुनरीक्षण से पूर्व के वतनमान वाले पदों में कम से कम 8 वर्ष की सेवा की है तथा जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नही होगी)।	लागू नही होता।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6	7
4. विशेषज्ञ (समाज शास्त्र)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित)	1100-50-1400 रू० (पुनरीक्षण से पूर्व)	लागू नहीं होता।	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)।	आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से समाज शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (ii) नगरीय समाज शास्त्र में अनुसंधान या अन्वेषण में 6 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)। वांछनीय : समाज-शास्त्र में डाक्टर की उपाधि।
5. विशेषज्ञ (मानव बस्तियां)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित)	1100-50-1400 रू० (पुनरीक्षण से पूर्व)	लागू नहीं होता।	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेंगी)।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से वास्तुकला/नगरीय और ग्रामीण योजना में उपाधि या समतुल्य। (ii) वास्तुकला/नगरीय और ग्रामीण योजना में अनुसंधान, डिजाइन और विकास में 6 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या अनुभव। (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी। वांछनीय : वास्तुकला/नगरीय तथा ग्रामीण योजना में स्नातकोत्तर उपाधि।
6. विशेषज्ञ (जीवन विज्ञान)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित)	1100-50-1400 रू० (पुनरीक्षण से पूर्व)।	लागू नहीं होता।	45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)।	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से जीवन विज्ञान (वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, कृषि विज्ञान या जीव-भौतिकी, जीव-रसायन) में द्वितीय श्रेणी मे मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (ii) किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या प्राइवेट संस्था में 6 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियो की दशा में अर्हताए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)। वांछनीय : ऊपर निर्दिष्ट विषयो में से किसी भी विषय में डाक्टर की उपाधि।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है), प्रत्येक बार भर्ती की पद्धति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निश्चित की जाएगी तथा चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है) . ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/. मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनो के अधीन सदृश पद धारण कर रहे हैं या जो 700–1250 रु० के वेतनमान वाले पदो में कम से कम 3 वर्ष की सेवा कर चुके हैं तथा जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत. 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है), प्रत्येक बार भर्ती की पद्धति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निश्चित की जाएगी तथा चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है) . ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयो/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन सदृश पद धारण कर रहे हों या जिन्होंने 700–1250 रू० के वेतनमान वाले पदों में कम से कम 3 वर्ष सेवा की है तथा जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत. 4 वर्ष से अधिक नही होगी) ।	लागू नही होता ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है), भर्ती की पद्धति प्रत्येक बार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके निश्चित की जाएगी तथा चयन भी आयोग द्वारा किया जाएगा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें लघु अवधि संविदा भी है) . ऐसे अधिकारियों में से जो केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्व-विद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन सदृश पद धारण कर रहे है या जो 700–1250 रू० के वेतनमान वाले पदों में कम से कम 3 वर्ष की सेवा कर पर रह चुके हैं तथा जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हैं । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यत. 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नही होता ।	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

[फा०सं०ए–12018/4/75–प्रशा 1]

एन० सी० चटर्जी, अवर सचिव

G. S. R. 815.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class I Scientific Posts (Environmental Planning and Coordination) in the Department of Science and Technology, namely :—

1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology (Class I Scientific Posts) Recruitment Rules, 1975:—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application:—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay:—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualifications:—

No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the posts mentioned in the said Schedule:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment rules for Class I Scientific Posts (Environmental Planning and Co-ordination) in the Department of Science and Technology.

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Environmental Coordinator.	One	General Central Service Class I (Gazetted)	Rs. 1800-100-2000-(Pre-revised)	Not applicable	50 years (Relaxable for Government servants.)	Essential : (i) Degree in Civil Engineering with specialisation in Public Health Engineering of a Recognised University or equivalent.

					(ii) 12 years' experience in research, design and development in an industry or in research and development organisation or in an educational institution. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : (i) Master's degree in Public Health Engineering recognised University or equivalent. (ii) Experience in Pollution Control and waste.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	By direct recruitment, failing which by transfer on deputation (including short term contract), the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and selection also being made by the Commission.	Transfer on deputation (including short term contract): Officers holding analogous posts or with at least 3 years' service in the scale of Rs. 1300-1600/Rs. 1300-1800 or with atleast 2 years' service in posts in the scale of Rs. 1600-1800 or equivalent under the Central Government/ State Government Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7 (Period of deputation/contract not exceeding 5 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Specialist (Systems Analysis and Systems Modelling)	One	General Central Service, Class I Gazetted.	Rs. 1300-60-1600-100-1800. (Pre-revised).	Not a plicable.	45 years (Relaxable for Government servants)	Essential : (i) Atleast Second Class Masters' degree in Mathematics, or Physics or Oprational Research or Degree in Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 8 years experience in research, design or development in any recognised industrial, research or any other establishment of which atleast 3 years should have been in system analysis, design and modelling. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : (i) Doctorate Degree in the field of specialisation. (ii) Experience in systems studies of environmental problems. (iii) Electronic data processing and programming.
3. Senior Specialist	One	General Central Service, Class I Gazetted.	Rs. 1300-60-1600-100 1800 (Pre-revised)	Not applicable.	45 years (Relaxable for Government servants)	Essential : [(i) Atleast Second Class Master's degree in Mathematics or Physics or Operational Research or Degree in Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) 8 years experience in research, design and development or project planning and evaluation in any recognised industrial, research or any other establishment of which atleast 3 years should have been in the study of problems relating to environmental effects of industrialisation. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). Desirable : (i) Doctorate Degree in the field of specialisation. (ii) Experience of Computerised information, storage, retrieval and dissemination.
4. Specialist (Sociology)	One	General Central Service, Class I (Gazetted)	Rs. 1100-50-1400. (Pre-revised)	Not applicable.	45 year (Relaxable for Government servants)	Essential : (i) Second Class Master's Deglee in Sociology of a recognised University or equivalent. (ii) 6 year's experience in research or investigation in urban sociology. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified)). Desirable : Doctorate Degree in Sociology

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years	By direct recruitment, failing which, by transfer on deputation (including short term contract), the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and selection also being made by the Commission.	Transfer on dputation (including short term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 3 years' service in posts in the pre-revised scale of Rs. 1100-1400 or Rs. 1100-1500 or 8 years service in posts in the pre-revised scale of Rs. 700-1250 or equivalent under Central/-State Governments Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 5 years)	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulatoons, 1958.
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment, failing which, by transfer on deputation (including short term contract), the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and selection also being made by the Commission.	Transfer on deputation (including short term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 3 years service in posts in the pre-revised scale of Rs. 1100-1400 or Rs. 1100-1500 or 8 years service in posts in the pre-revised scale of Rs. 700-1250 or equivalent under the Central/State Governments/ Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications for direct recruits under column 7. (Perid of deputation/contract ordinarily not exceeding 5 years.)	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 19958.
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment., failing which, by transfer on deputation (including short term contract) the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and Selection also being made by the Commission.	Transfer on deputation (including short term contract); Officers, holding analogous posts or with atleast 3 year's service in posts in the scale of Rs. 700-1250 under the Central Government/State Governments/Universities/ Recognised Research and Development Organisations and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 7 (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
5. Specialist (Human Settlements)	One	General Central Services, Class I (Gazetted)	Rs. 1100-50-1400 (Pre-revised)	Not applicable	45 years (Relaxable for Government servant)	Essential : (i) Degree in Architecture/Town and Country Planning of a recognised University or equivalent. (ii) 6 year's practical experience or experience in research, design and development in Architecture/ Town and Country Palanning. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified) Desirable : Post Graduate Degree in Architecture/Town and Country Planning.
6. Specialist (Life Sciences)	One	General Central Services, Class I (Gazetted)	Rs. 1100-50-1400 (Pre-revised)	Not applicable	45 years (Relaxable for Government servants)	Essential : (i) Second Class Master's Degree in Life Sciences (Botany, Zoology, Agricultural Sciences or Biophysics, Bio-Chemistry) of a recognised University or equivalent. (ii) 6 years' experience in research in a Government, Semi-Government or private institution. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified) Desirable : Doctorate Degree in any of the subjects referred to above.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	Two years	By direct recruitment, failing which, by transfer on deputation (including short term contract), the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and selection also being made by the Commission.	Transfer on deputation (including short term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 3 year's service in posts in the scale of Rs. 700-1250 under the Central Government/State Governments/Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 7 (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 4 years).	Not applicable.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.
Not applicable	Tow years	By direct recruitment, failing which by transfer on deputation (including short term contract), the method of recruitment to be decided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission and selection also being made by the Commissions.	Transfer on deputation (including short term contract): Officers holding analogous posts or with atleast 3 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1250 under the Central Government/State Governmnts/Universities/Recognised Research and Development Organisations and possessing qualifications prescribed for direct recruits under column 7 (Period of deputation/contract ordinarily not exclideding 4 years).	Not applicable	As requireo under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[F. No. A.-12018/4/75/-Adm. I]

N.C. CHATTERJEE, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1975

सा०का०नि० 816—संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग में कतिपय तीसरी श्रेणी के पदों की भर्ती की प्रणाली को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है, अर्थात् —

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**—(1) ये नियम परिवार नियोजन (तीसरी श्रेणी के पद) भर्ती नियमावली, 1975 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से ही लागू हो जायेंगे।

2 **प्रयोज्यता**—ये नियम इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3 **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जो इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4 **भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पदों पर भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है।

5 **अनर्हताएं**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है जिसका कि पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5 **छूट देने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से सलाह लेकर इस नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी करके छूट दे सकती है।

6 **अपवाद**—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विशेष वर्गों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में विहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर-सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिये आयु	सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित, शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें।
1	2	3	4	5	6	7
1 वरिष्ठ मशीन आपरेटर (आफसेट)	3	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तीसरी श्रेणी (अराजपत्रित) अननुसचिवीय।	रु० 425-15-500-द०रो० 15-560-20-700।	चयन पद	35 वर्ष से अधिक नहीं	(क) उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष अर्हता। (ख) आधुनिक स्वचालित आफसेट छपाई मशीनों को चलाने और रंगदार छपाई में मल्टी-कलर लाईनज/हाफटोन आदि का अनुभव। (ग) विभिन्न प्रकार की आफसेट मशीनों को चलाने का ज्ञान और उच्च कोटि का छपाई कार्य कर सकता हो।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	उन कनिष्ठ मशीन आपरेटरों की पदोन्नति द्वारा जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो चुकी हो	तीसरी श्रेणी की विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. कनिष्ठ मशीन आपरेटर।	2	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तीसरी श्रेणी (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	रु० 425-15-530-द०रो०-15-560-20-600	गैर-चयन पद	30 वर्ष से अधिक नही	अनिवार्य : (क) मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष अर्हता। (ख) किसी प्रसिद्ध मुद्रणालय मे आफ सेट प्रिंटिंग मशीन को चलाने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय, स्याही मिश्रण करने और रग का ज्ञान।
3. ट्रेडल मशीन आपरेटर।	1	—तदैव—	रु० 330-8-370-10-400-द०रो०-10-480	—तदैव—	—तदैव—	अनिवार्य (क) मैट्रिकुलेशन। (ख) बिजली से चलने वाली ट्रेडल (प्लेटन) छपाई मशीनो को चलाने का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव। वाछनीय : कलर प्रिंटिंग और ब्लाको को तैयार करने का ज्ञान।
4 फीडर[1]	4	—तदैव—	रु० 260-6-326-द०रो०-8-350	—तदैव—	—तदैव—	(क) आठवी कक्षा (मिडिल पास)। (ख) किसी छापेखाने मे आफ सेट प्रिंटिंग मशीन पर फीडर के रूप मे कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
[लागू नही होता	2 वर्ष	पदोन्नती द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा	फीडर ग्रेड से पदोन्नति द्वारा जो जन डाकीय एकक मे कार्य कर रहे हो और जिनकी अपने ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा पूरी हो चुकी हो	तीसरी श्रेणी विभागीय पदोन्नती समिति	लागू नही होता
लागू नही होता	2 वर्ष	—तदैव—	हैल्परो के ग्रेड से पदोन्नति द्वारा जिन्होने अपने ग्रेड मे 7 वर्ष की सेवा कर ली हो और अपना ट्रेड टेस्ट भी पास कर लिया हो।	—तदैव—	—तदैव—
लागू नही होता	2 वर्ष	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	हैल्परो के ग्रेड मे पदोन्नति द्वारा, जो अपने ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा कर चुके हो और अपना ट्रेड टेस्ट भी पास कर चुके हो।	—तदैव—	—तदैव—

[सं० ए० 12018/6/74-स्थापना-1]

सत्यपाल गोस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Family Planning)

New Delhi, the 22nd May, 1975

G.S.R. 816.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class III posts in the Department of Family Planning, namely :—

1. Short title and commencement :-(1) These rules may be called the Department of Family Planning (Class III posts) Recuitment Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application :- These rules shall apply to the post as specified in Column I of the Schedule annexed to these rules.

3. Number, classification and scale of pay :- The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc :- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification : No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax :- Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recored in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons, or posts.

7. Saving :- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Setection post or non Selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Machine Operator (Offset)	Three	General Central Service, Class III-Non-gazetted-non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Selection post	Not exceeding 35 years.	1. (a) Higher Secondary or equivalent qualification. (b) 5 years' experience of running modern automatic offset printing machines and of handling multicolour line/ Halftone jobs requiring registration of colours; (c) Knowledge of Operation and running of various types of offset machines and should be able to do high quality of printing work.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation / transfer to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By promotion, failing, which by direct recruitment.	By promotion from the grade of Junior Machine Operators with 5 years' service in the grade.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2. Junior Machine Operator	Two	General Central Service, Class III, Non-gazetted-Non-Ministerial	Rs. 425-15-530-EB-15-560-20-600	Non selection post	Not exceeding 30 yesrs	Essential: (a) Matriculation or equivalent qualification. (b) Atleast 2 years' experience of running offset printing machine in a press of repute; Desirable: Knowledge of ink-mixing and colour matching.	Not applicable.	2 years.	By promotion, failing which, by direct recruitment.	By promotion from the grade of Feeders, working in Mass Mailing Unit with 5 years' service int the grade	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
3. Treadle Machine Operator	One	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 330-8-370-10-400-EB-10-480	Non selection post	Not exceeding 30 years	Essential: (a) Matriculation; (b) At least 2 years' experience of operating power driven treadle (platen) printing machines; Desirable: Knowledge of colour printing and make-ready of blocks.	Not applicable.	2 years.	By promotion, failing which, by direct recruitment.	By promotion from the grade of Helpers with not less than 7 years' service in the grade sunject to their qualifying in a Trade Test.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
4. Feeder	Four	General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection	Not exceeding 30 years	(a) 8th Class (Middle standard); (b) Atleast 2 years' experience as a Feeder in Offset printing machine in any printing establishment.	Not applicable.	2 years.	50% by promotion; 50% by direct recruitment.	By promotion from the grade of Helpers with not less than 5 years' service in the grade subject to their qualifying in a Trade Test.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

[No. A. 12018/6/73-Estt. I]

S.P. GOSWAMI) Under Sec.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 21 जून, 1975

सा. का. नि. 817.—भूतपूर्व राजस्व तथा कृषि विभाग की 25 जुलाई, 1900 की अधिसूचना संख्या 1616-एफ के साथ प्रकाशित नियमों के विनियम 3 की धारा (ख), जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है, के अनुसरण में, हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग के वित्त आयुक्त एवं सचिव को भारतीय लोक अकाल न्यास के प्रबंध मंडल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती है।

[सं. 15-4/72-एस. आर 2]

चन्द्र प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 21st June, 1975

G.S.R. 817.—In accordance with Clause (b) of Rule 3 of the Rules published with the late Department of Revenue and Agriculture Notification No. 1616-F dated 25th July, 1900 as amended from time to time the Government of Himachal Pradesh are pleased to appoint Financial Commissioner-cum Secretary Revenue Department as their representative on the Board of Management of Indian People's Famine Trust.

[No. 15-4/72-SR II]

CHANDRA PRAKASH, Dy. Secy.

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1975

सा० का० नि० 818.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरक्का बांध परियोजना (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम फरक्का बांध परियोजना (वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1974 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फरक्का बांध परियोजना (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969 में, (i) नियम 6 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7—व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है;

(ii) अनुसूची में, क्रम सं० 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

कृषि और सिंचाई मंत्रालय के सिंचाई विभाग में फरक्का बांध परियोजना में (1) अधीक्षक (महाप्रबन्धक कार्यालय), (2) प्रधान नक्शानवीस और (3) फोरमैन के पदों के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 अधीक्षक (महाप्रबन्धक कार्यालय)	3 (तीन)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 2, अनुसचिवीय अराजपत्रित	450-25-575 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2 प्रधान नक्शा-नवीस	7 (सात)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 2, अननुसचिवीय अराजपत्रित	450-25-575 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा मे लागू होगी या नही	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियो मे सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
			प्रोन्नति द्वारा ·		
लागू नही होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा।	ऐसे सर्किल अधीक्षको में से जिन्होने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियो मे से या ऐसे अधिकारियो में से जिन्होने 350-475 रु० के या समतुल्य वेतनमान के पदों पर कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो, या जिन्होने 210-530 रु०/210-425 रु० के वेतनमान के पदो पर कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्थापन तथा लेखा-कार्य का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी)।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति।	सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 द्वारा यथाअपेक्षित।
			प्रोन्नति :		
लागू नही होता	लागू नही होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा।	ऐसे ज्येष्ठ नक्शानवीसो मे से जिन्होंने उस श्रेणी मे आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास कम से कम सिविल इंजीनियरी/नक्शानवीसी मे प्रमाणपत्र हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण · केन्द्रीय/राज्य सरकारो के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियो में से या ऐसे अधिकारियों में से जिन्होने 350-475 रु० के वेतन-मान के पदों पर कम-से-कम तीन वर्ष सेवा की हो या जिन्होने 210-530 रु०/210-425 रु० के वेतनमान के या समतुल्य पदों पर कम से कम पाच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास सिविल इंजीनियरी/नक्शा-नवीसी में डिप्लोमा और पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी)।	वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति।	सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 द्वारा यथाअपेक्षित।

1	2	3	4	5	6	7
3. फोरमैन	5 (पांच)	साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 2, अननुसचिवीय अराजपत्रित	450-25-575 रु०	लागू नहीं होता	तीस वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय)	आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की यांत्रिक/वैद्युत इंजीनियरी में उपाधि या समसुल्य । (ii) कर्मशाला मशीनी औजार, ढलाई-गिरी, गढ़ाई, आदि में पर्यवेक्षक की हैसियत में दो वर्ष का अनुभव (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय) ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन 350-475 रु० के वेतनमान में सवृश पर धारण करने वाले अधिकारियों में से या ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने 210-530 रु०/210-425 रु० के या समसुल्य वेतनमान के पदों पर कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और जिनके पास कर्मशाला, मशीनी औजार ढलाईगिरी, गढ़ाई, आदि का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 द्वारा यथाअपेक्षित ।

[सं० 5/पल 2/13/65 एफ०बी०पी० वाल्यूम iii]

एम० एन० गुप्ता, संयुक्त सचिव ।

(Department of Irrigation)

New Delhi, the 21st February, 1975

G.S.R. 818.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Farakka Barrage Project (Class II posts) Recruitment Rules, 1969, namely :

1. (1) These rules may be called the Farakka Barrage Project (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Farakka Barrage Project (Class II posts) Recruitment Rules, 1969, (i) after rule 6, the following rule shall be inserted, namely :—

"7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard;"

(ii) in the Schedule, after serial No. 1 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

Recruitment Rules for the posts of (1) Superintendent (General Manager's Office) (2) Head Draftsman and (3) Foreman in the Farakka Barrage Project in the Ministry of Agriculture and Irrigation Department of Irrigation

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
2. Superintendent (General Manager's Office)	3	General Central Service Class II, Ministerial Non-gazetted.	Rs. 450-25-575	Not applicable	Not applicable	Not applicable
3. Head Draftsman	7	General Central Service Class II, Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 450-25-575	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age & educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which the UPSC is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	By promotion : Circle Superintendent with 3 years regular service in the grade. Transfer on deputation : Officers under the Central/ State Governments holding analogous posts or with at least 3 years' service in posts in the scale of Rs. 350—475 or equivalent or with at least 5 years' service in posts in the scale of Rs. 210—530/Rs. 210—425 and having experience of establishment and account work. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation), Regulations, 1958.
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer on deputation.	Promotion: Senior Draftsman with 8 years' regular service in the grade and possessing at least a certificate in Promotion Civil Engineering/ Draftsmanship. Transfer on-deputation : Officers under the Central/ State Governments holding analogous posts or with at least 3 years' service in the scale of Rs. 350—475 or with at least 5 years' service in posts in the scale of Rs. 210—330/Rs. 210—425 or equivalent and having diploma in Civil Engineering/ Draftsmanship with adequate practical experience. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years).	Class II Departmental Promotion Committee.	As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation), Regulations, 1958.

1	2	3	4	5	6	7
4. Foreman	5	General Central Service Class II, Non-Ministerial Non-gazetted.	Rs. 450-25-575	Not applicable	30 years (relaxable for Government servants).	Essential : (i) Degree in Mechanical/Electrical Engineering of a recognised University or equivalents. (ii) Two years' experience in a supervisory capacity in Workshop. (Qualification relaxable at discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment failing which by transfer on deputation.	Transfer on deputation : Officers under the Central/State Governments holding analogous posts in the scale of Rs. 350--475 or with at least 5 years, service in the posts in the scale of Rs 210--530/Rs. 210--425 or equivalent and having experience in workshop, machine tools, welding, fabrication etc. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years)	Not applicable	As required under the Union Public Service Commission, (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.

[No. 5/F 2/13/65-FBP Vol. III]
S.N. GUPTA, Joint Secy.

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली 20 जून, 1975

सा० का० नि० 819—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सुधार सेवा ब्यूरो, समाज कल्याण विभाग सांख्यिकिविद (भर्ती) नियम, 1968 के अतिक्रमण में सिवाए उन बातों के जिन्हें किया गया हो अथवा जो किये जाने से छूट गई हो समाज कल्याण विभाग के अधीन राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान में सांख्यिकिविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने वाले नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात् —

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान समाज कल्याण विभाग (सांख्यिकिविद् भर्ती नियम, 1975 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2 पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि –उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं तथा उन से संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 निरर्हताएं —वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उस के लिए जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध का किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्त —इन नियमों की कोई भी बात उन आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1 सांख्यिकीविद्	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)।	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	लागू नहीं	30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकती है)	अनिवार्य : किसी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित या वाणिज्य शास्त्र अथवा अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) में मास्टर की डिग्री या उसके बराबर। या (2) गणित या सांख्यिकी या अर्थ शास्त्र विषय के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री तथा किसी मन्यता प्राप्त सांख्यिकीय संस्थान से सांख्यिकी का प्रशिक्षण। (3) सांख्यिकी कार्य का दो वर्ष का अनुभव, जिसमें सांख्यिकी आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका सकलन तथा व्याख्या शामिल है। (जो अभ्यार्थी अन्यथा सुयोग्य होंगे उनके मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर ढील दी जा सकती है)।

क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में भी लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा	विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	लागू नहीं	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958, के अधीन अपेक्षित है।

[स० एफ० 14/1/72-एस० डब्ल्यू० (एस डी०)]

टि० सु० ना० स्वामी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 20th June, 1975

G.S.R. 819.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Bureau of Correctional Services, Department of Social Welfare, Statistician (Recruitment) Rules, 1968 except as respects things done or omitted to be done, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician in the National Institute of Social Defence under the Department of Social Welfare, Namely :—

1. Short title and commencement :- (i) these rules may be called the National Institute of Social Defence, Department of Social Welfare (Statistician) Recruitment Rules, 1975.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, Classification and Scale of pay :- The number of the posts, Classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. The method of recruitment, age limit and qualifications etc.:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :- No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :- where the Central Government is opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes Scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Statistician	1	General Central Service, Class II Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 550-25-750-EB-30-900	Not applicable	30 years (Relaxable for Govt. servants)	Essential : (i) Master's degree in statistics, Mathematics or Commerce or Economics (with Statistics) of a recognised University or equivalent. OR Degree of a recognised University with Mathematics or Statistics or Economics as subject and 2 years' post Graduate training in Statistics at a recognised Statistical Institute. (ii) 2 years experience of statistical work involving collection, Compilation and interpretation of Statistical data. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union publi Service Commission in case o candidates otherwise we qualified).

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage or the vacancies to be filled by various methods..	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a departmental promotion Committee exists what is its Composition.	Circumstances in which Union public service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	Not applicable	As required under the Union public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation 1958.

[No. F. 14/1/72-SW 5(SD)]

T. S. N. SWAMI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 जून, 1975

(वाणिज्य नौवहन)

सा. का. नि 820.—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 285 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्कर का निवारण) विनियम, 1962 को अधिक्रान्त करते हुए, समुद्र में टक्करों के निवारणार्थ निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (समुद्र में टक्करों का निवारण) विनियम, 1975 है।

(2) वे उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिस तारीख को अक्तूबर 1972 के बीसवें दिन को लन्दन में हुए समुद्र में टक्करों का निवारण अन्तर्राष्ट्रीय विनियम अभिसमय 1972 प्रवृत्त होगा।

2. अन्तर्राष्ट्रीय विनियमों का अंगीकार किया जाना :—समुद्र में टक्करों के निवारणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विनियम, 1972 और उनसे उपाबद्ध उपबन्धों को, जो इन विनियमों से संलग्न अनुसूची में उपवर्णित हैं, वे एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और केन्द्रीय सरकार द्वारा, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 285 की अधीन विरचित विनियम समझा जायेगा।

अनुसूची

(विनियम 2 देखिए)

समुद्र में टक्करों के निवारणार्थ अन्तर्राष्ट्रीय विनियम 1972

भाग-क साधारण

नियम-1

लागू होना

(क) ये नियम, खुले समुद्रों में तथा उससे संबंधित समुद्रगामी जलयानों के लिए नाव्य सभी समुद्रों में जाने वाले सभी जलयानों को लागू होंगे।

(ख) इन नियमों की कोई भी बात समुचित प्राधिकारी द्वारा पोताश्रयों, बंदरगाहों, नदियों, झीलों या खुले समुद्रों से संबंधित और समुद्रगामी जलयानों के लिए नाव्य अन्तर्देशीय जलमार्गों के लिए बनाये गए विशेष नियमों के प्रचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। जहां तक हो सके ऐसे विशेष इन नियमों के अनुरूप होंगे।

(ग) इन नियमों की कोई भी बात किसी राज्य सरकार द्वारा युद्ध पोतों और कन्वाय के अधीन चलने वाले जलयानों के लिये अतिरिक्त स्टेशन या संकेत प्रकाश या सीटी संकेत के संबंध में या मछली पकड़ने वाले जलयान बेड़े के रूप में मछली पकड़ने में लगे जलयानों के लिए अतिरिक्त स्टेशन या संकेत प्रकाश के संबंध में बनाए गए विशेष नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये अतिरिक्त स्टेशन या संकेत प्रकाश या सीटी संकेत, यथासंभव, ऐसे होंगे कि वे इन नियमों के अधीन अन्यत्र प्राधिकृत किसी भी प्रकाश या संकेत के लिए भ्रमपूर्ण नहीं समझे जा सकेंगे।

(घ) संगठन द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए यातायात पृथक्करण योजनाओं को अंगीकृत किया जा सकेगा।

(इ) जब कभी संबद्ध सरकार यह अवधारित कर देगी कि विशेष सनिर्माण या प्रयोजन का जलयान, प्रकाशों के आकारों की संख्या, स्थिति, दूरी या दृश्यताधारा तथा ध्वनि-संकेतन साधित्रों की व्यवस्था और विशेषताओं के संबंध में इन नियमों के किसी नियम के उपबंधों का, जलयान के विशेष कार्य में बिना हस्तक्षेप किए, पूर्णतः अनुपालन नहीं कर सकता, तो ऐसा जलयान, प्रकाशों की आकारों की संख्या, स्थिति दूरी या दृश्यताचाप साथ ही ध्वनिसंकेतन में साधित्रों उपबन्धों और विशेषताओं के संबंध में ऐसे अन्य उपबंधों का अनुपालन करेगा जो उसकी सरकार उस जलयान के बारे में इन नियमों के अत्यधिक अनुरूप अवधारित कर देगी।

नियम 2

उत्तरदायित्व

(क) इन नियमों की कोई भी बात किसी जलयान या उसके स्वामी, मास्टर या कर्मीदल को, इन नियमों के अनुपालन में किसी उपेक्षा के या नाविकों के मामूली आचार या मामले की विशेष परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित किसी पूर्वाविधानी की उपेक्षा के कारण होने वाले परिणामों से विमुक्त नहीं करेगी।

(ख) इन नियमों का अर्थान्वयन करने और अनुपालन करने में, नौ परिवहन और टक्करों संबंधी सभी खतरों और किन्हीं, विशेष परिस्थितियों की जिनमें संबंधित जलयानों की वे सीमाएं भी सम्मिलित हैं, जिनके कारण तुरन्त खतरा टालने के लिए आवश्यक इन नियमों का अनुसरण न किया जा सके, सम्यक ध्यान दिया जाएगा।

नियम 3

साधारण परिभाषाएं

इन नियमों के प्रयोजन के लिए, जहां संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो उस के सिवाय :—

(क) "जलयान" में, ऐसे अविस्थापन जलयान और समुद्रीय विमान, जो समुद्र पर परिवहन के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किए जाने योग्य है, को सम्मिलित करते हुए हर भांति का जलयान सम्मिलित है।

(ख) "शक्ति चालित जलयान", से मशीनरी द्वारा नोदित कोई भी जलयान अभिप्रेत है।

(ग) "पाल जलयान" से पाल द्वारा कोई जलयान अभिप्रेत है, परन्तु यह तब होगा जब कि नोदन मशीनरी का यदि फिट की गई है, प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(घ) "मछली पकड़ने में लगे जलयान" से, ऐसा जलयान अभिप्रेत है, जो ऐसे जालों, रज्जुओं, खींचू जालों या अन्य मछली पकड़ने वाले साधित्रों से मछली पकड़ता है जो स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता निर्बन्धित करते हैं, किन्तु इसमें ऐसा जलयान सम्मिलित नहीं है जो ऐसे ट्रालिवाली रज्जुओं या अन्य मछली पकड़ने वाले साधियों से मछली पकड़ता है जो स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता निर्बन्धित नहीं करते हैं।

(ङ) "समुद्री विमान" में ऐसा कोई वायुयान सम्मिलित है जो समुद्र पर स्थिति परिवर्तन करने के लिए परिकल्पित है।

(च) "कमानाधीन न रहने वाले जलयान" पद से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो किसी असाधारण परिस्थिति के कारण से इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित स्थिति परिवर्तन करने में असमर्थ है और इस लिए यह दूसरे जलयान के उस मार्ग से हटने में असमर्थ है।

(छ) "स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में निर्बन्धित जलयान" से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो अपने कार्य की प्रकृति के कारण इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में निर्बन्धित किया गया है और इस लिए यह दूसरे जलयान के उस मार्ग से हटने में असमर्थ है। निम्नलिखित जलयानों की स्थिति परिवर्तन करने की उनकी क्षमता में निर्बंधित जलयान माना जाएगा :—

(1) नौ परिवहन चिह्न, अन्तःसमुद्री केबल या पाइपलाइन, बिछाने, देखभाल करने या उठाने के कार्य में लगा जलयान,

(2) भ्रमाई, सर्वेक्षण या जलमग्न संक्रियाओं में लगा जलयान,

(3) संपूर्ति में लगा या व्यक्तियों, रसद या स्थोरा के स्थानान्तरण में लगा मार्गस्थ जलयान,

(4) वायुयान को प्लावर्ती करने में या उसकी पुनः प्राप्ति में लगा जलयान,

(5) सुरंग भेदने की संक्रियाओं में लगा जलयान,

(6) ऐसी नौकर्षण संक्रिया में लगा जलयान जिसके कारण वह अपने मार्ग से विचलित होने में असमर्थ हो जाता है।

(ज) "अपने डुबाव के कारण निरुद्ध जलयान" पद में ऐसा शक्तिचालित जलयान अभिप्रेत है जो उपलब्ध जल की गहराई से संबंधित अपने डुबाव के कारण अपने अनुसरण मार्ग से विचलित होने की अपनी क्षमता में कठोरता से निर्बन्धित हो गया है।

(झ) "मार्गस्थ" शब्द से यह अभिप्रेत है कि जलयान लंगर डाले हुए नहीं है या तट पर स्थिर या भूस्थित नहीं है।

(ञ) जलयान की "लम्बाई और चौड़ाई" शब्दों से उसकी कुल लंबाई और अधिकतम चौड़ाई अभिप्रेत है।

(ट) जब एक जलयान से दूसरा जलयान आंखों से देखा जाय तभी दोनों जलयानों को एक दूसरे की दृष्टि में समझा जाएगा।

(थ) "निर्बन्धित दृश्यता" पद से कोई भी दशा अभिप्रेत है जिसमें दृश्यता कुहरा, धुआं, बर्फ गिरने, तूफानी वर्षा, बालुई तूफान या अन्य वैसे ही कारण से निर्बन्धित हो जाती है।

भाग-ख

कर्ण और पाल

नियम

अनुभाग 1-दृश्यता की किसी दशा में जलयानों का संचालन

नियम 4

लागू होना

इस खण्ड के नियम दृश्यता की किसी भी दशा में होते हैं।

नियम 5

अवेक्षण

प्रत्येक जलयान, सभी समयों पर दृष्टि और श्रवण द्वारा, तथा प्रचलित परिस्थितियों तथा दशाओं में सभी उपलब्ध समुचित साधनों द्वारा उचित अवेक्षण करेगा ताकि स्थिति और टक्कर के जोखिम को पूर्णरूप से आंका जा सके।

नियम 6

सुरक्षित गति

प्रत्येक जलयान सभी समयों पर सुरक्षित गति से आगे बढ़ेगा ताकि वह टक्कर से बचने के लिए उचित और प्रभावशील कार्रवाई कर सके और विद्यमान परिस्थितियों तथा दशाओं में समुचित दूरी पर उसे रोका जा सके।

सुरक्षित गति अवधारित करने में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा :

(क) सभी जलयानाओं द्वारा :

(1) दृश्यता की स्थिति;

(2) मछली पकड़ने वाले जलयानों या किन्हीं अन्य जलयानों के अजमाव को सम्मिलित करते हुए यातायात घनत्व ;

(3) विद्यमान दशाओं में रुकने की दूरी तथा मुड़ने की क्षमता के विशेष संदर्भ में जलयान की स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता ;

(4) रात्रि के समय पार्श्व प्रकाश का होना, जो तटीय प्रकाशों द्वारा या उसके अपने प्रकाशों द्वारा पार्श्व में फैला प्रकाश ;

(5) वायु, समुद्र तथा प्रवाह की स्थिति और नौ परित्रम परिसंकटों का सामीप्य ;

(6) उपलब्ध जल की गहराई के संदर्भ में डुबाव।

(ख) इसके अतिरिक्त, प्रचालनशील राडार वाले जलयानों द्वारा :

(1) राडार उपस्कर की विशिष्टताएं दक्षता और सीमाएं ;

(2) उपयोग में लाए गए राडार दृश्यता मापी द्वारा अधिरोपित कोई अवरोध ;

(3) समुद्री स्थिति, मौसम और हस्तक्षेप के अन्य स्त्रोतों के बारे में राडारद्वारा पता चलाने का प्रभाव ;

(4) यह संभाव्यता की छोटे जलयान, बर्फ और अन्य प्लवमान वस्तुओं का राडार द्वारा यथोचित दूरी पर पता न चलाया जा सके ;

(5) राडार द्वारा पता चलाए गए जलयानों की संख्या, अवस्थिति और संचलन ;

(6) दृश्यता का अधिक ठीक निर्धारण जो उस समय संभाव्य हो जब सामीप्य के जलयानों या वस्तुओं की दूरी अवधारित करने के लिए राडार प्रयुक्त किया जाता है।

नियम 7

टक्कर की जोखिम

(क) यह अवधारित करने के लिए टक्कर की जोखिम विद्यमान है या कि नहीं, प्रत्येक जलयान यह विद्यमान परिस्थितियों तथा दशाओं के लिए समुचित सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगा। यदि किस प्रकार की शंका हो, तो ऐसी जोखिम विद्यमान समझी जाएगी।

(ख) यदि राडार उपस्कर लगा है और चालू है तो ऐसे उपस्कर परिचालन का उचित उपयोग किया जाएगा। इसमें टक्कर के जोखिम और राडार की स्थिति अंकर के बारे में पूर्व चेतावनी अभिप्राप्त करने के लिए लम्बी दूरी क्रम-वीक्षण वीक्षण या पता चलाई गई वस्तुओं के संबंध में समतुल्य क्रमबद्ध से प्रेक्षण भी सम्मिलित है।

(ग) अपर्याप्त सूचना, विशेषतः राडार के बारे में अपर्याप्त सूचना के आधार पर अनुमान नहीं किए जाएंगे।

(घ) यह अवधारित करने में कि टक्कर की जोखिम विद्यमान है या कि नहीं, अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित पर भी ध्यान दिया जाएगा:—

(1) यदि निकट आने वाले जलयान के दिक्सूचक धारूक में उल्लेखनीय अन्तर नहीं आता है तो ऐसी जोखिम निकट विद्यमान समझी जाएगी :

(2) कभी-कभी ऐसी जोखिम तब भी विद्यमान रहेगी जब कि कोई उल्लेखनीय धारूक अन्तर प्रत्यक्ष हो, विशेषतः जब वह किसी बहुत बड़े जलयान या टो कि निकट आ रहे हो या जब किसी जलयान से निकट दूरी पर आ रहा हो।

नियम 8

टक्कर से बचने के लिए कार्रवाई

(क) यदि घटना की परिस्थितियां मान्य करें तो टक्कर से बचने के लिए की गई कोई भी कार्रवाई निश्चयात्मक होगी, पर्याप्त समय में और अच्छे नौकौशल के अनुशीलन का सम्यक, ध्यान रखते हुए, की जाएगी।

(ख) यदि घटना की परिस्थितियां मान्य करें तो टक्कर से बचने के लिए मार्ग अ और/या गति में कोई भी परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि दृष्टि से या राडार से संप्रेक्षण करने वाले अन्य जलयान के आसानी से दिखाई दे: मार्ग और/या गति के संबंध में बार-बार किए जाने वाले छोटे परिवर्तनों का परिवर्जन किया जाना चाहिए।

(ग) यदि समुद्री कक्ष पर्याप्त हो, तो मार्ग-परिवर्तन ही निकट मुठभेड़ से बचने के लिए एकमात्र अत्यन्त प्रभावी कार्रवाई होगी बशर्ते

कि वह पर्याप्त समय में की गई हो, सावधान हो और इसके परिणामस्वरूप अन्य निकट मुठभेड़ न हो ।

(घ) अन्य जलयान के साथ टक्कर से बचने के लिए की गई कार्रवाई परिणाम सुरक्षित दूरी से जाना होगा । कार्रवाई की प्रभावशीलता की जांच सावधानी पूर्वक तब तक की जाएगी जब तक कि अन्य जलयान पूर्णतया निकल न जाए और मार्ग निर्बाध न हो जाए ।

(ङ) यदि टक्कर से बचने के लिए या स्थिति निर्धारण करने के लिए अधिक समय देने के लिए आवश्यक हो, तो जलयान अपनी गति धीमी करेगा या अपने नोदन के साधनों को रोककर या उनको प्रतिवर्ती करके पूरा रास्ता छोड़ देगा ।

नियम 9

संकीर्ण जलसारणियां

(क) संकीर्ण जल सारणी या जलवाह के पास से आने वाला जलयान अपने को जलसारणी या जलवाह की बाह्य सीमा , जो उसके स्टारबोर्ड की ओर होती है, के पास, जितना सुरक्षित और साध्य हो, रखेगा ।

(ख) 20 मीटर से कम लंबाई का जलयान या पाल जलयान ऐसे जलयान के मार्ग में अड़चन नहीं डालेगा जो केवल संकीर्ण जलसारणी या जलवाह में सुरक्षापूर्वक नौ परिवहन कर सके ।

(ग) मछली पकड़ने में लगा जलयान, संकीर्ण जलसारणी या जलवाह में नौपरिवहन करने वाले किसी अन्य जलयान के मार्ग में अड़चन नहीं डालेगा ।

(घ) कोई भी जलयान संकीर्ण जलसारणी या जलवाह को उस दशा में पार न करेगा जबकि ऐसे पार करने से ऐसे जलयान के मार्ग में अड़चन पड़ती है । जो केवल उसी जलसारणी में सुरक्षित रूप से नौपरिवहन कर सकता है । पश्चातवर्ती जलयान उस दशा में नियम 34(घ) में विहित ध्वनि संकेत का उपयोग कर सकेगा जबकि पार करने वाले जलयान के आशय के बारे में शंका हो ।

(ङ) (1) संकीर्ण जलसारणी या जलवाह में, जब अभिलंघन, उस दशा में हो सकता है जब कि अभिलंघित होने वाले जलयान को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की अनुज्ञा देने की कार्रवाई करनी हो, तो अभिलंघन करने का इच्छुक जलयान अपना आशय नियम 34(ग)(1) में विहित समुचित ध्वनि संकेत द्वारा उपदर्शित करेगा । यदि अभिलंघित होने वाला जलयान सहमत हो, तो वह नियम 34(ग) (2) में विहित समुचित ध्वनि संकेत करेगा और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने की अनुज्ञा देने के लिए कदम उठाएगा । यदि उसे शंका हो, तो वह नियम 34(घ) में विहित ध्वनि संकेत कर सकेगा ।

(2) यह नियम अभिलंघी जलयान को नियम 13 के अधीन उसकी बाध्यता से मुक्त नहीं करता है ।

(च) जलयान ऐसे मोड़ या संकीर्ण जलसारणी या जलवाह को ऐसे क्षेत्र के, जहां अन्य जलयान मध्यवर्ती बाधा के कारण बाधित हो जाए, निकट से जाते समय विशिष्ट सतर्कता और सावधानी से नौपरिवहन करेगा और नियम 34(ङ) में विहित समुचित ध्वनि संकेत करेगा ।

(छ) यदि घटना की परिस्थितियां मान्य करें तो कोई जलयान संकीर्ण जलसारणी में लंगर नहीं डालेगा ।

नियम 10

यातायात पृथक्करण योजनाएं

(क) यह नियम, संगठन द्वारा अपनायी गयी यातायात पृथक्करण योजनाओं को लागू होगा ।

(ख) यातायात पृथक्करण योजना का उपयोग करने वाला जलयान :

(1) समुचित यातायात पथ में उस पथ के लिये निश्चित यातायात प्रवाह के सामान्य दिशा में चलेगा ।

(2) यथासाध्य, किसी यातायात पृथक्करण लाइन या पृथक्करण क्षेत्र को खुला रखेगा ।

(3) प्रसामान्यतः यातायात पथ में पंप के अन्तिम भाग पर प्रवेश करेगा या वहां से बाहर निकल जाएगा परन्तु, पार्श्व से प्रवेश करते या बाहर निकलते समय यातायात प्रवाह की सामान्य दिशाओं में, यथासाध्य, लघु कोण बनाते हुए ऐसा करेगा ।

(ग) जलयान, यथासाध्य, यातायात पथों को पार नहीं करेगा परन्तु, यदि ऐसा करना बाध्य हो, तो वह यातायात प्रवाह की सामान्य दिशा में, यथासाध्य, निकटतम समकोण पर पार करेगा ।

(घ) सीधे यातायात द्वारा जिससे निकटवर्ती यातायात पृथक्करण योजना में समुचित यातायात पथ का सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सके, तट के निकट के यातायात क्षेत्रों का प्रसामान्यतः उपयोग न किया जा सके ।

(ङ) पार करने वाले जलयान से भिन्न जलयान ।

(1) तत्काल संकट से बचने के लिए आपाती मामलों; और

(2) पृथक्करण क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने में लगने, के सिवाय प्रसामान्यतः

(च) यातायात पृथक्करण योजनाओं के अन्त भागों के निकटवर्ती क्षेत्रों में नौ परिवहन करने वाला जलयान विशिष्ट सावधानी से नौपरिवहन करेगा ।

(छ) जलयान, यथासाध्य यातायात पृथक्करण योजना या उसके अन्त भागों के निकटवर्ती क्षेत्रों में लंगर नहीं डालेगा ।

(ज) वह जलयान, जो यातायात पृथक्करण योजना का उपयोग नहीं करता है, यथासाध्य विस्तृत अन्तर रखकर उससे बच सकेगा ।

(झ) मछली पकड़ने में लगा जलयान यातायात पथ का अनुसरण करने वाले किसी जलयान के मार्ग में अड़चन न डालेगा ।

(ञ) 20 मीटर से कम लंबाई का जलयान या पाल जलयान यातायात पथ का अनुसरण करने वाले शक्ति-चालित जलयान के सुरक्षित मार्ग में अड़चन डालेगा ।

अनुभाग 2—एक दूसरे के दृष्टिपथ में आने वाले जलयानों का आचरण

नियम 11

लागू होना

इस खण्ड के नियम एक दूसरे के दृष्टिपथ में आने वाले जलयानों को लागू हों।

नियम 12

पाल जलयान

(क) जब दो पाल जलयान एक दूसरे के निकट आ रहे हों और उससे टक्कर की जोखिम हो तो उनमें से एक अपने को दूसरे के मार्ग से निम्नप्रकार से दूर रखेगा :

(1) जब हर जलयान को भिन्न दिशाओं के वात प्रवाह का अनुभव करना पड़ रहा हो तब पत्तनमुख वात वाला जलयान, अपने को दूसरे जलयान के मार्ग से दूर रखेगा।

(2) जब दोनों जलयानों को एक ही दिशा के वात प्रवाह का अनुभव करना पड़ रहा हो तब वह जलयान, जो वाताभिमुख हो अपने को उस जलयान के मार्ग से दूर रखेगा जो अनुवात में हो।

(3) यदि पत्तनमुख वात वाला जलयान वाताभिमुख जलयान को देखता हो और निश्चितता से अवधारित न कर सके कि क्या अन्य जलयान को पत्तनमुख या स्टारबोर्ड की ओर वात का सामना करना पड़ रहा हो तो वह स्वयं को दूसरे के मार्ग से दूर रखेगा।

(ख) इस नियम के प्रयोजनों के लिए वाताभिमुख बाजू वह समझा जाएगा जो उस बाजू, जिस तरफ मुख्य पाल वहन किया जाता हो, के विरुद्ध हो या, खेरवाह वर्दी जलयान के मामले में, वह बाजू समझी जाएगी जो उस बाजू, जिस तरफ बड़ा भारी आगे से पीछे तक पाल वहन किया जा रहा हो, के विरुद्ध हो।

नियम 13

अभिलंघन

(क) इस खंड के नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी अन्य जलयान को अभिलंघन करने वाला कोई जलयान, अपने को अभिलंघित जलयान के मार्ग से दूर रखेगा।

(ख) किसी जलयान को उस दशा में अभिलंघी जलयान समझा जाएगा जब कि दूसरा जलयान उसके घरन के पीछे से 22.5° से अधिक की दिशा से आता हो, अर्थात्, जिस जलयान को वह अभिलंघित कर रहा हो उस के संदर्भ में ऐसी स्थिति में हो कि रात्रि में वह उस अभिलंघित जलयान की केवल पृष्ठभाग की प्रकाश देख सके परन्तु उसकी कोई भी बगल प्रकाश न देख सके।

(ग) जब किसी जलयान को यह शंका हो कि क्या वह दूसरे जलयान को अभिलंघित कर रहा हो या कि नहीं, तो वह यह मान लेगा कि वह अभिलंघन करने की ही स्थिति में हो, और तदनुसार कार्य करेगा।

(घ) दो जलयानों के बीच बियरिंग का कोई पश्चात्वर्ती परिवर्तन अभिलंघी जलयान को, इन नियमों के अर्थ में पार करने वाला जलयान न बनाएगा या तब तक उसे अभिलंघित जलयान से अलग रहने के कर्तव्य से मुक्त नहीं करेगा जब तक कि वह अंतिम रूप से चला नहीं जाता और मार्ग निर्बाध न हो जाए।

नियम 14

परस्पराभिमुख स्थिति

(क) जब दो शक्ति-चालित जलयान पारस्परिक या लगभग पारस्परिक दिशा में मिलते हों और उससे टक्कर की जोखिम हो तो हर एक अपनी दिशा स्टारबोर्ड की ओर परिवर्तित करेगा ताकि प्रत्येक एक दूसरे के पत्तन की ओर निकल जाये।

(ख) जब एक जलयान दूसरे जलयान को आगे की ओर या लगभग आगे की ओर देखता है और रात के समय वह दूसरे की मस्तूल प्रकाश एक रेखा में या लगभग एक रेखा में और/या दोनों पार्श्व प्रकाश देख सकता है तथा दिन के समय वह दूसरे जलयान के तत्सामानपहलू को देख सकता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसी स्थिति विद्यमान है।

(ग) जब किसी जलयान को यह शंका है कि क्या ऐसी स्थिति विद्यमान है या कि नहीं तो वह यह मान लेगा कि ऐसी स्थिति विद्यमान है और तदनुसार कार्यवाई करेगा।

नियम 15

पारक स्थिति

जब दो शक्ति-चालित जलयान पार करते हों और उससे टक्कर की जोखिम हो तो वह जलयान जिसकी स्वयं अपने स्टारबोर्ड की ओर दूसरा जलयान है अपने को दूसरे जलयान के मार्ग से दूर रखेगा और यदि घटना की परिस्थितियां मान्य करें को वह दूसरे जलयान से आगे की ओर जाने से बचेगा।

नियम 16

मार्ग से हटने वाले जलयान द्वारा कार्यवाई

प्रत्येक जलयान जिसे इन नियमों द्वारा दूसरे जलयान के मार्ग से हटने के लिये निदेश दिया गया है यावत्संभव मार्ग पूर्ण निर्बाध रखने के लिये शीघ्र और सारवान कार्यवाई करेगा।

नियम 17

मार्गाधिकारी जलयान द्वारा कार्यवाई

(क) (i) जहां इन नियमों के किसी नियम द्वारा दो जलयानों में से एक को मार्ग दूर रखना होता है वहां दूसरा अपनी दिशा तथा गति जारी रखेगा :

(ii) तथापि जैसे ही दूसरे जलयान को स्पष्ट हो जाता है कि जिस जलयान से मार्ग से दूर रहना अपेक्षित है वह इन नियमों के अनुपालन में समुचित कार्यवाई नहीं कर रहा है तो वह टक्कर से बचने के लिये अकेले ही अपनी स्थिति परिवर्तन द्वारा कार्यवाई कर सकेगा।

(ख) जब वह जलयान जिससे अपनी दिशा और गति जारी रखने की अपेक्षा की गई है किसी कारणवश अपने को इतने निकट पाया है कि केवल मार्ग से हटने वाले जलयान की कार्यवाई से टक्कर से बचा नहीं जा सकता तो वह ऐसी कार्यवाई करेगा जो टक्कर से बचने के लिये सर्वोत्तम सहायता देगी।

(ग) वह शक्ति चालित जलयान जो दूसरे शक्ति-चालित जलयान से टक्कर से बचने के लिये इस नियम के उप-पैरा (क) (ii) के अनुसार पारको स्थिति में कार्यवाई करता है यदि घटना की परिस्थितिया मान्य करे तो ऐसे जलयान के लिये जो अपने पत्तन की ओर है अपने पत्तन तक जाने के लिये दिशा परिवर्तित नही करेगा।

(घ) यह नियम मार्ग से हटने वाले जलयान को मार्ग से दूर रहने की उसकी बाध्यता मुक्त नही करता।

नियम 18

जलयानों के एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व

वहां के सिवाय जहां नियम 9, 10 और 13 मे अन्यथा अपेक्षित है :—

(क) मार्गस्थ शक्ति-चालित जलयान .

(i) ऐसे जलयान के जो कमान के अधीन नही है ,

(ii) ऐसे जलयान के जो स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में निर्बन्धित है ;

(iii) ऐसे जलयान के जो मछली पकड़ने में लगा है;

(iv) पाल जलयान के,

मार्ग से अपने को दूर रखेगा।

(ख) मार्गस्थ पाल जलयान :

(i) ऐसे जलयान के जो कमान के अधीन नही है;

(ii) ऐसे जलयान के जो स्थिति के परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में ऐसे जलयान के जो मछली पकड़ने में लगा है,

मार्ग से अपने को दूर रखेगा।

(ग) मछली पकड़ने में लगा जलयान जब मार्गस्थ हो

(i) ऐसे जलयान के जो कमान के अधीन नहीं है;

(ii) ऐसे जलयान के जो अपनी स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता में निर्बन्धित है,

मार्ग से अपने को दूर रखेगा।

(घ) (i) यदि घटना की परिस्थितियां मान्य करें तो ऐसा कोई जलयान जो उस जलयान से भिन्न है जो कमान के अधीन नही है या जो स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में निर्बन्धित है नियम 28 के संकेत दिखा कर अपने दुबाव से निरुद्ध जलयान के सुरक्षित मार्ग में अड़चन न डालेगा;

(ii) ऐसा जलयान जो अपने दुबाव के कारण निरुद्ध है अपनी विशेष स्थिति को पूर्णत ध्यान में रखते हुए विशिष्टि सावधानी के साथ नौपरिवहन करेगा।

(ङ) ऐसा समुद्री विमान जो समुद्र पर है सामान्यत: सभी जलयानों से पूर्ण निबंधि रहेगा और उनके नौपरिवहन में अड़चन नही डालेगा। तथा तथापि ऐसी परिस्थितियों में जहां टक्कर का खतरा विद्यमान है वह इस भाग के नियमों का अनुपालन करेगा।

अनुभाग—iii—निर्बन्धित दृश्यता की दशा में जलयानों का आचरण।

नियम 19

(क) यह नियम ऐसे जलयानो को लागू होता है जो एक दूसरे को उस दशा म दृष्टिगोचर नही होते है जबकि वे निर्बन्धित दृश्यता के क्षेत्र में या उसके निकट नौपरिवहन कर रहे हों।

(ख) प्रत्येक जलयान निर्बन्धित दृश्यता की विद्यमान परिस्थितियो और दशाओ के अनुकूल सुरक्षित गति से आगे बढ़ेगा। शक्ति-चालित जलयान के इंजन तुरन्त स्थिति परिवर्तन के लिये तैयार रहेंगे।

(ग) प्रत्येक जलयान जब वह इस भाग के खंड 1 के नियमों का अनुपालन कर रहा हो निर्बन्धित दृश्यता की विद्यमान परिस्थितियों और दशाओं का सम्पर्क ध्यान रखेगा।

(घ) ऐसा जलयान जो दूसरे जलयान की उपस्थिति का केवल रडार द्वारा पता लगाता है यह अवधारित करेगा कि क्या निकट मुठभेड की स्थिति बढ रही है और क्या टक्कर का खतरा विद्यमान है। यदि ऐसा हो तो वह पर्याप्त समय मे बचने की कार्यवाई करेगा परन्तु जब ऐसी कार्यवाई में दिशा-परिवर्तन भी आता हो तो निम्नलिखित से यथासभव बचा जाएगा :

(i) अभिप्रधीन किए जाने वाले जलयान से भिन्न बीम के आगे जाने वाले जलयान के सबंध में पत्तन की ओर जाने वाली दिशा में परिवर्तन;

(ii) बीम के आगे या पीछे की ओर के जलयान की ओर दिशा परिवर्तन।

(ङ) सिवाय वहा के जहां यह अवधारित किया गया है कि टक्कर की जोखिम विद्यमान नही है प्रत्येक जलयान जो अपने बीम के आगे के अन्य जलयान का कोहरा संकेता स्पष्ट रूप से सुनता है या जो अपने बीम के आगे के अन्य जलयान के साथ निकट मुठभेड़ से नही बच सकता है अपनी ऐसी न्यूनतम गति करेगा जिस पर वह अपनी दिशा की ओर चल सकेगा और यदि आवश्यक हो तो वह अपने समस्त मार्ग से दूर रहेगा और किसी भी दिशा में तब तक वह अत्यन्त सावधानी के साथ नौपरिवहन करेगा जब तक टक्कर का खतरा टल नही जाता।

भाग—ग—प्रकाश और आकृतिया

नियम 20

लागू होना

(क) इस भाग के नियमो का अनुपालन सभी मौसमों मे किया जाएगा।

(ख) प्रकाशों सबधित नियमों का अनुपालन सूर्यास्त से सूर्योदय तक किया जाएगा और ऐसे समयों के बीच ऐसे प्रकाशो के जो इन नियमों मे विनिर्दिष्ट प्रकाशों से अन्यथा नही समझे जा सकते है या उनकी दृश्यता या विशिष्ट लक्षणो को क्षीण नही करते है या समुचित अवलोप रखने में हस्तक्षेप नही करती है वे सिवाय कोई अन्य प्रकाश नही प्रदर्शित किए जाएगे।

(ग) इन नियमों द्वारा विहित प्रकाश भी यदि साथ ही निर्बन्धित दृश्यता में सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रदर्शित किए जायेंगे और जब यह आवश्यक समझा जाए तब अन्य सभी परिस्थितियों में प्रदर्शित किए जा सकेंगे।

(घ) आकृतियों से संबंधित नियमों का अनुपालन दिन में किया जाएगा।

(ङ) इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रकाश और आकृतियां इन विनियमों का उपाबंध 1 के उपबंधों का अनुपालन करेंगी।

हनयत

नियम 21

परिभाषाएं

(क) "मस्तूल प्रकाश" से ऐसा सफेद प्रकाश अभिप्रेत है जो जलयान के आगे से पीछे तक की मध्य रेखा पार रखी जाती है और 225° के क्षैतिज चाप के ऊपर निरन्तर प्रकाश दिखाता है और इस प्रकार लगाया जाता है जिससे प्रकाश ठीक सामने से बीम के पीछे की ओर 22.5° पर जलयान के दोनों पार्श्वों में से किसी ओर प्रकाश दिखाई दे।

(ख) "पार्श्व प्रकाश" से सी स्टारबोई का हरा प्रकाश और पत्तन बाजू का लाल प्रकाश अभिप्रेत है और प्रत्येक 112.5° के क्षैतिज चाप के ऊपर निरन्तर प्रकाश दिखाता है और इस प्रकार लगाया जाता है जिससे वह ठीक सामने से बीम के पीछे की ओर 22.5° पर उसके दोनों पार्श्व की ओर दिखायी दे। 20 मीटर से कम लंबाई के जलयान में पार्श्व प्रकाश जलयान के आगे पीछे मध्य की रेखा पर वहन किये गए एक लालटेन में संयुक्त की जा सकेगी।

(ग) "पृष्ठभाग प्रकाश" से ऐसा सफेद प्रकाश अभिप्रेत है जो यथा साध्य निकटतम पृष्ठभाग पर रखा जाता हो और 135° के क्षैतिज चाप के ऊपर निरन्तर प्रकाश दिखाता है और इस प्रकार लगाया जाता है जिससे ठीक पीछे से 67.5° पर जलयान के प्रत्येक ओर प्रकाश दिखाई दे।

(घ) "नौकर्षण प्रकाश" से ऐसा पीला प्रकाश अभिप्रेत है जिसके लक्षण वही होंगे जो इस नियम के पैरा (ग) में परिभाषित "पृष्ठभाग प्रकाश" के हैं।

(ङ) "चारों ओर से दिखाई देने वाला प्रकाश" से ऐसा प्रकाश अभिप्रेत है जो 360° के क्षैतिज चाप के ऊपर निरन्तर प्रकाश दिखाता है।

(च) "कौंध प्रकाश" से ऐसा प्रकाश अभिप्रेत है जो प्रति मिनट 120 या उससे अधिक कौंध की आवृत्ति पर नियमित अन्तराल पर कौंध जाता है।

नियम 22

प्रकाशों की दृश्यता

इन नियमों में विहित प्रकाशों की तीव्रता वह होगी जो इन विनियमों के उपाबंध 1 के अनुभाग 8 में यथा विनिर्दिष्ट है जिससे निम्न न्यूनतम दूरियों पर दृश्यमान हो सके :

(क) 50 मीटर या उससे अधिक लंबाई के जलयानों में :

————एक मस्तूल प्रकाश	6 मील;
————एक पार्श्व प्रकाश	3 मील;
————एक पृष्ठभाग का प्रकाश,	3 मील;
————एक नौकर्षण प्रकाश,	3 मील;

(ख) 12 मीटर या उससे अधिक परन्तु 50 मीटर से कम लंबाई के जलयानों में :

————एक मस्तूल प्रकाश, 5 मील, सिवाय उसके जहां कि जलयान की लंबाई 20 मीटर से कम हो, वहां 3 मील,	
————एक पार्श्व प्रकाश,	2 मील;
———— एक पृष्ठभाग प्रकाश	2 मील;
————एक नौकर्षण प्रकाश	2 मील;
————चारों ओर से दिखाई देने वाला एक सफेद लाल, हरा या पीला प्रकाश	2 मील,

(ग) 12 मीटर से कम लंबाई के जलयानों में :

————एक मस्तूल प्रकाश	2 मील;
————एक पार्श्व प्रकाश	1 मील;
————एक पृष्ठभाग का प्रकाश	2 मील;
————एक नौकर्षण प्रकाश	2 मील;
————चारों ओर से दिखाई देने वाला एक सफेद, लाल, हरा या पीला प्रकाश,	2 मील।

नियम 23

मार्गस्थ शक्ति चालित जलयान

(क) मार्गस्थ शक्ति चालित जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(i) एक अग्र मस्तूल प्रकाश,

(ii) एक अग्र मस्तूल प्रकाश के पीछे और उससे अधिक ऊंचाई पर द्वितीय मस्तूल प्रकाश, सिवाय इसके कि 50 मीटर से कम लंबाई का जलयान ऐसा प्रकाश प्रदर्शित करने के लिये बाध्य नहीं होगा परन्तु वह ऐसा कर सकता है;

(iii) पार्श्व प्रकाश;

(iv) एक पृष्ठभाग प्रकाश,

(ख) वायु तत्व जलयान जब वह अविस्थापन ढंग से प्रचालन करता है, इस नियम के पैरा (क) में विहित प्रकाशों के अतिरिक्त चारों ओर कौंध जाने वाला एक पीला प्रकाश प्रदर्शित करेगा;

(ग) 7 मीटर से कम लंबाई का शक्ति चालित जलयान जिसकी अधिकतम गति 7 नाट से अधिक न हो, इस नियम के पैरा (क) में विहित प्रकाशों के बदले में चारों ओर से दिखाई देने वाला एक सफेद प्रकाश प्रदर्शित कर सकेगा यदि साध्य हो, तो ऐसा जलयान पार्श्व प्रकाश भी प्रदर्शित करेगा।

नियम 24

नौकर्षण तथा ढकेलना

(क) जब शक्ति चालित जलयान नौकर्षण करता है तब वह नियम निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(i) नियम 23 (क) (i) में विहित प्रकाश के बदले एक खड़ी रेखा में दो अग्र मस्तूल प्रकाश जब नौकर्षण की लंबाई, नौकर्षण करने वाले जलयान के पृष्ठभाग से नौकर्षण के दूसरे अंत तक मापने पर 200 मीटर से अधिक हो, तब एक खड़ी रेखा में ऐसे तीन प्रकाश,

(ii) पार्श्व प्रकाश ;

(iii) पृष्ठभाग प्रकाश;

(iv) पृष्ठभाग प्रकाश के ऊपर एक खड़ी रेखा में एक नौकर्षण प्रकाश;

(v) जब नौकर्षण की लंबाई 200 मीटर से अधिक हो, तब एक विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति जहां से वह स्पष्ट दिखायी दे।

(ख) जब ढकेलने वाला जलयान और आगे ढकेले जाने वाला जलयान एक संयुक्त एकक में दृढ़ता से संलग्न होते है तब वे एक शक्ति चालित जलयान के रूप में माने जाएंगे और नियम 23 में विहित प्रकाश प्रदर्शित करेंगे।

(ग) शक्ति चालित जलयान जब आगे ढकेलता है या बाजू में नौकर्षण करता है, तब वह संयुक्त एकक के मामले में के सिवाय निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(i) नियम 23 (क) (i) में विहित प्रकाश के स्थान पर एक खड़ी रेखा में दो अग्र मस्तूलप्रकाश,

(ii) पार्श्व प्रकाश,

(iii) एक पृष्ठ भाग प्रकाश।

(घ) शक्ति चालित जलयान, जिसे इस नियम के पैरा (क) और (ग) लागू होते है, नियम 23 (क) (ii) का भी अनुपालन करेगे।

(ङ) नौकर्षित किया जाने वाला जलयान या वस्तु निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा .

(i) पार्श्व प्रकाश;

(ii) एक पृष्ठभाग प्रकाश,

(iii) जब नौकर्षण की लंबाई 200 मीटर से अधिक हो, तब एक विषमकोण समचतुर्भुज की आकृति वहां, जहां से वह स्पष्ट दिखायी दे।

(च) परन्तु एक समूह में नौकर्षित या ढकेले जाने वाले कई जलयानों को एक जलयान मानकर प्रकाशित किया जायेगा :

(i) आगे ढकेले जाने वाला, जलयान, जो संयुक्त एकक का भाग न हो, अगले भाग के अंत में, पार्श्व प्रकाश प्रदर्शित करेगा ;

(ii) बाजू में नौकर्षित होने वाला जलयान एक पृष्ठभाग की प्रकाश और अगले भाग के अंत में, पार्श्व प्रकाश प्रदर्शित करेगा।

(छ) जहां किसी पर्याप्त कारण से नौकर्षित किए जाने वाले जलयान या वस्तु के लिये इस नियम के पैरा (ङ) में विहित प्रकाश प्रदर्शित करना असाध्य हो, वहां नौकर्षित किए गए जलयान या वस्तु को प्रकाशित करने का कम-से-कम अप्रकाशित जलयान या वस्तु की उपस्थिति उपदर्शित करने के लिये सभी संभव उपाय किए जायेंगे।

नियम 25

मार्गस्था पाल जलयान तथा चप्पूओं से चलने वाले जलयान

(क) मार्गस्थ पाल जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(i) पार्श्व प्रकाश;

(ii) एक पृष्टभाग प्रकाश।

(ख) 12 मीटर से कम लंबाई के पाल जलयान में इस नियम के पैरा (क) में विहित प्रकाश मस्तूल के सिरे पर या उसके निकट लगाये जाने वाले एक लालटेन में वहां संयुक्त किया जा सकेगा, जहां से वह स्पष्ट दिखायी दे।

(ग) मार्गस्थ पाल जलयान, इस नियम के पैरा (क) में विहित प्रकाश के अतिरिक्त, चारों ओर से दिखाई देने वाली एक खड़ी रेखा में दो प्रकाश, जिनमें से ऊपर का प्रकाश लाल और नीचे का प्रकाश हरा होगा, मस्तूल या उसके निकट वहां प्रदर्शित कर सकेगा जहां से वे स्पष्ट दिखायी दे, परन्तु ये प्रकाश इस नियम के पैरा (ख) द्वारा अनुज्ञेय संयुक्त लालटेन के सहयोजन में नहीं प्रदर्शित किए जायेंगे।

(घ) (i) यदि साध्य हो तो, 7 मीटर से कम ऊंचाई का पाल जलयान, इस नियम के पैरा (क) या (ख) में विहित प्रकाश प्रदर्शित करेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो, उस जलयान में सफेद प्रकाश दिखाने वाली पूर्णत: तैयार एक विद्युत् टार्च या प्रकाश लालटेन तैयार रखी जाएगी जिसे टक्कर को निवारित करने के लिये पर्याप्त समय में प्रदर्शित किया जायेगा;

(ii) चप्पूओं से चलने वाला जलयान, इस नियम में पाल जलयान के लिये विहित प्रकाश प्रदर्शित कर सकेगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे तो उस जलयान में सफेद प्रकाश दिखाने वाली पूर्णत: तैयार एक विद्युत् टार्च या लालटेन रखी जायेगी जिसे टक्कर को निवारित करने के लिये पर्याप्त समय में प्रदर्शित किया जायेगा।

(ङ) पाल से चलने वाला जलयान जब मशीनरी से भी नोदित होता है, तब वह अग्र भाग को, जहां से वह स्पष्ट दिखायी दे, शंकु की आकृति में, जिसका शीर्ष नीचे हो, प्रदर्शित करेगा।

नियम 26

मछली पकड़ने वाले जलयान

(क) मछली पकड़ने मे लगा जलयान, चाहे मार्गस्थ हो या लंगर डाले हुए हो, केवल वही प्रकाश और आकृतिया प्रदर्शित करेगा जो इस नियम में निहित है।

(ख) जलयान जब ट्रालिंग मे लगा हुआ हो, अर्थात् जो ऐसे निकर्षण जाल या अन्य साधित्र जो मछली पकड़ने वाले साधित्र के रूप मे प्रयुक्त होता है, पानी से घसीटने मे लगा हो, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा।

(1) एक खडी रेखा में चारो ओर दिखाई देने वाले दो प्रकाश जिनमे से ऊपर का प्रकाश हरा और नीचे का प्रकाश सफेद होगा या एक ऐसी आकृति होगी जिसमे दो शकु जिनके शीर्ष एक खड़ी रेखा मे एक दूसरे के ऊपर एक साथ होगे, 20 मीटर से कम लबाई के जलयान मे, इस आकृति के स्थान पर टोकरी प्रदर्शित की जा सकती है ।

(2) मस्तूल प्रकाश चारो ओर मे दिखाई देने वाले हरे प्रकाश के पीछे और उससे अधिक ऊचाई पर होगा, 50 मीटर से कम लबाई का जलयान ऐसे प्रकाश प्रदर्शित करने के लिये बाध्य नही होगा, परन्तु वह ऐसा कर सकता है।

(3) पानी मे चलते समय, इस पैरा मे विहित प्रकाशो के अतिरिक्त बगल प्रकाश और पृष्ठ भाग प्रकाश।

(ग) ट्रालिंग से भिन्न मछली पकड़ने में लगा जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा।

(1) एक खड़ी रेखा मे चारो ओर से दिखाई देने वाले दो प्रकाश जिनसे ऊपर का प्रकाश लाल और नीचे का प्रकाश सफेद होगा या एक ऐसी आकृति होगी जिसमे दो शकु जिनके शीर्ष एक खड़ी, एक दूसरे के ऊपर रेखा मे एक साथ होगे, 20 मीटर से कम लबाई के जलयान मे, इस आकृति के स्थान पर टोकरी प्रदर्शित की जा सकती है।

(2) जब दूरस्थ गीयर जलयान मे क्षितिजीयता 150 मीटर से अधिक लबाई का हो, तब चारो ओर से दिखाई देने वाली सफेद प्रकाश होगा या एक शंकु होगा जिसका शीर्ष गीयर की दिशा मे ऊपर की ओर होगा।

(3) पानी मे चलते समय, इस पैरा मे विहित प्रकाशो के अतिरिक्त पार्श्व प्रकाश और पृष्ठ भाग प्रकाश।

(घ) अन्य जलयानो के निकट सामर्थ्य मे मछली पकड़ने मे लगा जलयान, इन विनियमो के उपाबध 2 मे वर्णित अतिरिक्त सकेत प्रदर्शित कर सकेगा।

(ङ) जब जलयान मछली पकड़ने मे नही लगा हो तब वह इस नियम मे विहित प्रकाश या आकृतिया नही प्रदर्शित करेगा परन्तु केवल उन्ही को प्रदर्शित करेगा जो उसकी लबाई के जलयान के लिये विहित है।

नियम 27

ऐसे जलयान जो कमानाधीन नहीं है या जो स्थिति परिवर्तन करने की क्षमता मे निर्बन्धित है ।

(क) जो जलयान कमानाधीन नही है वह निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(1) एक खडी रेखा मे चारो ओर मे दिखाई देने वाले दो लाल प्रकाश वहा, जहा से वे स्पष्ट दिखाई दे,

(2) एक खडी रेखा मे दो गोल या वैसी ही आकृतिया वहा, जहा से वे स्पष्ट दिखाई दे,

(3) पानी मे चलते समय इस पैरा मे विहित प्रकाश के अतिरिक्त पार्श्व प्रकाश और एक पृष्ठ भाग प्रकाश।

(ख) सुरग भेदने की सक्रियाओ मे लगे जलयान के सिवाय कोई जलयान जो स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता मे निबन्धित है, निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा।

(1) एक खडी रेखा मे चारो ओर से दिखाई देने वाले तीन प्रकाश वहा, जहा से वे स्पष्ट दिखाई दे। इन प्रकाशो मे से सबसे ऊपर का और सबसे नीचे के प्रकाश लाल होगे तथा मध्य प्रकाश सफेद होगा।

(2) एक खड़ी रेखा मे तीन आकृतिया जहा से वे स्पष्ट दिखाई दे। इन आकृतियो मे से सब से ऊपर और सब से नीचे की आकृतियां वृत्ताकार और मध्य की विषमकोण समचतुर्भुज कोण आकृति की होगी,

(3) पानी मे चलते समय उप पैरा (1) मे विहित प्रकाशो के अतिरिक्त मस्तूल प्रकाश, पार्श्व प्रकाश और एक पृष्ठ भाग का प्रकाश,

(4) जब लगर डाले हुए हो तब उप पैरा (1) और (2) मे विहित प्रकाशो या आकृतियो के अतिरिक्त नियम 30 मे विहित प्रकाश या आकृति।

(ग) नौकार्मण-सक्रिया में लगा जलयान, जिसके कारण वह अपने मार्ग मे विचलित होने मे असमर्थ हो जाता है, इस नियम के उप पैरा (ख) (1) और (2) मे विहित प्रकाशो या आकृतियों के अतिरिक्त नियम 24(क) मे विहित प्रकाश या आकृतिया प्रदर्शित करेगा।

(घ) झनाई या जलमग्न सक्रियाओ में लगा जलयान, जब स्थिति परिवर्तन करने की अपनी क्षमता में निर्बन्धित होता है, इन नियम के पैरा (ख) मे विहित प्रकाश और आकृतिया प्रदर्शित करेगा और जब बाधा विद्यमान हो तो इनके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(1) एक खडी रेखा मे चारो ओर से दिखाई देने वाली दो लाल प्रकाश या दो वृत्त वह दिशा उपदर्शित करने के लिये होगे जिस ओर बाधा है,

(2) एक खडी रेखा में चारो ओर से दिखाई देने वाले दो हरे प्रकाश या दो विषमकोण समचतुर्भुज की आकृतिया वह दिशा उपदर्शित करने के लिये होगी जिस ओर अन्य जलयान जा सकेगा,

(3) पानी मे चलते समय इस पैरा मे विहित प्रकाशो के अतिरिक्त मस्तूल प्रकाश, पार्श्व प्रकाश और एक पृष्ठ भाग प्रकाश,

(4) ऐसा जलयान जिसको यह पैरा लागू होता है, जब लगर डाले हुए है, तब वह नियम 30 मे विहित प्रकाश या आकृतियो के स्थान पर उप पैरा (1) और (2) मे विहित प्रकाश या आकृतिया।

(ङ) जब कभी गोता लगाने की सक्रियाओ में लगे जलयान के आकार के कारण इस नियम के पैरा (घ) मे विहित आकृतिया प्रदर्शित करना असाध्य हो जाती है, तब अन्तर्राष्ट्रीय संहिता सकेत 'क' की एक अप्रवर्तनीय प्रतिकृति, जो ऊंचाई मे 1 मीटर से कम न हो, प्रवर्तित की जायेगी, की ओर से उनकी दृश्यता सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जायेगे।

(च) सुरंग भेदन की सक्रियाओं में तथा जलयान, नियम 23 में शक्ति चालित जलयान के लिये विहित प्रकाशों के अतिरिक्त चारों ओर से दिखाई देने वाले तीन हरे प्रकाश या तीन गोले प्रदर्शित करेगा। इन प्रकाश या आकृतियों में से अगले मस्तूल के सिरे पर या उसके निकट और यार्ड के अग्र भाग के हर सिरे पर प्रदर्शित की जाएगी। ये प्रकाश या आकृतियां यह उपदर्शित करेंगी कि किसी अन्य जलयान के लिये इस सुरंग भेदी पोत के पीछे 1,000 मीटर से निकट या किसी भी बगल की ओर 500 मीटर से निकट आना खतरनाक है।

(छ) 7 मीटर से कम लंबाई के जलयानों से इस नियम में विहित प्रकाश प्रदर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ज) इस नियम में विहित संकेत संकटग्रस्त और सहायता चाहने वाले जलयानों के संकेत नहीं है। ऐसे संकेत इन विनियमों के उपाबंध 4 में अन्तर्विष्ट हैं।

नियम 28

निरुद्ध जलयान

अपने ड्राफ्ट के कारण

अपने ड्राफ्ट के कारण निरुद्ध जलयान, नियम 23 में शक्ति चालित जलयानों के लिये विहित प्रकाशों के अतिरिक्त एक खड़ी रेखा में चारों ओर से दिखाई देने वाला या बेलनाकार तीन लाल प्रकाश नहीं प्रदर्शित करेगा जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे।

नियम 29

पायलट जलयान

(क) पायलट के कार्य में लगा जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(1) मस्तूल शीर्ष पर या उसके निकट, एक खड़ी रेखा में चारों ओर से दिखाई देने वाले दो प्रकाश जिनमें से ऊपर का प्रकाश सफेद और नीचे का प्रकाश लाल होगा;

(2) जब मार्गस्थ हो तब इनके अतिरिक्त, बगल प्रकाश और एक पृष्ठ भाग प्रकाश,

(3) जब लंगर डाले हुए हो तब उप पैरा (1) में विहित प्रकाशों के अतिरिक्त लंगर प्रकाश, प्रकाश या आकृति।

(ख) जब मार्गदर्शक जलयान मार्गदर्शन के कार्य में नहीं लगा है तब वह अपनी लंबाई के समान जलयान के लिये विहित प्रकाश या आकृतियां प्रदर्शित करेगा।

नियम 30

लंगर डाले हुए और भूस्थित जलयान

(क) लंगर डाले हुये जलयान वहां निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे :

(1) अग्रभाग में, चारों ओर से दिखाई देने वाली एक सफेद बत्ती या एक गोला,

(2) पृष्ठ भाग में या उसके निकट और उप पैरा (1) में विहित प्रकाश से नीचे के स्तर पर चारों ओर से दिखाई देने वाला एक सफेद प्रकाश।

(ख) 50 मीटर से कम लंबाई का जलयान, इस नियम के पैरा (क) में विहित प्रकाशों के स्थान पर चारों ओर से दिखाई देने वाला एक सफेद प्रकाश वहां प्रदर्शित करेगा जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे।

(ग) लंगर डाले हुए जलयान, और 100 तथा उससे अधिक मीटर की लंबाई वाला जलयान, अपनी डैका को प्रकाशित करने के लिये उपलब्ध कार्यकरण या समतुल्य प्रकाशों का भी उपयोग करेगा।

(घ) भूस्थित जलयान इस नियम के पैरा (क) या (ख) में विहित प्रकाश प्रदर्शित करेगा और इनके अतिरिक्त वहां पर कि निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा जहां से वे स्पष्ट दिखाई दें :

(1) एक खड़ी रेखा में चारों ओर से दिखाई देने वाले दो लाल प्रकाश।

(2) एक खड़ी रेखा में तीन गोले।

(ङ) 7 मीटर से कम लंबाई का जलयान, जब लंगर डाले हुये हो या भूस्थित हो और जब कि वह संकीर्ण जलसारणी, जलमार्ग या लंगर स्थान, या जहां अन्य जलयान प्रसामान्यतः नौ परिवहन करते है, उन स्थानों में या उनके निकट नहीं हो, तब उसमें इस नियम के पैरा (क), (ख) या (घ) में विहित प्रकाश या आकृतियां प्रदर्शित करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

नियम 31

समुद्री विमान

जहां समुद्री विमान के लिये इस भाग के नियमों में विहित लक्षणों की या स्थितियों में प्रकाश और आकृतियां दिखाना असाध्य हो, जहां तक वह संभव हो, वहां तक वैसे ही लक्षणों की और स्थितियों में प्रकाश और आकृतियां प्रदर्शित करेगा।

भाग घ—ध्वनि तथा प्रकाश संकेत

नियम 32

परिभाषाएं

(क) "सीटी" शब्द से ऐसा ध्वनि संकेतन उपकरण अभिप्रेत है, जो विहित सीटियां उत्पन्न करने में समर्थ हो और जो इन विनियमों के उपाबंध 3 में के विनिर्देशों के अनुरूप हो।

(ख) "छोटी सीटी" पद से लगभग एक सेकेण्ड की अवधि की सीटी अभिप्रेत है।

(ग) "लम्बी सीटी" पद से चार से छः सेकण्ड की अवधि की सीटी अभिप्रेत है।

नियम 33

ध्वनि संकेतों के लिए उपस्कर

(क) 12 या उससे अधिक मीटर की लंबाई के जलयान में एक सीटी और एक घंटी की व्यवस्था की जाएगी और 100 या उससे अधिक मीटर की लंबाई के जलयान में, इसके अतिरिक्त, एक बड़ी घंटी की व्यवस्था की जाएगी जिसकी आवाज तथा ध्वनि और घंटी की आवाज तथा ध्वनि में संभ्रांति न हो, सीटी, घंटी और बड़ी घंटी इन विनियमों के उपाबंध 3 में विहित विशिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप हो। घंटी या बड़ी घंटी या दोनों के स्थान पर ऐसा अन्य उपस्कर रखा जा सकेगा जिसका क्रमशः वही संबंधित ध्वनि विशिष्टियां होंगी, परन्तु अपेक्षित संकेतों को करतल ध्वनि सदैव सभाव्य होगी।

(ख) 12 मीटर से कम लंबाई के जलयान को इस नियम के पैरा (क) में विहित ध्वनि संकेतन उपकरण वहन करना बाध्यकर नहीं होगा, परन्तु यदि वह ऐसा न करे, तो उसमें कुछ ऐसे अन्य साधनों की व्यवस्था की जाएगी जो प्रभाव पूर्ण ध्वनि संकेत कर सके।

नियम 34

स्थिति-परिवर्तन और चेतावनी के संकेत

(क) जब जलयान एक दूसरे की दृष्टि में आते हैं, तब मार्गस्थ शक्ति चालित जलयान, इन नियमों के अनुसार तथा प्राधिकृत या अपेक्षित, स्थिति परिवर्तन करते समय, सीटी पर निम्नलिखित संकेतों द्वारा उपस्थिति परिवर्तन को उपदर्शित करेगा :

—एक छोटी सीटी से अभिप्रेत है मैं अपना मार्ग स्टार बोर्ड की ओर बदल रहा हूं,

—दो छोटी सीटियों से यह अभिप्रेत है मैं अपना मार्ग पत्तन की ओर बदल रहा हूं,

—तीन छोटी सीटियों से अभिप्रेत है मैं पृष्ठ भाग का नोदन चला रहा हूं।

(ख) कोई जलयान इस नियम के पैरा (क) में विहित सीटी-संकेतों के साथ प्रकाश-संकेतों का भी प्रबंध कर सकेगा जो स्थिति परिवर्तन किये जाते समय उचित रूप में दोहराए जाएंगे :

(1) इन प्रकाश-संकेतों का निम्नलिखित महत्व होगा :

—एक प्रकाश कौंध से अभिप्रेत है मैं अपना मार्ग स्टारबोर्ड की ओर बदल रहा हूं,

—दो प्रकाश कौंध से अभिप्रेत है मैं अपना मार्ग पत्तन की ओर बदल रहा हूं,

—तीन प्रकाशकौंध से अभिप्रेत है, मैं पृष्ठ भाग का नोदन चला रहा हूं।

(2) प्रत्येक प्रकाश कौंध की अवधि लगभग एक सैकेण्ड की होगी, व प्रकाश कौंधों का अन्तराल लगभग एक सैकेण्ड का होगा, और लगातार संकेतों का अन्तराल दस सैकंड से कम न होगा,

(3) इस संकेत के लिये प्रयुक्त प्रकाश, यदि लगाया जाए, चारों ओर से दिखाई देने वाला सफेद प्रकाश होगा जो कम से कम 5 मील की दूरी से दिखाई दे और उपाबंध 1 के उपबन्धों के अनुरूप होगा।

(ग) जब जलयान संकीर्ण जलमरणी या जलवाह में एक दूसरे की दृष्टि में हों :

(1) तब अन्य जलयान से आगे निकलने का आशय रखने वाला जलयान नियम 9 (ङ) (1) के अनुपालन में अपना आशय अपनी सीटी पर निम्न संकेतों द्वारा उपदर्शित करेगा :

—दो लंबी सीटियों के पश्चात् एक छोटी सीटी जिससे अभिप्रेत है मैं तुम्हारे स्टारबोर्ड की ओर आगे जाने का इच्छुक हूं,

—दो लंबी सीटियों के पश्चात् दो छोटी सीटियां, जिससे अभिप्रेत है मैं तुम्हारे पत्तन की ओर आगे जाने का इच्छुक हूं।

(2) नियम 9 (ङ) (1) के अनुसार अभिधिसित होने वाला जलयान अपनी सीटी पर निम्न संकेतों द्वारा अपनी सहमति उपदर्शित करेगा :

—एक लंबी, एक छोटी, एक लंबी और एक छोटी सीटी, इसी क्रम में।

(घ) जब एक दूसरे की दृश्यता में आने वाले जलयान एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और किसी कारणवश दोनों में से कोई जलयान दूसरे जलयान के आशय या कार्यवाहियां न समझ सके, या उसे यह शंका हो कि अन्य जलयान ने टक्कर से बचने के लिये पर्याप्त कार्रवाई की है या नहीं, तो वह जलयान जिसे शंका हो, तुरन्त अपनी सीटी से पांच छोटी और त्वरित सीटियां देकर तुरन्त ऐसी शंका उपदर्शित करेगा। ऐसे संकेत के अतिरिक्त कम से कम पांच छोटे और त्वरित कोधों के प्रकाश संकेत भी होंगे।

(ङ) जहां अन्य जलयान बीच में आने वाली बाधा से स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, वहां मोड़ या जलमरणी या जलवाह के क्षेत्र की ओर बढ़ने वाला जलयान, लंबी सीटी बजाएगा। ऐसे संकेत का प्रत्युत्तर निकट आने वाले किसी जलयान द्वारा, जबकि वह मोड़ के आसपास में या मध्यवर्ती बाधा के पीछे श्रवण-क्षेत्र में हो, एक लंबी सीटी से दिया जाएगा।

(च) यदि जलयान पर सीटियां 100 मीटर से अधिक अंतर पर लगायी गई हों, तो स्थिति परिवर्तन करने और चेतावनी-संकेत देने के लिये केवल एक ही सीटी का उपयोग किया जायेगा।

नियम 35

निर्बन्धित दृश्यता में ध्वनि-संकेत

निर्बन्धित दृश्यता के क्षेत्र में या उसके निकट वाले दिन में या रात में, जो संकेत इस नियम में विहित हैं वे निम्न प्रकार प्रयुक्त किये जायेंगे :

(क) शक्ति चालित जलयान पानी में चलते समय 2 मिनट से अनधिक अन्तरालों पर एक लंबी सीटी बजाएगा।

(ख) शक्ति-चालित जलयान जब चलते चलते रुक जाए और पानी में आगे न बढ़ पाए, तब वह 2 मिनट से अनधिक के अन्तरालों पर लगातार दो लम्बी सीटी बजाएगा किन्तु इनके बीच का अन्तराल लगभग 2 सैकेण्ड का होगा।

(ग) कमान के अधीन न होने वाला जलयान, स्थिति-परिवर्तन करने की सामर्थ्य में निर्बन्धित जलयान, स्वयं अपने से निरुद्ध जलयान, पाल जलयान, मछली पकड़ने में लगा जलयान और नौकर्षण या दूसरे जलयान को ढकेलने के कार्य में लगा जलयान इस नियम के पैरा (क) या (ख) में विहित संकेतों के बजाए दो मिनट से अधिक के अन्तराल पर लगातार तीन सीटियों, अर्थात् एक लंबी सीटी और उसके पश्चात् दो छोटी सीटियां बजाएगा।

(घ) नौकर्षित जलयान या यदि एक से अधिक जलयान नौकर्षित हों, तो प्रति नौकर्षित जलयान, दो मिनट से अनधिक के अन्तराल पर लगातार चार सीटियां, अर्थात् एक लंबी सीटी के पश्चात् तीन छोटी सीटियां बजाएगा। जब साध्य हो, वह संकेत नौकर्षण करने वाले जलयान द्वारा दिये गये संकेत के तुरन्त पश्चात् दिया जाएगा।

(ङ) जब ढकेलने वाला जलयान और ढकेले जाने वाला जलयान एक साथ संयुक्त दृढ़ता से जुड़े हुए हों तो उन्हें शक्ति चालित जलयान की तरह समझा जायेगा और वे इस नियम के पैरा (क) या (ख) में विहित संकेत देंगे।

(च) लंगर डाला हुआ जलयान, एक मिनट से अनधिक के अन्तराल पर लगभग 5 सैकेन्ड तक तेजी से घंटी बनाएगा। 100 मीटर या उससे अधिक लंबाई के जलयान में उसके अग्रभाग में घंटी बनाई जाएगी और इस घंटी के बनाए जाने के तुरन्त

पश्चात् जलयान के पीछे के भाग में बड़ी घंटी तेजी से लगभग 5 सेकंड तक बजायी जाएगी। लंगर डाला हुआ जलयान, इसके अतिरिक्त निकट आने वाले जलयान को अपनी स्थिति तथा संभाव्य टक्कर की संभावना की सूचना देने के लिये, लगातार तीन सीटियां अर्थात् छोटी एक लंबी और एक छोटी सीटी बजाएगा।

(छ) भूस्थित जलयान घंटी संकेत देगा और यदि अपेक्षित हो, तो वह इस नियम के पैरा (च) में विहित बड़ी घंटी का संकेत देगा तथा इसके अतिरिक्त घंटी के तेजी से बजने से ठीक पहले और पश्चात तीन पृथक और सुभिन्न घंटी ध्वनि करेगा। भूस्थित जलयान, इसके अतिरिक्त समुचित सीटी संकेत देगा।

(ज) 12 मीटर से कम लंबाई के जलयान को उपर्युक्त संकेत देना बाध्यकर नहीं होगा, परन्तु, यदि वह ऐसा न करे, तो वह 2 मिनट से अनधिक के अन्तराल पर कुछ अन्य प्रभावपूर्ण सक्षम ध्वनि संकेत करेगा।

(झ) मार्गदर्शक जलयान जब मार्गदर्शन कार्य में लगा हो, इस नियम के पैरा (क), (ख) या (घ) में विहित संकेतों के अतिरिक्त चार छोटी सीटियों का परिचय-संकेत दे सकेगा।

नियम 36

ध्यान आकर्षित करने के लिये संकेत

यदि दूसरे जलयान का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हो, तो कोई भी जलयान ऐसे प्रकाश या ध्वनि संकेत कर सकेगा जो इन नियमों में अन्यत्र प्राधिकृत कोई अन्य संकेत नहीं समझे जा सकते हों या अपनी सर्चलाइट की बीम को इस प्रकार खतरे की दिशा में कर सकेगा जिससे किसी जलयान को परेशानी न हो।

नियम 37

संकट संकेत

जब कोई जलयान संकट में हो और सहायता चाहता हो, तब वह इन विनियमों के उपबन्ध 5 में विहित संकेतों का उपयोग या प्रदर्शन करेगा।

भाग ङ छूट

नियम 38

छूट

कोई जलयान, (या जलयानों का वर्ग) तब जब कि यह समुद्र में टक्करनिवारण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विनियम, 1960 का अनुपालन करता हो, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व, जिसका नौतल डाला गया हो या जिसका निर्माण तत्सम अवस्था में हो, उसका अनुपालन करने से निम्न प्रकार छूट पा लेंगे।

(क) नियम 22 में विहित दूरियों पर तब तक प्रकाशों का संस्थापन जब तक कि इन विनियमों को लागू करने की तारीख के पश्चात् चार वर्ष न बीत जाएं।

(ख) इन विनियमों के उपाबन्ध 1 के खण्ड 7 में यथाविहित रंग-विनिर्देशों सहित प्रकाशों का तब तक संस्थापन जब तक कि इनको लागू करने की तारीख के पश्चात् चार वर्ष न बीत जाएं।

(ग) साम्राज्यिक से मैट्रिक एकक में और मापकों के पूर्णांक में संपरिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रकाशों के पुनर्स्थापन करने से स्थायी छूट।

(घ) (1) उपबन्ध (क) में विहित बातों के परिणामस्वरूप 150 मीटर से कम लंबाई के जलयान पर मस्तूल प्रकाशों के पुनर्स्थापन करने से स्थायी छूट।

(2) इन विनियमों के उपबन्ध 1 से खण्ड 3 (क) में विहित बातों के परिणाम स्वरूप 150, या उससे अधिक मीटर की लंबाई के जलयान पर मस्तूल प्रकाशों का पुनर्स्थापन, जब तक कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् नौ वर्ष न बीत जाएं।

(ङ) उपाबन्ध 1 के खंड 2 (ख) में विहित बातों के परिणाम स्वरूप मस्तूल-प्रकाशों का पुनर्स्थापन, जब तक कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ वर्ष न बीत जाएं।

(च) उपाबन्ध 1 के खंड (ख) में विहित बातों के परिणाम स्वरूप पार्श्व प्रकाशों का पुनर्स्थापन जब तक इन विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ वर्ष न बीत जाए।

(छ) उपाबन्ध 3 में विहित ध्वनि-संकेत उपकरण की अध्यपेक्षाएं, जब तक कि इन विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ वर्ष न बीत जाएं।

उपाबन्ध 1

प्रकाशों तथा आकृतियों का स्थितिकरण और तकनीकी विवरण

1 परिभाषा :

पद हल के ऊपर की ऊंचाई से परमोच्च डेक ऊपर की ऊंचाई अभिप्रेत है।

2. प्रकाशों का सीधी खड़ी रेखा में स्थितिकरण और अन्तर :

(क) 20 या उससे अधिक मीटर की लंबाई के शक्ति चालित जलयान पर मस्तूल प्रकाश निम्नप्रकार रखे जाएंगे :—

(1) अग्र मस्तूल शीर्ष बत्ती या यदि केवल एक हो मस्तूल शीर्ष बल्ली वहन की गयी हो, तो वह बत्ती हल के ऊपर, 6 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर, और यदि जलयान की चौड़ाई 6 मीटरों से अधिक हो, तो हल के ऊपर ऐसी ऊंचाई पर, जो ऐसी चौड़ाई से कम न हो, तथापि इस प्रकार कि प्रकाश को हल से 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

(2) जब दो मस्तूल शीर्ष प्रकाश वहन किये जाते हैं, तो दूसरा प्रकाश अग्र प्रकाश से सीधी खड़ी दिशा में कम से कम 4.5 मीटर अधिक ऊंचाई पर होगा।

(ख) शक्ति चालित जलयानों के मस्तूल प्रकाशों का सीधी खड़ी दिशा में अन्तर ऐसा होना चाहिए जिसे प्रवाह की सब सामान्य स्थितियों में दूसरा प्रकाश पृष्ठ भाग में देखे जाने पर अग्र प्रकाश के ऊपर और पृथक तथा समुद्र सतह से 1000 मीटर की दूरी पर हो।

(ग) 12 मीटर के परन्तु 20 मीटर से कम लंबाई के शक्ति चालित जलयान का मस्तूल शीर्ष प्रकाश, गनवाल के ऊपर 2.5 मीटर के अन्यून की ऊंचाई पर रखी जायेगी।

(घ) 12 मीटर से कम लंबाई का शक्ति-चालित जलयान सबसे ऊंचा प्रकाश गनवाल के ऊपर 2.5 मीटर से अन्यून की ऊंचाई पर वहन

कर सकेगा। तथापि जब मस्तूल शीर्ष प्रकाश पार्श्वप्रकाशों तथा पृष्ठ-भाग के प्रकाश के अतिरिक्त वहन किये जाते हैं, तब ऐसा मस्तूल शीर्ष प्रकाश बगल प्रकाशों से कम से कम 1 मीटर की ऊंचाई पर वहन किये जायेंगे।

(छ) शक्ति चालित जलयान के लिये विहित दो या तीन मस्तूल शीर्ष प्रकाशों में से एक मस्तूल शीर्ष प्रकाश, जब कि जलयान नौकर्षण या अन्य जलयान को ढकेलने के कार्य में लगा हो, इसी स्थिति में रखे जाएंगे जैसे कि शक्ति चालित जलयान का अग्र मस्तूल शीर्ष प्रकाश रखा जाता है।

(च) सभी परिस्थितियों में, मस्तूल शीर्ष प्रकाश इस प्रकार रखा जाएगा/रखे जायेंगे कि वह वे सभी अन्य प्रकाशों तथा बाधाओं के और स्पष्ट दिखायी देंगे।

(छ) शक्ति चालित जलयान के पार्श्व प्रकाश हल के ऊपर ऐसी ऊंचाई पर रखे जाएंगे जो अग्र मस्तूल शीर्ष प्रकाश की ऊंचाई के तीन चौथाई से अनधिक हो। वे इतने कम ऊंचाई पर नहीं होने चाहियें जिससे कि डैक प्रकाशों में उनसे बाधा न पड़े।

(ज) 20 मीटर से कम लंबाई के शक्ति-चालित जलयान पर पार्श्व प्रकाश, यदि वे संयुक्त लालटेन में वहन किये गये हों, मस्तूल शीर्ष प्रकाश से कम से कम 1 मीटर नीचे रखे जाएंगे।

(झ) जब नियम दो या तीन बत्तीयां एक सीधी खड़ी रेखा में वहन करने के लिये विहित करते हैं तब उनके स्थान निम्नप्रकार होंगे।

(1) तीस मीटर या उससे अधिक लम्बे जलयान में ऐसे प्रकाश दो मीटर के अन्तर पर रखे जाएंगे और वहां के सिवाय जहां नौकर्षण प्रकाश अपेक्षित है, इन प्रकाशों में से सब से नीचे का प्रकाश हल से कम से कम 4 मीटर ऊपर होगा;

(2) 20 मीटरों से कम लम्बाई के जलयान में ऐसे प्रकाश 1 मीटर से अन्यून के अन्तर पर रखे जाएंगे और वहां के सिवाय जहां नौकारण प्रकाश अपेक्षित हो इन प्रकाशों में से सबसे नीचे का प्रकाश ऊपरी पट्टी के कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा।

(3) जब तीन बत्तियां वहन की जाती है, तब वे समान अन्तर पर होंगी।

(ज) मछली पकड़ने वाला जलयान जब वह मछली पकड़ने में लगा हो, के लिये विहित चारों ओर से दिखाई देने वाले दो प्रकाशों से नीचे का प्रकाश पार्श्व प्रकाशों के ऊपर ऐसी ऊंचाई पर होगा जो सीधी खड़ी रेखा में दो प्रकाशों के बीच के अन्तर के दुगने से कम न हो।

(ट) अग्र लंगर प्रकाश जब दो प्रकाश वहन किये जाते है, प्रथम से कम से कम 4.5 मीटर ऊपर होगा। 50 या उससे अधिक मीटर की लंबाई के जलयान पर, यह अग्र लंगर प्रकाश ऊपरी पट्टी कम से कम 6 मीटर ऊपर होगा।

3 प्रकाशों की क्षैतिज स्थितिकरण और उनके बीच का अन्तर

(क) जब शक्ति-चालित जलयान के लिए दो मस्तूल शीर्ष बत्तियां विहित होती है, तब उनमें क्षैतिज दूरी जलयान की लंबाई की आधी से कम नहीं होगी किन्तु यह 100 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अग्र प्रकाश पृष्ठ भाग से जलयान की लंबाई के चौथाई भाग से अधिक दूरी पर नहीं रखा जाएगा।

(ख) 20 या उससे अधिक मीटर की लंबाई के जलयान पर, पार्श्व प्रकाश अग्र मस्तूल प्रकाशों के सामने नहीं रखे जाएंगे। वे जलयान की ओर या उसके पास रखे जाएंगे।

4 मछली पकड़ने के जलयानों, निकर्षकों और अवजल संक्रियाओं में लगे जलयानों के लिए दिशा-सूचक प्रकाशों के स्थानों के विवरण

(क) नियम 26 (ग)(II) में यथा विहित मछली पकड़ने में लगे जलयान से दूरस्थ गीयर का दिग्दर्शक क्षैतिज से समानान्तर 2 मीटर से अन्यून और चारों ओर से दिखाई देने वाले दो लाल और सफेद प्रकाश से 6 मीटर से अनधिक की दूरी पर, रखा जाएगा। यह प्रकाश नियम 26(ग)I/6 में विहित चारों ओर से दिखाई देने वाले सफेद प्रकाश से अनधिक की ऊंचाई पर और बगल प्रकाशों से अन्यून की ऊंचाई पर रखा जाएगा।

(ख) निकर्षण या अवजल संक्रियाओं में लगे जलयान पर, नियम 27 (घ) (I) और (II) में यथाविहित, बाधित बाजू और या जिस पार्श्व से आगे बढ़ना सुरक्षित है, उसे दिखाने के लिए प्रकाश और आकृतियां अधिकतम साध्य क्षैतिज सामानान्तर दूरी पर रखी जाएंगी, किन्तु किसी भी स्थिति में, नियम 27 ख)(I) और (II) में विहित प्रकाशों या आकृतियों से 2 मीटर से कम की दूरी पर नहीं रखी जाएंगी। किसी भी स्थिति में, इन प्रकाशों या आकृतियों में से जो भी अधिक ऊंचाई पर है, वह 27(ग)(I) और (II) में विहित तीन प्रकाशों या आकृतियों में से नीचे के प्रकाश या आकृति से अधिक ऊंचाई पर नहीं होगा।

5 पार्श्व बत्तियों के लिए आवरण

पार्श्व बत्तियों पर ऐसे भीतरी आवरण फिट होंगे जो धूमिल काले रंग के होंगे और इस उपबन्ध के खण्ड 9 की अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों। संयुक्त लालटेन में जिसमें एक सीधे खड़े तन्तु का प्रयोग होगा और हरे एवं लाल खंडों के बीच एक अति संकीर्ण विभाजन होगा, बाहरी आवरण लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

6 आकृतियां

(क) आकृतियां काले रंग की और निम्न आकारों की होंगी :

(i) गेंद का व्यास 0.6 मीटर से कम नहीं होगा।

(ii) शंकु के निचले तल का व्यास 0.6 मीटर से अन्यून होगा और ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होगी,

(iii) बेलन का व्यास कम से कम 0.6 मीटर होगा और ऊंचाई उसके व्यास से दुगनी होगी;

(iv) विषमकोण में उपर्युक्त (ii) में यथा परिभाषित दो शंकु होंगे जिनका समान आधार होगा।

(ख) आकृतियों के बीच की सीधी खड़ी दूरी कम से कम 1.5 मीटर होगी।

(ग) 20 मीटर से कम लंबाई के जलयान में कम परिमितियों की किन्तु जलयान के आकार के अनुपात में आकृतियां प्रयुक्त की जा सकेंगी और बीच की दूरी तदनुसार कम की जा सकेगी।

7 प्रकाशों के रंग विनिर्देश

सभी नौपरिवहन प्रकाशों की वर्णकता निम्नलिखित ऐसे मामलों के अनुसार होगी जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदीप्ति आयोग (सी आई ई) द्वारा प्रत्येक रंग के लिए विनिर्दिष्ट आरेख के क्षेत्र की सीमाओं में आते हों। प्रत्येक रंग के क्षेत्र की सीमाएं कोने में निर्देशांकों द्वारा उपदर्शित करके दी गयी हों जो निम्न प्रकार है :—

(i) सफेद

एक्स	0.525	0.525	0.452	0.310	0.310	0.443
वाई	0.382	0.440	0.410	0.348	0.283	0.382

(ii) हरा .

एक्स	.	0.028	0.009	0.300	0.203
वाई	.	0.385	0.723	0.511	0.356

(iii) लाल

एक्स	.	0.686	0 660	0.735	0.721
वाई	.	0 320	0.320	0.265	0.259

(iv) पीला

एक्स	.	0.612	0.618	0 575	0.575
वाई		0 382	0.382	0.425	0 406

8 प्रकाशों की तीव्रता

(क) प्रकाशो की न्यूनतम ज्योति तीव्रता निम्न सूत्र का उपयोग करते हुए सगणित की जाएगी.

$1 - 3.43 \times 10^{6} \times$ टी $\times$ डी$^{2} \times$ के $-$ डी

जहा 1 उपयोग के योग्य होते हुए केण्डेलाओं में ज्योति तीव्रता है;

टी(T) द्वारा 2×10^{7}—लक्स है;

डी(D) समुद्रीय मीलो मे प्रकाश की दृश्यता की (ज्योति दूरी) दूरी है।

के(K) वायुमण्डलीय पारगमनीयता है।

विहित प्रकाशों के लिए के(K) का मूल्य 0.8 होगा, जिसकी अन्तरक्ष विज्ञान संबंधी दृश्यता लगभग 13 समुद्री मीलों के अनुरूप होगी।

(ख) सूत्र से व्युत्पन्न आंकडों का चुनाव निम्न सारणी में दिया गया है.

समुद्री मीलों में प्रकाश की दृश्यता की दूरी (ज्योति दूरी) डी(D)	कैंडिलों में प्रकाश ज्योति तीव्रता के(K) 0.8 आई(I)
1	2
1	
2	4.3
3	12
4	27
5	52
6	94

टिप्पण.—नौपरिवहन प्रकाशों की अधिकतम ज्योति तीव्रता अनुचित कौंध से बचाने के लिए सीमित होनी चाहिए।

9. क्षैतिज खण्ड

(क) (i) अग्र दिशा में पार्श्व प्रकाश से, जो जलयान पर लगाए गए अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता की अपेक्षा की जाएगी। विहित खण्डों के बीच 1 और 3 अंशों के बीच में माध्य विसगाव तक पहुंचाने के लिए तीव्रताएं कम की जाएंगी।

(ii) पृष्ठ भाग के प्रकाशों और, मस्तूल शीर्ष प्रकाशो और धीम के पीछे 22.5 अंश पर पार्श्व प्रकाशो के लिए, नियम 21 में विहित सीमित क्षेत्रों में, क्षैतिज चाप के ऊपर 5 अंश तक न्यूनतम अपेक्षित तीव्रताओ का अनुरक्षण किया जाएगा विहित क्षेत्रो में 5 अंश से विहित सीमाओ तक तीव्रता 50 प्रतिशत कम की जा सकेगी, विहित सीमाओ के बाहर 5 अंश से अनधिक के माध्य विसगाव तक इसे धीरे धीरे कम किया जाएगा।

(ख) लंगर प्रकाशों के सिवाय जिनके ऊपरी पट्टी के ऊपर असाध्य ऊंचाई पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, चारों ओर से दिखाई देने वाले प्रकाश इस प्रकार स्थापित किए जाएंगे कि 6 अंश से अधिक कोणीय क्षेत्रों के भीतर रहते हुए मस्तूल, उच्च मस्तूल या विन्यासो द्वारा बाधित न हो जाएं ।

10. सीधे खड़े खण्ड

(क) पाल जलयान के प्रकाश को छोड़कर, विद्युत प्रकाशों के सीधे खड़े खण्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि :

(i) क्षतिज के ऊपर 5 अंश से लेकर नीचे 5 अंश तक सभी कोणों से कम से कम अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता बनाई रखी जाए ।

(ii) क्षैतिज के ऊपर 7.5 अंश से लेकर नीचे 7.5 अंश तक कम से कम 60 प्रतिशत अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता बनाई रखी जाए ।

(ख) पाल जलयान की दशा में विद्युत प्रकाशों के सीधे खड़े खण्ड यह सुनिश्चित करेंगे कि

(i) क्षैतिज के ऊपर 5 अंश से लेकर नीचे 5 अंश तक, सभी कोणो से कम से कम अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता बनाई रखी जाए ।

(ii) क्षैतिज के ऊपर 25 अंश से लेकर नीचे 25 अंश तक कम से कम 50 प्रतिशत अपेक्षित न्यूनतम तीव्रता बनाई रखी जाए ।

(ग) विद्युत प्रकाशों से भिन्न प्रकाशों की दशा में इन विनिर्देशों का यथासंभव पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा ।

11. अविद्युत प्रकाशों की तीव्रता

अविद्युत प्रकाश, इस उपाबन्ध के खण्ड 8 में दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम तीव्रताओं का यथासाध्य पालन करेंगे।

12. स्थिति परिवर्तन प्रकाश

इस उपाबन्ध के परा 2(ख) के उपबन्धों के होते हुए भी नियम 34(ख) में वर्णित स्थिति परिवर्तन प्रकाश आगे और पीछे की ओर उसी सीधे खड़े खण्ड में रखे जाएंगे जहां मस्तूल शीर्ष प्रकाश हैं, और जहां साध्य हो, वहां अग्र मस्तूल शीर्ष प्रकाश से कम से कम सीधी खड़ी दिशा में 2 मीटर ऊपर रखा जाएगा परन्तु वह पार्श्व मस्तूल शीर्ष प्रकाश से सीधी खड़ी दिशा में, ऊपर या नीचे 2 मीटर से अन्यून की दूरी पर वहन की जाएगी । ऐसे जलयान पर जिसमे केवल एक ही मस्तूल शीर्ष प्रकाश वहन किया जाता है, स्थिति परिवर्तन प्रकाश, यदि लगाया गया हो, मस्तूल शीर्ष प्रकाश से सीधी खड़ी दिशा में 2 मीटर से अन्यून की ऐसी दूरी पर वह किया जाएगा, जहां से वह स्पष्ट दिखाई दे ।

13. अनुमोदन

लालटेनों और आकृतियों का निर्माण तथा जलयान के पलक पर उनका संस्थापन, उन राज्यों, जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के समुचित प्राधिकारी के समाधान पर रूप मे होगा ।

उपाबन्ध-2

निकट सामीप्य में मछली पकड़ने में लगे मछल पकड़ने के जलयान के लिए अतिरिक्त संकेत ।

1. साधारण

यदि इसमें उल्लिखित प्रकाश नियम 26(घ) के अनुसार प्रदर्शित है, तो उन्हें ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहां से वे स्पष्टतः दिखायी दें। वे कम से कम 0.9 मीटर की दूरी पर होंगे परन्तु नियम 26(ख)(i) और (ग)(i) में विहित प्रकाश से नीचे की ओर प्रकाश क्षैतिज की चारों ओर से कम से कम 1 मील की परन्तु मछली पकड़ने के जलयानों के लिए इन नियमों द्वारा विहित प्रकाशों की दूरी से कम दूरी दिखाई तक देंगे ।

2. ट्रालरों के लिए संकेत

(क) ट्रालिंग में लगे हुए जलयान, चाहे वे डेमरसल या पेलजिक गीयर का उपयोग करते हों, निम्नलिखित प्रदर्शित कर सकेंगे,

(i) अपने जाल फेंकते समय :
एक सीधी खड़ी रेखा में दो सफेद प्रकाश ;

(ii) अपने जाल खींचते समय :
एक सीधी खड़ी रेखा में एक लाल बत्ती के ऊपर एक सफेद बत्ती ;

(iii) जब जाल किसी बाध्य में फंस गया हो :
एक सीधी खड़ी रेखा में दो लाल बत्तियां ।

(ख) युगल ट्रालिंग में लगा हुआ प्रत्येक जलयान निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा :

(i) रात्रि के समय अग्रभाग और युगल के दूसरे जलयान की दिशा की ओर दिशासूचन सर्चलाईट ;

(ii) उनके जाल फेंकते या खींचते समय, या जब उनके जाल किसी बाधा में फस जाते हैं, तब ऊपर नियम 2(क) में विहित बत्तियां ।

3 कोश संपाशकों के लिए संकेत

ऐसे जलयान, को कोष संपास सहित मछली पकड़ने में लगे हों, एक सीधी खड़ी रेखा में दो पीले प्रकाश प्रदर्शित करेगा । ये प्रकाश बारी-बारी से, प्रत्येक सैकंड पर चमकेंगे और वे ज्योति तथा छिपाव अवधि बराबर दिखलाएंगे । ये बत्तियां, केवल तभी प्रदर्शित की जा सकेंगी जब अपने ही मछली पकड़ने के गीयर द्वारा जलयान प्रतिबाधित हो जाता है ।

उपाबन्ध-3

ध्वनि संकेत उपकरणों के तकनीकी विवरण

1. सीटियां

(क) श्रव्यता का आवृत्तियां और दूरी : संकेत की मूल आवृत्ति 70-700 एच जेड की दूरी के भीतर रहेगी । सीटी संकेत श्रव्यता की दूरी, उन्हीं वृत्तियों द्वारा अवधारित की जाएगी, जिसमें मूल और/या एक या अधिक ऐसी उच्च आवर्त्तियां सम्मिलित हो सकेंगी जो 180-700 एच जेड की दूरी (1 प्रतिशत) के भीतर रहती हैं, और जो निम्न पैरा 1(ग) में विनिर्दिष्ट ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करती है।

(ख) मूल आवृत्तियां की सीमाएं :—सी टी संबंधी लक्षणों की विस्तृत निम्न निश्चित करने के लिए, सी०टी० की मूल आवृत्ति निम्न सीमाओं मे रहेगी;

(i) 200 मीटर या उससे अधिक लंबाई के जलयान के लिए 70-200 एच जेड,

(ii) 75 मीटर परन्तु 200 मीटर से कम लंबाई के जलयान के लिए 130-350 एच जेड,

(iii) 75 मीटर से कम लंबाई के जलयान के लिए 250-700 एच जेड ।

(ग) ध्वनी संकेत तीव्रता और श्रव्यता दूरी :—जलयान मे लगाई गई सीटी, सीटी की अधिकतम तीव्रता की दिशा में, और उससे 1 मीटर की दूरी पर, 180-700 एच जेड (1 प्रतिशत) आवृत्तियो की अधिकतम दूरी में, कम से कम एक 5⅓ आक्टेव पट्टी में, निम्न सारणी मे दी गयी समुचित आंकड़ो से अनधिक का ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करेगी ।

जलयान की लंबाई मीटरों में	2×10^5एन/एस^2 2 के संदर्भ में डीबी में 1 मीटर पर 1/3-आक्टेव पट्टी	समुद्री मीलों में श्रव्यता की अधिकतम दूरी
200 या अधिक	143	2
75 परन्तु 200 से कम	138	15
20 परन्तु 75 से कम	130	11
20 से कम	120	0.5

उपर्युक्त सारणी में दी गयी श्रव्यता की अधिकतम दूरी सूचनार्थ है और वह लगभग ऐसी दूरी है जो श्रवण खंबे, (250 एच जड पर केन्द्रित आक्टेव पट्टी में 68 डी बी और 500 एच जड पर केन्द्रित आक्टेव पट्टी में 663 डीबी लिया जाएगा), के पास औसत पृष्ठ भूमि कोलाहल स्तर तथा जलयान के फलक पर प्रशांत बात की स्थितियों में, उस के अग्र अक्ष पर 90 प्रतिशत सुनाई दे होता है व्यवहार में वह अधिकतम दूरी, जहां तक सीटी सुनायी दी जाए, अत्यंत परिवर्तनशील है और सूक्ष्म रूप से मौसम स्थिति पर निर्भर होता है, दिये गए मूल्य प्रारूपिक समझे जाएंगे, परन्तु श्रवण स्तंभ के पास तेज हवा या तीव्र परिवहन कोलाहल स्तर की अवस्था में अधिकतम दूरी बहुत कम हो सकेगी ।

(घ) दिशात्मक गुण :—दिशात्मक सीटी का ध्वनि दबाव स्तर, अक्ष के 45 अंशों के भीतर रहते हुए क्षैतिज क्षेत्र में अक्ष की किसी भी दिशा में ध्वनि दबाव स्तर के नीचे 4 डी बी से अनधिक होगा । क्षैतिज क्षेत्र में, अक्ष पर ध्वनि दबाव स्तर के नीचे, अन्य किसी दिशा में ध्वनि दबा वस्तर 10 डी० बी० से अनधिक होगा, जिससे जिससे किसी भी दिशा में अधिकतम दूरी कम से कम अग्र अक्ष पर की अधिकतम दूरी के आधे के बराबर होगी । ध्वनि दबाव स्तर, उस ⅓ आक्टेव पट्टी में, जिसने दृश्यता की अधिकतम दूरी अवधारित की है, मापा जाएगा

(ङ) सीटियों का स्थितिकरण :—जब किसी जलयान में केवल एक दिशात्मक सीटी, एक ही सीटी के रूप में प्रयुक्त की जाती है तब उसकी अधिकतम तीव्रता, सीधी सामने की दिशा दिखाते हुए स्थापित की जाएगी ।

सीटी जलयान पर यथासाध्य ऊंचाई पर रखी जाएगी जिससे जिस उत्सीर्जत ध्वनि के संबंध में बाधाओं से होने वाले अवरोध को व्यय किया जा सके और कर्मकार की होने वाले श्रव्य नुकसान के जोखिम में कमी की जा सके जिससे कि उत्सर्जित ध्वनि अवरोध को बाधाओं और कर्मचारी वर्ग को संभाव्य श्रवण खतरा कम करे । जलयान के श्रवण स्तंभ के पास के संकेत का ध्वनि दबाव स्तर 110 डी बी (ए) से अनधिक होगा और यथा साध्य 100 डी बी (क) से अधिक नहीं चाहिए ।

(च) एक से अधिक सीटियों का लगाया जाना :—यदि सीटियां 100 मीटर से अधिक दूरी पर लगाई गई हों तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वे साथ-साथ न बजे ।

(छ) संयुक्त सीटी प्रणालियां :—यदि बाधाओं की उपस्थिति के कारण किसी एक संकेत सीटी का ध्वनि क्षेत्र उक्त पैरा 1 (च) में निर्दिष्ट सीटियों में से कोई भी सीटी बहुत कम संकेत स्तर का क्षेत्र पाए तो इस कमी के निवारणार्थ संयुक्त सीटी प्रणाली की सिफारिश की जाती है । नियमों के प्रयोजनार्थ सयुक्त सीटी प्रणाली का एक ही सीटी के रूप में माना जाएगा । संयुक्त प्रणाली की सीटियां 100 मीटर से अनधिक की दूरी पर लगाई जाएंगी और उनके एक साथ बजने का प्रबन्ध किया जाएगा । किसी भी एक सीटी की आवृत्तियां दूसरी की आवृत्तियों से कम से कम 10 एच जेड के अंतर पर होगी।

2. घंटी या बड़ी घंटी

(क) संकेत-तीव्रता :—घंटी या बड़ी घंटी या अन्य उपस्कर जिसके ध्वनि-लक्षण समान हों, मीटर पर 110 डी०बी० से अन्यून ध्वनि दबाव स्तर उत्पन्न करेंगे ।

(ख) घंटी और बड़ी घंटी संसारण प्रतिरोध धातु से सन्निर्मित होगी और स्पष्ट ध्वनि देने वाले आकार की होगी । घंटी के मुंह का व्यास, 20 मीटर से अधिक लंबाई के जलयान के लिए 200 मि० मीटर से अन्यून होगा और 12 से 20 मीटर की लंबाई के जलयान के लिए 200 मि० मीटरों से अन्यून होगा, जहां साध्य हो, वहां सतत बल सुनिश्चित करने के लिए शक्ति चालित घंटी प्रहारक की सिफारिश की जाती है किन्तु हाथ से प्रचालन करना संभव होगा । प्रहारक यात्रा घंटी की मात्रा के 3 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

3. अनुमोदन :

ध्वनि संकेत उपकरणों का सन्निर्माण, उनका पालन और जलयान फलक पर उनका संस्थापन, उस राज्य के जहां जलयान रजिस्ट्रीकृत हो, समुचित प्राधिकारी के समाधान प्रद रूप में होंगे ।

उपाबन्ध 4

संकट-संकेत

1. सयुक्ततः पृथकतः प्रयुक्त या प्रदर्शित निम्नलिखित संकेत, संकट काल और सहायता की आवश्यकता उपदर्शित करेंगे ।

(क) बंदूक या अन्य स्फोटक संकेत, जो लगभग एक मिनट के अन्तराल से किया जाए,

(ख) किसी कोहरा संकेतन उपस्कर से सतता ध्वनि,

(ग) राकेट या शेल, जो कम अन्तराल पर एक समय पर एक चलाते हुए लाल तारे छोड़ रहे हों,

(घ) मोर्स संहिता में (एस ओ एस) समूह में आने वाली रेडियो टेलीग्राफी या अन्य किसी संकेतन उद्गति द्वारा संकेत,

(ङ) रेडियो टेलीग्राफी द्वारा भेजा गया ऐसा संकेत, जिसमें प्रचलित 'मई डिवस' शब्द होंगे,

(च) एन० सी० द्वारा उपदर्शित अन्तर्राष्ट्रीय संकट संकेत संहिता,

(छ) ऐसा संकेत, जिसमें चौकोर झंडे से उपर या नीचे एक गेंद या गेंद के समान कोई वस्तु हो,

(ज) जलयान पर ज्वालाएं (जैसे जलते हुए तार कील के पीपे, तेल के पीपे आदि से)

(झ) जल प्रकाश दिखाने वाली राकेट पेराशूट ज्वाला या हस्ता-चालित ज्वाला ।

(ञ) नारंगी रंग का धुआं दिखाने वाला धुआं-संकेत,

(ट) धीरे-धीरे और बार-बार दोनों ओर फैली भुजाओं को उपर नीचे करना,

(ठ) रेडियो टेलीग्राफ अलार्म संकेत,

(ड) रेडियो टेलीफोन अलार्म संकेत,

(ढ) आपातकालीन स्थिति दर्शक रेडियो बीप द्वारा संकेतों का भेजा जाना ।

2. उपर्युक्त किसी भी संकेता का उपयोग या प्रदर्शन केवल संकट काल और सहायता की आवश्यकता के लिए किया जायगा और किसी अन्य संकेतों का उपयोग, जो किसी उपर्युक्त संकेताओं के लिए संभावित पैदा करें, प्रतिषिद्ध है ।

3. संकेतों की अन्तर्राष्ट्रीय संहिता, वाणिज्य पोत तलाशी तथा बचाव नियम पुस्तक के सुसंगत खण्ड और निम्न संकेतों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है;

(क) नारंगी रंग के कनवास के टुकड़े पर काले रंग का चौकोर और वृत्त या अन्य समुचित चिन्ह (वायु से पहचालन के लिए),

(ख) रंजक-चिन्हक ।

[फाइल संख्या 5-एम० एस०आर० (2)/73/एम०ए०]

दीवान चन्द अहीर, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 25th June, 1975

MERCHANT SHIPPING

G.S.R. 820.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 285 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), and in supersession of the Merchant Shipping (Prevention of Collisions at sea) Regulations, 1962 the Central Government hereby makes the following regulations for the prevention of collisions at sea, namely :—

1.Short title and commencement : (1) These Regulations may be called the Merchant Shipping (Prevention of collisions at Sea) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date on which Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at sea, 1972, done at London on the 20th day of October, 1972, enters into force.

2. Adoption of International Regulations.—The International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, and Annexures annexed thereto, which are set out in the Schedule appended to these regulations, are hereby adopted and they shall be deemed to be regulations framed by the Central Government under section 285 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

SCHEDULE

(See regulation 2)

INTERNATIONAL REGULATION FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972

PART A—GENERAL

RULE 1

Application

(a) These Rules shall apply to all vessels upon the high seas and in all waters connected therewith navigable by seagoing vessels.

(b) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of special rules made by an appropriate authority for roadsteads, harbours, rivers, lakes or inland waterways connected with the high seas and navigable by seagoing vessels. Such special rules shall conform closely as possible to these Rules.

(c) Nothing in these Rules shall interfere with the operation of any special rules made by the Government of any State with respect to additional station or signal lights or whistle signals for ships of war and vessels proceedings under convoy, or with respect to additional station or signal lights for fishing vessels engaged in fishing as a fleet. These additional stations or signal lights or whistle signals shall, so far as possible, be such that they cannot be mistaken for any light or signal authorised elsewhere under these Rules.

(d) Traffic separation schemes may be adopted by the Organisation for the purpose of these Rules.

(e) Whenever the Government concerned shall have determined that a vessel of special construction or purpose cannot comply fully with the provisions of any these Rules with respect to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound-signalling appliances, without interfering with the special function of the vessel, such vessel shall comply with such other provisions in regard to the number, position, range or arc of visibility of lights or shapes, as well as to the disposition and characteristics of sound signalling appliances, as her Government shall have determined to be the closest possible compliance with these rules in respect to that vessel.

RULE 2

Responsibility

(a) Nothing in these Rules shall exonerate any vessel or the owner, master crew thereof, from the consequences of any neglect to comply with these Rules or of the neglect of any precaution which may be required by the ordinary practice of seamen, or by the special circumstances of the case.

(b) In construing and complying with these Rules due regard shall be had to all dangers of navigation and collision and to any special circumstances, including the limitations of the vessels involved which may make a departure from these rules necessary to avoid immediate danger.

RULE—3

General Definitions

For the purpose of these Rules, except where the context otherwise requires :

(a) The word 'vessel" includes every description of water craft, including non-displacement craft and sea planes, used or capable of being used as a means of transportation on water.

(b) The term "power-driven vessel" means any vessel propelled by machinery.

(c) The term "sailing vessel" means any vessel under sail provided that propelling machinery, if fitted, is not being used.

(d) The term "vessel engaged in fishing" means any vessel fishing with nets, lines, trawls or other fishing apparatus which restrict manoeuvrability, but does not include at vessel fishing with trolling lines or other fishing apparatus which do not restrict manoeuvrability.

(e) The word "seaplane" includes any aircraft designed to manoeuvre on the water.

(f) The term "vessel not under command" means a vessel which through some exceptional circumstances is unable to manoeuvre as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of other vessel.

(g) The term "vessel restricted in her ability to manoeuvre" means a vessel which from the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre as required by these Rules and is therefore unable to keep out of the way of another vessel.

The following vessel shall be required regarded as vessel restricted in their ability to manoeuvre :

(i) a vessel engaged in laying, servicing or picking up a navigation mark, submarine cable or pipeline ;

(ii) a vessel engaged in dreadging, surveying or underwater operations ;

(iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway ;

(iv) a vessel engaged in the launching or recovery of aircraft ;

(v) a vessel engaged in minesweeping operations ;

(vi) a vessel engaged in a towing operation such as renders her unable to deviate from her course.

(h) The term "vessel constrained by her draught" means a power-driven vessel which because of her draught in relation to the available depth of water is severely restricted in her ability to deviate from the course she is following.

(i) The word "underway" means that a vessel is not at anchor, or made fast to the shore, or a ground.

(j) The words "length" and "bredth" of a vessel mean her length overall and greatest breadth.

(k) Vessels shall be deemed to be in sight of one another only when one can be observed visually from the other.

(l) The term "restricted visibility" means any condition in which visibility is restricted by fog, mist falling snow, heavy, rainstorms, sandstorms or any other similar causes.

PART B—STEERINK AND SAILING RULES
SECTION I—CONDUCT OF VESSELS IN ANY CONDITION OF VISIBILITY

RULE 4

Application

Rules in this Section apply in any condition of visibility.

RULE 5

Look-out

Every vessel shall at all times maintain a proper look-out by sight and hearing as well as by all available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full appraisal of the situation and of the risk of collision.

RULE 6

Safe speed

Every vessel shall at all times proceed at a safe speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and conditions.

In determining a safe speed the following factors shall be among those taken into account :

(a) By all vessels :

(i) the state of visibility ;

(ii) the traffic density including concentrations of fishing vessels or any other vessels ;

(iii) the manoeuvrability of the vessel with special reference to stopping distance and turning ability in the prevailing conditions ;

(iv) at night the presence of background light such as from shore lights or from back scatter of her own lights ;

(v) the state of wind, sea and current, and the proximity of navigational hazards ;

(vi) the draught in relation to the available depth of water.

(b) Additional, by vessels with operational radar :

(i) the characteristics, efficiency and limitations of the radar equipment ;

(ii) any constraints imposed by the radar range scale in use ;

(iii) the effect on radar detection of the sea state, weather and other sources of interference ;

(iv) the possibility that small vessels, ice and other floating objects may not be detected by radar at an adequate range ;

(v) the number, location and movement of vessels detected by radar;

(vi) the more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of vessels or other objects in the vicinity.

RULE 7

Risk of Collision

(a) Every vessel shall use all available means appropriate to the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt such risk shall be deemed to exist.

(b) Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision and radar plotting or equivalent systematic observation of detected objects.

(c) Assumption shall not be made on the basis of scanty information, especially scanty radar information.

(d) In determining if risk of collision exists the following considerations shall be among those taken into account :

(i) such risk shall be deemed to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably change ;

(ii) such risk may sometimes exist even when on appreciable bearing change is evident, particularly when approaching a very large vessel or a tower when approaching a vessel at close range.

RULE 8

Action to avoid collision

(a) Any action taken to avoid collision shall, if the circumstances of the case admits, be positive, made in ample time and with due regard to the observance of good seamanship.

(b) Any alteration of course and/or speed to avoid collision shall, if the circumstances of the case admit, be large enough to be readily apparent to another vessel observing visually or by radar ; a succession of small alterations of course and/or speed should be avoided.

(c) If there is sufficient sea room, alteration of course along may be the most effective action to avoid a close-quarters situation provided that it is made in good time, is substantial and does not result in another close-quarters situation.

(d) Action taken to avoid collision with another vessel shall be such as to result in passing at a safe distance. The effectiveness of the action shall be carefully checked until the other vessel is finally past and clear.

(e) If necessary to avoid collision or allow more time to assess the situation, a vessel shall slacken her speed or take all way off by stopping or reversing her means of propulsion.

RULE 9

Narrow channels

(a) A vessel proceeding along the course of a narrow channel or fairway shall keep as near to the outer limit of the channel or fairway which lies on her starboard side as is safe and practicable.

(b) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the passage of a vessel which can safely navigate only within a narrow channel or fairway.

(c) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any other vessel navigating within a narrow channel or fairway.

(d) A vessel shall not cross a narrow channel on fairway if such crossing impedes the passage of a vessel which can safely navigate only within such channel or fairway. The latter vessel may use the sound signal prescribed in Rule 34(d) if in doubt as to the intention of the crossing vessel.

(e) (i) In a narrow channel or fairway when overtaking can take place only if the vessel to be overtaken has to take action to permit safe passing, the vessel intending to overtake shall indicate her intention by sounding the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(i). The vessel to be overtaken shall, if in agreement, sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(c)(ii) and take steps to permit safe passing. If in doubt she may sound the signals prescribed in Rule 34(d).

(ii) This Rule does not relieve the overtaking vessel of her obligation under Rule 13.

(f) A vessel nearing a bend or an area of a narrow channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall navigate with particular alertness and caution and shall sound the appropriate signal prescribed in Rule 34(e).

(g) Any vessel shall, if the circumstances of the case admit, avoid anchoring in a narrow channel.

RULE 10

Traffic separation schemes

(a) This Rule applies to traffic separation schemes adopted by the Organisation.

(b) A vessel using a traffic separation scheme shall :

(i) proceed in the appropriate traffic lane in the general direction of traffic flow for that lane ;

(ii) so far as practicable keep clear of a traffic separation line or separation zone ;

(iii) normally join or leave a traffic lane at the termination of the lane, but when joining or leaving from the side shall do so at as small an angle to the general direction of traffic flow as practicable.

(c) A vessel shall so far as practicable avoid crossing traffic lanes, but if obliged to do so shall cross as nearly as practicable at right angles to the general direction of traffic flow.

(d) Inshore traffic zones shall not normally be used by through traffic which can safely use the appropriate traffic lane within the adjacent traffic separation scheme.

(e) A vessel, other than a crossing vessel, shall not normally enter a separation zone or cross a separation line except :

(i) in cases of emergency to avoid immediate danger ;

(ii) to engage in fishing within a separation zone.

(f) A vessel navigating in areas near the terminations of traffic separation schemes shall do so with particular caution.

(g) A vessel shall so far as practicable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its terminations.

(h) A vessel not using a traffic separation scheme shall avoid it by as wide a margin as is practicable.

(i) A vessel engaged in fishing shall not impede the passage of any vessel following a traffic lane.

(j) A vessel of less than 20 metres in length or a sailing vessel shall not impede the safe passage of power-driven vessel following a traffic lane.

SECTION II—CONDUCT OF VESSELS IN SIGHT OF ONE ANOTHER

RULE 11

Application

Rules in this Section apply to vessels in sight of one another.

RULE 12

Sailing vessels

(a) When two sailing vessels are approaching one another, so as to involve risk of collision, one of them shall keep out of the way of the other as follows :

(i) when each has the wind on a different side, the vessel which has the wind on the port side shall keep out of the way of the other ;

(ii) when both have the wind on the same side, the vessel which is to windward shall keep out of the way of the vessel which is to leeward;

(iii) if a vessel with the wind on the port side sees a vessel to windward and cannot determine with certainty whether the other vessel has the wind on the port or on the starboard side, she shall keep out of the way of the other.

(b) For the purposes of this Rule the windward side shall be deemed to be the side opposite to that on which the mainsail is carried or, in the case of a squarerigged vessel, the side opposite to that on which the largest fore- and aft sail is carried.

RULE 13

Overtaking

(a) Notwithstanding anything contained in the Rules of this Section any vessel overtaking any other shall keep out of the way of the vessel being overtaken.

(b) A vessel shall be deemed to be a overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degrees abaft her beam, that is, such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the sternlight of that vessel but neither of her sidelights.

(c) When a vessel is in any doubt as to whether she is overtaking another, she shall assume that this is the case and act accordingly.

(d) Any subsequent alteration of the bearing between the two vessels shall not make the overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these Rules or relieve her of the duty of keeping clear of the overtaken vessel until she is finally past and clear.

RULE 14

Head-on situation

(a) When two power-driven vessels are meeting on reciprocal of nearly reciprocal cources so as to involve risk of collision each shall alter her course to starboard so that each shall pass on the port side of the other.

(b) Such a situation shall be deemed to exist when a vessel sees the other ahead or nearly ahead and by night she could see the masthead lights of the other in a line or nearly in a line and/or both sidelights and by day she observes the correspondings aspect of the other vessel.

(c) When a vessel is in any doubt as to whether such a situation exists she shall assume that it does exist and act accordingly.

RULE 15

Crossing Situation

When two power-driven vessels are crossing so as to involve risk of collision, the vessel which has the other on her own starboard side shall keep out of the way and shall, if the circumstances of the case admit, avoid crossing ahead of the other vessel.

RULE 16

Action by give-way vessel

Every vessel which is directed by these Rules to keep out of the way of another vessel shall, so far as possible, take early and substantial action to keep well clear.

RULE 17

Action by stand-on vessel

(a) (i) Where by any of these Rules one of two vessels is to keep out of the way the other shall keep her course and speed.

(ii) The latter vessel may, however, take action to avoid collision by her manoeuvre alone, as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these Rules.

(b) When, from any cause, the vessel required to keep her course and speed finds herself so close that collision cannot be avoided by the action of the give-way vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision.

(c) A power-driven vessel which takes action in a crossing situation in accordance with sub-paragraph (a)(ii) of this Rule to avoid collision with another power-driven vessel shall, if the circumstances of the case admit, not alter course to port for a vessel on her own port side.

(d) This Rule does not relieve the give-way vessel of her obligation to keep out of the way.

RULE 18

Responsibilities between vessels

Except where Rules 9, 10 and 13 otherwise require:

(a) A power-driven vessel under-way shall keep out of the way of:

(i) a vessel not under command;

(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;

(iii) a vessel engaged in fishing;

(iv) a sailing vessel.

(b) A sailing vessel under-way shall keep out of the way of:

(i) a vessel not under command;

(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre;

(iii) a vessel engaged in fishing:

(c) A vessel engaged in fishing when under-way shall, so far as possible, keep out of the way of:

(i) a vessel not under command;

(ii) a vessel restricted in her ability to manoeuvre.

(d) (i) Any vessel other than a vessel not under command or a vessel restricted in her ability to manoeuvre shall, if the circumstances of the case admit, avoid impeding the safe passage of a vessel constrained by her draught, exhibiting the signals in Rule 28.

(ii) A vessel constrained by her draught shall navigate with particular caution having full regard to her special condition.

(e) A seaplane on the water shall, in general, keep well clear of all vessels and avoid impeding their navigation. In circumstances, however, where risk of collision exists, she shall comply with the Rules of this Part.

SECTION III—CONDUCT OF VESSELS IN RESTRICTED VISIBILITY

RULE 19

Conduct of vessels in restricted visibility

(a) This rule applies to vessels not in sight of one another when navigating in or near an area of restricted visibility.

(b) Every vessel shall proceed at a safe speed adapted to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility. A power-driven vessel shall have her engines ready for immediate manoeuvre.

(c) Every vessel shall have due regard to the prevailing circumstances and conditions of restricted visibility when complying with the Rules of Section I of this Part.

(d) A vessel which detects by radar alone the presence of another vessel shall determine if a close-quarters situation is developing and/or risk of collision exists. If so, she shall take avoiding action in ample time, provided that when such action consists of an alteration of course, so far as possible the following shall be avoided:

(i) an alteration of course to port for a vessel forward of the beam, other than for a vessel being overtaken;

(ii) an alteration of course towards a vessel abeam or abaft the beam.

(e) Except where it has been determined that a risk of collision does not exist, every vessel which hears apparently forward of her beam the fog signal of another vessel, or which cannot avoid a close-quarters situation with another vessel forward of her beam, shall reduce her speed to the minimum at which she can be kept on her course. She shall, if necessary, take all her way off and in any event navigate with extreme caution until danger of collision is over.

PART C—LIGHTS AND SHAPES

RULE 20

Application

(a) Rules in this Part shall be complied with in all weathers.

(b) The Rules concerning lights shall be complied with from sunset to sunrise, and during such times no other lights shall be exhibited, except such lights as cannot be mistaken for the lights specified in these Rules or do not impair their visibility or distinctive character, or interfere with the keeping of a proper look-out.

(c) The lights prescribed by these Rules shall, if carried, also be exhibited from sunrise to sunset in restricted visibility and may be exhibited in all other circumstances when it is deemed necessary.

(d) The Rules concerning shapes shall be complied with by day.

(e) The lights and shapes specified in these Rules shall comply with the provisions of Annex I to these Regulations.

RULE 21

Definitions

(a) "Masthead light" means a white light placed over the fore and aft centreline of the vessel showing an unbroken light over an arc of the horizon of 22.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on either side of the vessel.

(b) "Sidelights" means a green light on the starboard side and a red light on the port side each showing an unbroken light over an arc of the horizon of 112.5 degrees and so fixed as to show the light from right ahead to 22.5 degrees abaft the beam on its respective side. In a vessel of less than 20 metres in length the sidelights may be combined in one lantern carried on the fore and aft centreline of the vessel.

(c) "Sternlight" means a white light placed as nearly as practicable at the stern showing an unbroken light over an arc of the horizon of 135 degrees and so fixed as to show the light 67.5 degrees from right aft on each side of the vessel.

(d) "Towing light" means a yellow light having the same characteristics as the "sternlight" defined in paragraph (c) of this Rule.

(e) "All round light" means a light showing an unbroken light over an arc of the horizons of 360 degrees.

(f) "Flashing light" means a light flashing at regular intervals at a frequency of 120 flashes or more per minute.

RULE 22

Visibility of Lights

The lights prescribed in these Rules shall have an intensity as specified in Section 8 of Annex I to these Regulations so as to be visible at the following minimum ranges:

(a) In vessels of 50 metres or more in length:
— a masthead light, 6 miles;
— a sidelight, 3 miles;
— a sternlight, 3 miles;
— a towing light, 3 miles;

(b) In vessels of 12 metres or more in length but less than 50 metres in length:
— a masthead light, 5 miles; except that where the length of the vessel is less than 20 metres, 3 miles;
— a sidelight, 2 miles;
— a sternlight, 2 miles;
— a towing light, 2 miles;
— a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.

(c) In vessels of less than 12 metres in length:
— a masthead light, 2 miles;
— a sidelight, 1 mile;
— a sternlight, 2 miles;
— a towing light, 2 miles;
— a white, red, green or yellow all-round light, 2 miles.

RULE 23

Power-driven vessels underway

(a) A power driven vessel underway shall exhibit:

(i) a masthead light forward;

(ii) a second masthead light abaft of and higher than the forward one; except that a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such light but may do so;

(iii) Sidelights;

(iv) a sternlight.

(b) An air-cushion vessel when operating in the non-displacement mode shall, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit an all-round flashing yellow light.

(c) A power-driven vessel of less than 7 metres in length and whose maximum speed does not exceed 7 knots may, in lieu of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit an all-round white light. Such vessel shall, if practicable, also exhibit sidelight;

RULE 24

Towing and pushing

(a) A power-driven vessel when towing shall exhibit:

(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i), two masthead lights forward in a vertical line. When the length of the tow measuring from the stern of the towing vessel to the after end of the tow exceeds 200 metres, three such lights in a vertical line;

(ii) sidelights;

(iii) a sternlight;

(iv) a towing light in a vertical line above the sternlight;

(v) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best be seen.

(b) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and exhibit the lights prescribed in Rule 23.

(c) A power-driven vessel when pushing ahead or towing alongside, except in the case of a composite unit, shall exhibit:

(i) instead of the light prescribed in Rule 23(a)(i), two masthead lights forward in a vertical line;

(ii) sidelights;

(iii) a stern light.

(d) A power-driven vessel to which paragraphs (a) and (c) of this Rule apply shall also comply with Rule 23(a)(ii).

(e) A vessel or object being towed shall exhibit:

(i) sidelights;

(ii) a sternlight;

(iii) when the length of the tow exceeds 200 metres, a diamond shape where it can best be seen.

(f) Provided that any number of vessels being towed or pushed in a group shall be lighted as one vessel:

(i) a vessel being pushed ahead, not being part of a composite unit, shall exhibit at the forward end, sidelights;

(ii) a vessel being towed alongside shall exhibit a sternlight end at the forward end, sidelights.

(g) Where from any sufficient cause it is impracticable for a vessel or object being towed to exhibit the lights prescribed in paragraph (e) of this Rule, all possible measures shall be taken to light the vessel or object towed or at least to indicate the presence of the unlighted vessel or object.

RULE 25

Sailing vessels underway and vessels under oars

(a) A sailing vessel underway shall exhibit:

(i) sidelights;

(ii) a sternlight.

(b) In a sailing vessel of less than 12 metres in length the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule

may be combined in one lantern carried at or near the top of the mast where it can best be seen.

(c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower green, but these lights shall not be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted by paragraph (b) of this Rule.

(d) (i) A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if practicable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready at hand an electric torch or lighted lantern showing a white light which shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by machinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical shape, apex downwards.

RULE 26

Fishing vessels

(a) A vessel engaged in fishing, whether underway of at anchor, shall exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule.

(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging through the water of a degree net or other apparatus used as a fishing appliances, shall exhibit :

(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and the lower white, or a shape consisting of two cones with their apexes together in a vertical line one above the other; a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket ;

(ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be obliged to exhibit such a light but may do so ;

(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.

(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit :

(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and the lower white, or a shape consisting of two cones with apexes together in a vertical line one above the other; a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket ;

(ii) when there is outlying gear extending more than 150 metres horizontally from the vessel, an all-round white light or a cone apex upwards in the direction of the gear ;

(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.

(d) A vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels may exhibit the additional signals described in Annex II to these Regulations.

(e) A vessel when not engaged in fishing shall not exhibit the lights or shapes prescribed in this Rule, but only those prescribed for a vessel of her length.

RULE 27

Vessels not under command or restricted in their ability to manoeuvre

(a) A vessel not under command shall exhibit :

(i) two all-round red lights in a vertical line where they can best be seen ;

(ii) two balls of similar shapes in a vertical line where they can best be seen;

(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.

(b) A vessel restricted in her ability to manoeuvre, except a vessel engaged in minesweeping operations, shall exhibit :

(i) three all-round lights in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these lights shall be red and the middle light shall be white ;

(ii) three shapes in a vertical line where they can best be seen. The highest and lowest of these shapes shall be balls and the middle one a diamond ;

(iii) when making way through the water, masthead lights, sidelights and a sternlight, in addition to the lights prescribed in sub-paragraph (i) ;

(iv) when at anchor, in addition to the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs (i) and (ii), the light, lights or shape prescribed in Rule 30.

(c) A vessel engaged in a towing operation such as renders her unable to deviate from her course shall, in addition to the lights or shapes prescribed in sub-paragraph (b)(i) and (ii) of this Rule, exhibit the lights or shapes prescribed in Rule 24(a).

(d) A vessel engaged in dredging or underwater operations, when restricted in her ability to manoeuvre, shall exhibit the lights and shapes prescribed in paragraph (b) of this Rule and shall in addition, when an obstruction exists, exhibit :

(i) two all-round red lights or two balls in a vertical line to indicate the side on which the obstruction exists ;

(ii) two all-round green lights or two diamonds in a vertical line to indicate the side on which another vessel may pass ;

(iii) when making way through the water, in addition to the lights prescribed in this paragraph, masthead lights, sidelights and a sternlight ;

(iv) a vessel to which this paragraph applies when at anchor shall exhibit the lights or shapes prescribed in sub-paragraphs (i) and (ii) instead of the lights or shapes prescribed in Rule 30.

(e) Whenever the size of a vessel engaged in diving operations makes it impracticable to exhibit the shapes prescribed in paragraph (d) of this Rule, a rigid replica of the International Code flag "A" not less than 1 metre in height shall be exhibited. Measures shall be taken to ensure all-round visibility.

(f) A vessel engaged in minesweeping operations shall, in addition to the lights prescribed for a power-driven vessel in Rule 23, exhibit three all-round green lights or three balls. One of these lights or shapes shall be exhibited at or near the formost head and one at each end of the fore yard. These lights or shapes indicate that it is dangerous for another vessel to approach closer than 1,000 metres astern or 500 metres on either side of the minesweeper.

(g) Vessels of less than 7 metres in length shall not be required to exhibit the lights prescribed in this Rule.

(h) The signals prescribed in this Rule are not signals of vessels in distress and requiring assistance. Such signals are contained in Annex IV to these Regulations.

RULE 28

Vessels constrained by their draught

A vessel constrained by her draught may, in addition to the lights prescribed for power-driven vessels in Rule 23, exhibit where they can best be seen three all-round red lights in a vertical line, or a cylinder.

RULE 29

Pilot vessels

(a) A vessel engaged on pilotage duty shall exhibit :

(i) at or near the masthead, two all-round lights in a vertical line, the upper being white and the lower red ;

(ii) when underway, in addition, sidelights and a stern-light ;

(iii) when at anchor, in addition to the lights prescribed in sub-paragraph (i), the anchor light, lights or shape.

(b) A pilot vessel when not engaged on pilotage duty shall exhibit the lights or shapes prescribed for a similar vessel of her length.

RULE 30

Anchored vessels and vessels aground

(a) A vessel at anchor shall exhibit where it can best be seen :

(i) in the fore part, an all-round white light or one ball ;

(ii) at or near the stern and at a lower level than the light prescribed in sub-paragraph (i), an all-round white light.

(b) A vessel of less than 50 metres in length may exhibit an all-round white light where it can best be seen instead of the lights prescribed in paragraph (a) of this Rule.

(c) A vessel at anchor may, and a vessel of 100 metres and more in length shall, also use the available working or equivalent lights to illuminate her decks.

(d) A vessel aground shall exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of this Rule and in addition, where they can best be seen :

(i) two all-round red lights in a vertical line ;

(ii) three balls in a vertical line.

(e) A vessel of less than 7 metres in length, when at anchor or aground, not in or near a narrow channel, fairway or anchorage, or where other vessel normally navigate, shall not be required to exhibit the lights or shapes prescribed in paragraphs (a), (b) or (d) of this Rule.

RULE 31

Seaplanes

Where it is impracticable for a seaplane to exhibit lights and shapes of the characteristics or in the positions prescribed in the Rules of this Part she shall exhibit lights and shapes as closely similar in characteristics and position as is possible.

PART D—SOUND AND LIGHT SIGNALS

RULE 32

Definitions

(a) The word "whistle" means any sound signalling appliances capable of producing the prescribed blasts and which complies with the specifications in Annex III to these Regulations.

(b) The term "short blast" means a blast of about one second's duration.

(c) The term "prolonged blast" means a blast of from four to six seconds' duration.

RULE 33

Equipment for sound signals

(a) A vessel of 12 metres or more in length shall be provided with a whistle and a bell and a vessel of 100 metres or more in length shall, in addition, be provided with a gong, the tone and sound of which cannot be confused with that of the bell. The whistle, bell and gong shall comply with the specifications in Annex III to these Regulations. The bell or gong or both may be replaced by other equipment having the same respective sound characteristics, provided that manual sounding of the required signals shall always be possible.

(b) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to carry the sound signalling appliances prescribed in paragraph (a) of this Rule but if she does not, she shall be provided with some other means of making an efficient sound signal.

RULE 34

Monoeuvring and warning signals

(a) When vessels are in sight of one another, a power-driven vessel under-way, when manoeuvring as authorised or required by these Rules, shall indicate that manoeuvre by the following signals on her whistle :

— one short blast to mean "I am altering my course to starboard" ;

— two short blasts to mean "I am altering my course to port" ;

—three short blasts to mean "I am operating astern propulsion".

(b) Any vessel may supplement the whistle signals prescribed in paragraph (a) of this Rule by light signals, repeated as appropriate, whilst the manoeuvre is being carried out ;

(i) these light signals shall have the following signaficance :

— one flash to mean "I am altering my course to starboard" ;

— two flashes to mean "I am altering my course to Port" ;

— three flashes to mean "I am operating astern propulsion" ;

(ii) the duration of each flash shall be about the second the interval between flashes shall be about one second, and the interval between successive signals shall be not less than ten seconds ;

(iii) the light used for this signal shall, if fitted, be an all-round white light, visible at a minimum range of 5 miles, and shall comply with the provisions Annex I.

(c) When in sight of one another in a narrow channel or fairway :

(i) a vessel intending to overtake another shall in compliance with Rule 9(e) (i) indicate her intention by the following signals on her whistle;

— two prolonged blasts followed by one short blast to mean "I intend to overtake you on your starboard side";

— two prolonged blasts followed by two short blasts to mean "I intend to overtake you on your port side".

(ii) the vessel about to be overtaken when acting in accordance with Rule 9(e)(i) shall indicate her agreement by the following signal on her whistle:

— one prolonged, one short, one prolonged and one short blast, in that order.

(d) When vessels in sight of one another are approaching each other and from any cause either vessel fails to understand the intentions or actions of the other, or is in doubt whether sufficient action is being taken by the other to avoid collision, the vessel in doubt shall immediately indicate such doubt by giving at least five short and rapid blasts on the whistle. Such signal may be supplemented by a light signal of at least five short and rapid flashes.

(e) A vessel nearing a bend or an area of a channel or fairway where other vessels may be obscured by an intervening obstruction shall sound one prolonged blast. Such signal shall be answered with a prolonged blast by any approaching vessel that may be within hearing around the bend or behind the intervening obstruction.

(f) If whistles are fitted on a vessel at a distance apart of more than 100 metres, one whistle only shall be used for giving manoeuvring and warning signals.

RULE 35

Sound signals in restricted visibility

In or near an area of restricted visibility, whether by day or night, the signals prescribed in this Rule shall be used as follows:

(a) A power-driven vessel making way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes one prolonged blast.

(b) A power-driven vessel underway but stopped and making no way through the water shall sound at intervals of not more than 2 minutes two prolonged blasts in succession with an interval of about 2 seconds between them.

(c) A vessel not under command, a vessel restricted in her ability to manoeuvre, a vessel constrained by her draught, a sailing vessel, a vessel engaged in fishing and a vessel engaged in towing or pushing another vessel shall, instead of the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule, sound at intervals of not more than 2 minutes three blasts in succession, namely one prolonged followed by two short blasts.

(d) A vessel towed or if more than one vessel in towed the last vessel of the tow, if manned, shall at intervals of not more than 2 minutes sound four blasts in succession, namely one prolonged followed by three short blasts. When practicable, this signal shall be made immediately after the signal made by the towing vessel.

(e) When a pushing vessel and a vessel being pushed ahead are rigidly connected in a composite unit they shall be regarded as a power-driven vessel and shall give the signals prescribed in paragraphs (a) or (b) of this Rule.

(f) A vessel at anchor shall at intervals of not more than one minute ring the bell rapidly for about 5 seconds. In a vessel of 100 metres or more in length the bell shall be sounded in the forepart of the vessel and immediately after the ringing of the bell the gong shall be sounded rapidly for about 5 seconds in the after part of the vessel. A vessel at anchor may in addition sound three blasts in succesession, namely one short, one prolonged and one short blast, to give warning of her position and of the possibility of collision to an approaching vessel.

(g) A vessel aground shall give the bell signal and if required the gong signal prescribed in paragraph (f) of this Rule and shall, in addition, give three separate and distinct strokes on the bell immediately before and after the rapid ringing of the bell. A vessel aground may in addition sound an appropriate whistle signal.

(h) A vessel of less than 12 metres in length shall not be obliged to give the above-mentioned signals but, if she does not, shall make some other efficient sound signal at intervals of not more than 2 minutes.

(i) A pilot vessel when engaged on pilotage duty may in addition to the signals prescribed in paragraphs (a), (b) or (f) of this Rule sound an identity signal consisting of four short blasts:

RULE 36

Signals to attract attention

If necessary to attract the attention of another vessel any vessel may make light or sound signals that cannot be mistaken for any signal authorised else where in these Rules, or may indirect the beam of her searchlight in the direction of the danger in such a way as not to embarrass any vessel.

RULE 37

Distress signals

When a vessel is in distress and requires assistance she shall use or exhibit the signals prescribed in Annex IV to these Regulations.

PART E—EXEMPTIONS

RULE 38

Exemptions

Any vessel (or class of vessels) provided that the complies with the requirements of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1960, the keel of which is laid or which at a corresponding stage of construction before the entry into force of these Regulations may be exempted from compliance there with as follows:

(a) The installation of lights with ranges prescribed in Rule 22, until four years after the date of entry into force of these Regulations.

(b) The installation of lights with colour specifications as prescribed in Section 7 of Annex I to these Regulations, until four years after the date of entry into force of these Regulations.

(c) The repositioning of lights as a result of conversion from Imperial to metric units and rounding off measuresment figures, permanent exemption.

(d) (i) The repositioning of masthead lights on vessel of less than 150 metres in length, resulting from the prescriptions of Section 3 (a) of Annex I, permanent exemption.

(ii) The repositioning of masthead lights on vessels of 150 metres of more in length, resulting from the prescriptions of Section 3 (a) of Annex I to these Regulations, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.

(e) The repositioning of masthead lights resulting from the presciptions of Section 2 (b) of Annex I, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.

(f) The repositioning of sidelights resulting from the prescriptions of Section 3 (b) of Annex I, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.

(g) The requirements for sound signal appliances prescribed in Annex III, until nine years after the date of entry into force of these Regulations.

ANNEX I

POSITIONING AND TECHNICAL DETAILS OF LIGHTS AND SHAPES

1. Definition

The term "height above the hull" means height above the uppermost continuous deck.

2. Vertical positioning and spacing of lights.

(a) On a power-driven vessel of 20 metres or more in length the masthead lights shall be placed as follows :

(i) the forward masthead light, or if only one masthead light is carried, then that light, at a height above the hull of not less than 6 metres, and, if the breadth of the vessel exceeds 6 metres, than at a height above the hull not less than such breadth, so however that the light need not be placed at a greater height above the hull than 12 metres,

(ii) when two masthead lights are carried the after one shall be at least 4.5 metres vertically higher than the forward one.

(b) The vertical separation of masthead lights of power-driven vessels shall be such that in all normal conditions of trim the after light will be seen over and separate from the forward light at a distance of 1000 metres from the stem when viewed from sea level.

(c) The masthead light of a power-driven vessel of 12 metres but less than 20 metres in length shall be placed at a height above the gunwale of not less than 2.5 metres.

(d) A power-driven vessel of less than 12 metres in length may carry the uppermost light at a height of less than 2.5 metres above the gunwale. When however a masthead light is carried in addition to sidelights and a sternlight, then such masthead light shall be carried at least 1 metre higher than the sidelights.

(e) One of the two or three masthead lights prescribed for a power-driven vessel when engaged into wing or pushing another vessel shall be placed in the same position as the forward masthead light of a power-driven vessel.

(f) In all circumstances the masthead light or lights shall be so placed as to be above and clear of all other lights and obstructions.

(g) The sidelights of a power-driven vessel shall be placed at a height above the hull not greater than three quarters of that of the forward masthead light. They shall not be so low as to be interfered with by deck lights.

(h) The sidelights, if in a combined lantern and carried on a power-driven vessel of less than 20 metres in length, shall be placed not less than 1 metre below the masthead light.

(i) When the Rules prescribe two or three lights to be carried in a vertical line, they shall be spaced as follows :

(i) on a vessel of 20 metres in length or more such lights shall be spaced not less than 2 metres apart, and the lowest of these lights shall, except where a towing light is required, not be less than 4 metres above the hull ;

(ii) on a vessel of less than 20 metres in length such lights shall be spaced not less than 1 metre apart and the lowest of these lights shall, except where a towing light is required, not be less than 2 metres above the gunwale ;

(iii) when three lights are carried they shall be equally spaced.

(j) The lower of the two all-round lights prescribed for a fishing vessel when engaged in fishing shall be at a height above the sidelights not less than twice the distance between the two vertical lights.

(k) The forward anchor light, when two are carried, shall not be less than 4.5 metres above the after one. On a vessel of 50 metres or more in length this forward anchor light shall not be less than 6 metres above the hull.

3. Horizontal positioning and spacing of lights

(a) When two masthead lights are prescribed for a power-driven vessel, the horizontal distance between them shall not be less than one half of the length of the vessel, but need not be more than 100 metres. The forward light shall be placed not more than one quarter of the length of the vessel from the stem.

(b) On a vessel of 20 metres or more in length the side-lights shall not be placed in front of the forward masthead lights. They shall be placed at or near the side of the vessel.

4. Details of location of direction-indicating lights for fishing vessels, dredges and vessels engaged in under-water operations

(a) The light indicating the direction of the outlaying gear from a vessel engaged in fishing as prescribed in Rule 26 (c) (ii) shall be placed at a horizontal distance of not less than 2 metres and not more than 6 metres away from the two all-round red and white lights. This light shall be placed not higher than the all-round white light prescribed in Rule 26(c)(i) and not lower than the sidelights.

(b) The lights and shapes on a vessel engaged in dredging or underwater operations to indicate the obstructed side and/or the side on which it is safe to pass, as prescribed in Rule 27(d) (i) and (ii), shall be placed at the maximum practical horizontal distance, but in no case less than 2 metres, from the lights or shapes prescribed in Rule 27 (b) (i) and (ii). In no case shall the upper of these lights or shapes be at a greater height than the lower of the three lights or shapes prescribed in Rule 27 (b) (i) and (ii).

5. Screens for sidelights

The sidelights shall be fitted with inboard screens painted matt black, and meeting the requirements of Section 9 of this Annex. With a combined lantern, using a single vertical filament and a very narrow division between the green and red sections, external screens need not be fitted.

6. Shapes.

(a) Shapes shall be balck and of the following sizes :

(i) a ball shall have a diameter of not less than 0.6 metre ;

(ii) a cone shall have a base diameter of not less than 0.6 meter and a height equal to its diameter ;

(iii) a cylinder shall have a diameter of at least 0.6 metre and a height of twice its diameter ;

(iv) a diamond shape shall consist of two cones as defined in (iii) above having a common base.

(b) The vertical distance between shapes shall be at least 1.5 metre.

(c) In a vessel of less than 20 metres in length shapes of lesser dimensions but commensurate with the size of the vessel may be used and the distance apart may be correspondingly reduced.

7. Colour specification of lights

The chromaticity of all navigation lights shall conform to the following standards, which lie within the boundaries of the area of the diagram specified for each colour by the International Commission on Illumination (CIE).

The boundaries of the area for each colour are given by indicating the corner co-ordinates, which are as follows :

(i)	White					
X	0.525	0.525	0.452	0.310	0.310	0.443
Y	0.382	0.440	0.440	0.348	0.283	0.382
(ii)	Green					
X	0.028	0.009	0.300	0.203		
Y	0.385	0.723	0.511	0.356		
(iii)	Red					
X	0.680	0.660	0.735	0.721		
Y	0.320	0.320	0.265	0.259		
(iv)	Yellow					
X	0.612	0.618	0.575	0.575		
Y	0.382	0.382	0.425	0.406		

8. Intensity of lights

(a) The minimum luminous intensity of lights shall be calculated by using the formula :

$I = 3.43 \times 10^6 \times T \times D^2 \times K^{-D}$

Where I is luminous intensity in candel as under service conditions,

T is threshold factor 2×10^{-7} lux,

D is range of visibility (luminous range) of the light in nautical miles,

K is atmospheric transmissivity,

For prescribed lights the value of K shall be 0.8, corresponding to a meterological visibility of approximately 13 nautical miles.

(b) A selection of figures derived from the formula is given in the following table :

Range of visibility (Luminous range) of light in nautical miles D	Luminous intensity of light in candel as for K=0.8 I
1	0.9
2	4.3
3	12
4	27
5	52
6	94

Note : The maximul luminous intensity of navigation lights should be limited to avoid undue glare.

9. Horizontal Sectors.

(a) (i) In the forward direction, sidelights as fitted on the vessel must show the minimum required intensities. The intensities must decrease to reach practical cut-off between 1 degree and 3 degrees outside the prescribed sectors.

(ii) For sternlights and masthead lights and at 22.5 degrees abaft the beam for sidelights, the minimum required intensities shall be maintained over the arc of the horizon up to 5 degrees within the limits of the sectors prescribed in Rule 21. From 5 degree within the prescribed sectors the intensities may decrease by 50 per cent up to the prescribed limits; it shall decrease steadyly to reach practical cut-off at not more than 5 degrees outside the prescribed limits.

(b) All-round lights shall be so located as not to be obscured by masts, topmasts or structures within angular sectors of more than 6 degrees, except anchor lights, which need not be placed at an impracticable height above the hull.

10. Vertical Sectors

(a) The vertical sectors of electric lights, with the exception of lights on sailing vessels shall ensure that :

(i) at least the required minimum intensity is maintained at all angles from 5 degrees above to 5 degrees below the horizontal;

(ii) at least 60 per cent of the required minimum intensity is maintained from 7.5 degrees above to 7.5 degrees below the horizontal.

(b) In the case of sailing vessels the vertical sectors of electric lights shall ensure that :

(i) at least the required minimum intensity is maintained at all angles from 5 degrees above to 5 degrees below the horizontal;

(ii) at least 50 per cent of the required minimum intensity is maintained from 25 degrees above to 25 degrees below the horizontal.

(c) In the case of lights other than electric these specifications shall be met as closely as possibly.

11. Intensity of non-electric lights

Non-electric lights shall so far as practicable comply with the minimum intensities, as specified in the Table given in Section 8 of this Annex.

12. Manoeuvring light

Notwithstanding the provisions of paragraph 2 (f) of this Annex the manoeuvring light described in Rule 34 (b) shall be placed in the same fore and aft vertical plane as the masthead lights and, where practicable, at a minimum height of 2 metres vertically above the forward masthead light, provided that it shall be carried not less than 2 metres vertically above or below the after masthead light. On a vessel where only one masthead light is carried the manoeuvring light, if fitted, shall be carried where it can best be seen, not less than 2 metres vertically apart from the masthead light.

13. Approval

The construction of lanterns and shapes and the installation of lenterns on board the vessel shall be to the satisfaction of the appropriate authority of the State where the vessel is registered.

ANNEX II

ADDITIONAL SIGNALS FOR FISHING FOR FISHING VESSELS FISHING IN CLOSE PROXIMITY

1. General

The lights mentioned herein shall , if exhibited in pursuance of Rule 26 (d), be placed where they can best be seen. They shall be at least 0.9 metre apart but at a lower level than lights prescribed in Rule 26(b)(i) and (c)(i). The lights shall be visible all round the horizon at a distance of at least 1 mile but at a lesser distance than the lights prescribed by these Rules for fishing vessels.

2. Signals for Trawlers

(a) Vessels when engaged in trawling, whether vusing demersal or pelagic gear, may exhibit :

(i) when shooting their nets : two white lights in a vertical line ;

(ii) when hauling their nets : one white light over one red light in a vertical line ;

(iii) when the net has come fast upon an obstruction : two red lights in a vertical line.

(b) Each vessel engaged in pair trawling may exhibit :

(i) by night, a searchlight directed forward and in the direction of the other vessel of the pair;

(ii) when shooting or hauling their nets or when their nets have come fast upon an obstruction, the lights prescribed in 2 (a) above.

3. Signals for purse seiners

Vessels engaged in fishing with purse seine gear may exhibit two yellow lights in a vertical line. These lights shall flash alternately every second and with equal light and occultation duration. These lights may be exhibited only when the vessel is hampered by its fishing gear.

ANNEX III

TECHNICAL DETAILS OF SOUND SIGNALS APPLIANCES

1. Whistles

(a) Frequencies and range of audibility

The fundamental frequency of the signal sall lie within the range 70-700 Hz.

The range of audibility of the signal from a whistle shall be determinated by these frequencies, which may include the fundamental and/or one or more higher frequencies, which lie within the range 180-700 Hz (±1 per cent) and which provide the sound pressure levels specified in paragraph 1(c) below.

(b) Limits of fundamental frequencies

To ensure a wide variety of whistle characteristics, the fundamental frequency of whistle shall be between the following limits:

(i) 70-200 Hz, for a vessel 200 metres or more in lengths;

(ii) 130-350 Hz, for a vessel 75 metres but less than 200 metres in length;

(iii) 250-700 Hz, for vessel less than 75 metres in length.

(c) Sound signal intensity and range of audibility

A whistle fitted in a vessel shall provide, in the direction of maximum intensity of the whistle and at a distance of 1 metre from it, a sound pressure level in at least one 1/3rd Octave band within the range of frequencies 180-700 Hz (±1 per cent) of not less than the appropriate figure given in the table below

Length of vessel in metres	1/3rd-satave hand level at 1 metre in dB referred to $2x10^{-5}$ N/m	Audibility range in nautical miles
240 or more	143	2
75 but less than 200	138	1.5
20 but less than 75	130	1
Less than 20	120	0.5

The range of audibility in the table above is for information and is approximately the range at which a whistle may be heard on its forward axis with 90 per cent probility in conditions of still air on board a vessel having average background noise level at the listening posts (taken to be 68 dB in the octave band centred on 250 Hz and 63 dB in the octave band centred on 500 Hz).

In practice the range at which a whistle may be heard is extremely variable and depends critically on weather conditions, the values given can be regarded as typical but under conditions of strong wind or high ambient noise level at the listening post the range may be much reduced.

(d) Directional properties.—The sound pressure level of a directional whistle shall be not more than 4 dB below the sound pressure level on the axis at any direction in the horizontal plane within (±)45 degrees of the axis). The sound pressure level at any other direction in the horizontal plane shall be not more than 10 dB below the sound pressure level on the axis, so that the range in any direction will be at least half the range on the forward exis. The sound pressure level shall be measured in that 1/3rd-octave band which determines the audibility range.

(e) Positioning of whistles.—When a directional whistle is to be used as the only whistle on a vessel, it shall be installed with its maximum intensity directed straight ahead.

A whistle shall be placed as high as practicable on a vessel, in order to reduce interception of the emitted sound by obstructions and also to minimise hearing damage risk to personnel. The sound pressure level of the vessel's own signal at listening posts shall not exceed 110 dB(A) and so far as practicable should not exceed 100 dB(A).

(f) Fitting of more than one whistle.—If whistles are fitted at a distance a part of more than 100 metres, it shall be so arranged that they are not sounded simultaneously.

(g) Combined whistle systems.—If due to the presence of obstructions the sound field of a single whistle or of one of the whistle referred to in paragraph 1(f) above is likely to have a zone of greatly reduced signal level, it is recommended that a combined whistle system be fitted so as to overcome this reduction. For the purposes of the Rules a combined whistle system is to be regarded as a single whistle. The whistle of a combined system shall be located at a distance apart of not more than 100 metres and arranged to be sounded simultaneously. The frequency of any one whistle shall differ from those of the others by at least 10 Hz.

2. Bell or gong

(a) Intensity of signal.—A bell or gong, or other device having similar sound characteristics shall produce a sound pressure level of not less than 110 dB at 1 metre.

(h) Construction

(b) Bells and gons shall be made of corrosion-resistant material and designed to give a clear tone. The dlameter of the mouth of the bell shall be not less than 300 mm for vessels of more than 20 metres in length, and shall be not less than 200 mm for vessels of 12 to 20 metres in length. Where practicable, a power-driven bell striker is recommended to ensure constant force but manual operation shall be possible. The mass of the striker shall not be less than 3 per cent of the mass of the bell.

3. Approval

The construction of sound signal appliances, their performance and their installation on board the vessel shall be to the satisfaction of the appropriate authority of the State where the vessel is registered.

ANNEX IV

DISTRESS SIGNALS

1. The following signals, used or exhibited either together or separately, indicate distress and need of assistance :

(a) a gun or other explosive signal fired at intervals of about a minute;

(b) a continuous sounding with any fog-signalling apparatus;

(c) rockets or shells, throwing red stars fired one at a time at short intervals;

(d) a signal made by radiotelegraphy or by any other signalling method consisting of the group (SOS) in the Morse Code;

(e) a signal sent by radiotelephony consisting of the spoken word "Mayday";

(f) the International Code signal of distress indicated by N.C.;

(g) a signal consisting of a square flag having above or below it a ball or anything resembling a ball;

(h) flames on the vessel (as from a burnsing tar barrel, oil barrel, etc.)

(i) a rocket parachute flare or a hand flare showing a red light;

(j) a smoke signal giving off orange-coloured smoke;

(k) slouly and repeatedly raising and lowering arms outstretched to each side;

(l) the radiotelegraph alarm signal;

(m) the radiotelephone alarm signal;

(n) signal transmitted by emergency position-indicating radio beacons.

2. The use or exhibition of any of the fore-going signals excess for the purpose of indicating distress and need of assistance and the use of other signals which may be confused with any of the above signals is prohibited.

3. Attention is drawn to the relevant sections of the International Code of Signals, the Merchant Ship Search and Rescue Manual and the following signals :

(a) a piece of a range-coloured canvas with either a black square and circle or other appropriate symbol (for identification from the air);

(b) a dye marker.

[F. No. 5-MSR(2)/73-MA]

D. C. AHIR, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

(निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 16 जून, 1975

सा. का. नि. 821.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय, (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय, (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1975 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, उद्यान कृषि निदेशालय (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम, 1973 की अनुसूचि में,—

(1) "उद्यान कृषि निदेशक" के पद के सामने स्तम्भ 4 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"1500-50-1800-120-2000 रु."

(2) "उप उद्यान कृषि निदेशक" के पद के सामने स्तम्भ 5 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1100-50-1600 रु."

(3) "सहायक उद्यान कृषि निदेशक" के पद के सामने,—

(क) स्तम्भ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"650-30-740-35-810-द. रो-35-880-40-द. रो.-40-[illegible] रु."

(ख) स्तम्भ 10 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

(1) 66-2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, और

(2) 33-1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा"

[फा. स. 33/3/74-एम एस 2 का सी पी. डब्ल्यू डी]

एस. एन. राय चौधरी, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

(Works Division)

New Delhi, the 16th June, 1975

G.S.R. 821.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Central Public Works Department, Horticulture Directorate (Class I and II Postes) Recruitment Rules, 1973, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department, Horticulture Directorate (Class I and II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Public Works Department, Directorate of Horticulture (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1973 :—

(i) against the post of "Director of Horticulture" in column 4 for the entry the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1500-50-1800-100-2000."

(ii) against the post of "Deputy Director of Horticultrue" for the entry in eolumn 4, the following entry shall be substituted, namely :—

"Rs. 1100-50-1600".

(iii) against the post of "Assistant Director of Horticulture",—

(a) for the entry in column 4, the following entry shall be substituted, namely—

"Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-EB-40-1200";

(b) for the entry in column 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"(1) 66 2/3 per cent by promotion, and

(2) 33 1/3 per cent by direct recruitment."

[F. No. 33/3/74-MSII of CPWD]

S. N. ROY CHOUDHURY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1975

सा० का० नि० 822.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशन खण्ड (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम प्रकाशन खण्ड (वर्ग 3 पद) भर्ती संशोधन नियम, 1975 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. प्रकाशन खण्ड (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में 'कनिष्ठ लेखापाल' के पद से सम्बन्धित क्रम सं० 13 के सामने, स्तम्भ 2, 10 और 11 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

स्तम्भ 2	स्तम्भ 10	स्तम्भ 11
5	शतप्रतिशत चयन द्वारा प्रोन्नति।	प्रोन्नति : प्रकाशन खंड के लेखा लिपिक जिनकी उस ग्रेड में 3 वर्ष अनुमोदित सेवा हो।

[सं० ए० 12018/3/74-प्रशा० I]

देश राज सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 25th April, 1975.

G.S.R.822.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Publications Division (Class III Posts) Recruitment Rules, 1968, namely:

1. These rules may be called the Publications Division. (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

2. They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

3. In the Schedule to the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968 against serial No. 13, relating to the post of 'Junior Accountant' for the entries in Columns 2, 10 and 11 the following entries shall be substituted, namely:

Col. 2	Col. 10	Col. 11
5	100% promotion by selection.	Promotion: Accounts Clerks of the Publication Division with 3 year approved service in the grade.

[No. A. 12018/3/74 Admn. I]

DESH RAJ SINGH, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सा०का०नि० 823.—राष्ट्रपति, श्री यू० के० रे०, जिला कलक्टर और पदेन कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान कल्याण संगठन, नेल्लोर (आ०प्र०) के स्थान पर श्री ए०आर० नायडु, सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद को 29 मई, 1975 (अपराह्न) से, तदर्थ आधार पर, और आगे आदेश होने तक, कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रम कल्याण संगठन, जिला नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश के रूप में नियुक्त करते है।

(फा० सं० ए०-12026/7/74-एम-3)

पी० के० सेन, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi the 30th June, 1975

G.S.R. 823.—The President is pleased to appoint Shri A. R. Naidu, Assistant Labour Commissioner (Central), Dhanbad, as Welfare Commissioner, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Distt. Nellore, Andhra Pradesh with effect from the 29th May 1975 (Afternoon) on ad hoc basis, till further order vice Shri U. K. Ray, District Collector and Ex-officio Welfare Commissioner, Mica Mines Welfare Organisation, Nellore (A.P.).

[F. No. A. 12026/7/74-MIII]

P. K. SEN, Under Secy

नई दिल्ली, 20 जून, 1975

सा. का. नि. 824.—औद्योगिक नियोजन, (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (1), तारीख 10 फरवरी, 1973 में पृष्ठ 283-284 पर भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 139, तारीख 29 जनवरी, 1973 के अधीन, प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की सम्भावना थी, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 16 फरवरी, 1973 को जनता को उपलब्ध कराया गया था,

और उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

अतः, अब, उक्त नियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 की अनुसूची I में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अनुसूची कहा गया है) पैरा 7क में, "और प्रबन्धक के कार्यालय में" शब्दों का लोप किया जायेगा।

3. उक्त अनुसूची में, पैरा 9 में,—

(क) उप-पैरा (2) में,

(1) पहलीबार आने वाले "प्रबन्धक" शब्द के स्थान पर "नियोजक या इस निमित्त नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट विनिर्दिष्ट औद्योगिक स्थापन के किसी अन्य अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे,

(2) दूसरी बार आने वाले "प्रबन्धक" शब्द के स्थान पर "नियोजक या इस निमित्त नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त अनुसूची में, पैरा 12 के उप-पैरा (2) में, "या प्रबन्धक के कार्यालय में" शब्दों के स्थान पर, "और नियोजक के कार्यालय में या समयपाल के कार्यालय में, यदि कोई हो, शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त अनुसूची में पैरा 14 में,

(क) उप-पैरा (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

(खक) जांच में, कर्मकार स्वयं हाजिर होने या उस व्यवसाय संघ के, जिसका वह सदस्य है पदधारी द्वारा अपना प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा।

(खख) जांच की कार्यवाहियां हिन्दी में या अंग्रेजी में या उस राज्य की भाषा में, जहां औद्योगिक स्थापन स्थित है, कर्मकार को जो भी अधिमान्य हो, लेखबद्ध की जाएंगी ।

(खग) जांच की कार्यवाहियां तीन मास की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएंगी : परन्तु तीन मास की अवधि, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उतनी अवधि तक और बढ़ाई जा सकेगी, जितनी जांच अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाए ।"

(ख) उप-पैरा (5) में, "प्रबन्धक' शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों में, जहां वह आया है, "दण्ड अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उप-पैरा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) (क) दण्ड अधिरोपित करने वाले आदेश से व्यथित कोई कर्मकार, उस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा ;

(ख) नियोजन-खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए अपील प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करेगा ;

(ग) अपील प्राधिकारी, कर्मकार की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील की प्राप्ति से पन्द्रह दिन के भीतर उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जिसे वह उचित समझे, और कर्मकार को लिखित रूप में उसे संसूचित करेगा ।"

6. उक्त अनुसूची में, पैरा 17 में, "प्रबन्धक" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया है, "नियोजक" शब्द रखा जाएगा ।

7. उक्त अनुसूचि में, पैरा 18 में, "प्रबन्धक के कार्यालय में और" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. एस-65012/5/71-एल आर 1/डी आई ए]

एस. एस. सहस्रनामन्, अवर सचिव ।

New Delhi, the 20th June, 1975

G.S.R. 824.—Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 were published as required by sub-section (1) of section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), at pages 283-284 of the Gazette of India, part II, Section 3, Sub-section (1) dated the 10th February, 1973 under the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. GSR 139 dated the 29th January, 1973 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby for a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 16th February, 1973;

And whereas the objections and suggestions, received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, namely :—

1. (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule I to the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 (hereinafter referred to as the said Schedule)' in paragraph 7A, the words "and in the Manager's Office" shall be omitted.

3. In the said Schedule, in paragraph 9, —

(a) in sub-paragraph (2) —

(i) for the word "manager", occurring for the first time, the words "employer or any other officer of the industrial establishment appecified in this behalf by the employer" shall be substituted;

(ii) for the word "manager", occurring for the second time, the words "employer or the officer specified in this behalf by the employer" shall be substituted;

(b) in sub-paragraph (3), for the word "manager" the words "employer or the officer specified in this behalf by the employer" shall be substituted.

4. In the said Schedule, in sub-paragraph (2) of paragraph 12, for the word "or at the office of the manager", the words, "and at the office of the employer and at the time-keeper's office, if any" shall be substituted.

5. In the said Schedule, in paragraph 14,

(a) in sub-paragraph (4), after clause (b), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(ba) In the inquiry, the workman shall be entitled to appear in person or to be represented by an office-bearer of a trade union of which he is a member.

(bb) The proceedings of the inquiry shall be recorded in Hindi or in English the language of the State where the industrial establishment is located, whichever is preferred by the workman.

(bc) The proceedings of the inquiry shall be completed within a period of three months :

provided that the period of three months may, for reasons to be recorded in writing, be extended by such further period as may be deemed necessary by the inquiry officer. ;

(b) in sub-paragraph (5), for the word "manager" in both the places where they occur, the words" authority imposing the punishment" shall be substituted;

(c) after sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

(6) (a) A workman aggrieved by an order imposing punishment, may within twentyone days from the date of receipt of the order, appeal to the appellate authority;

(b) the employer shall, for the purposes of clause (a), specify the appellate authority;

(c) the appellate authority, after giving an opportunity to the workman of being heard, shall pass such order as he thinks proper on the appeal within fifteen days of its receipt and communicate the same to the workman in writting."

6. In the said Schedule, in paragraph 17, for the word "manager", wherever it occurs, the word' "employer" shall be substituted.

7. In the said Schedule in paragraph 18, the words "at the manager's office" and shall be omitted.

[No. S-65012/5/71-LR.I/D.IA]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली 21 जून, 1975

सा०का०नि० 825—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान; और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान, और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग 3 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (कानपुर स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान; और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग 3 पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में मद 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
32. फिल्म कैमरामैन	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	320-15-470-द० रो०-15-530 रु०	लागू नहीं होता	25-35 वर्ष के बीच	अनिवार्य : शैक्षिक : विज्ञान और गणित सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । तकनीकी : (1) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिनेमेटोग्राफी या फिल्म टेक्नोलौजी में डिप्लोमा । (2) इस क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । वांछनीय : (1) चल फिल्में खींचने का दो वर्ष का अनुभव । (2) चल फिल्मों के लिए प्रकाश व्यवस्था का 2 वर्ष का अनुभव ।
33. कैमरामन	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	320-15-470-द० रो०-15-530 रु०	लागू नहीं होता	25-35 वर्ष के बीच	अनिवार्य शैक्षिक : विज्ञान और गणित सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । तकनीकी : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिनेमैटोग्राफी या टेलीविजन टेक्नोलौजी में डिप्लोमा और उस क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । वांछनीय : टेलीविजन कैमरो/विडियो इक्यूपमेंट/टेलीविजन कमसोल आदि को प्रयोग आदि करने का 2 वर्ष का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
34	दृश्य श्रव्यसहायक	एक कलाकार	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	320-15-470 रु० रो०-15-530 रु०	चयन	25-35 वर्ष के बीच	अनिवार्य शैक्षिक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । तकनीकी वाणिज्यिक कला या ललित कला या चित्रकला मे डिप्लोमा या क्षेत्र मे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव ।
35	ले आउट आर्टिस्ट	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	320-15-470-रु० रो०-15-530 रु०	चयन	25-35 वर्ष के बीच	अनिवार्य शैक्षिक मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । तकनीकी मुद्रण (विशेषतया लिथोग्राफी) मे डिप्लोमा और उद्योग मे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव । या वाणिज्यिक कला मे डिप्लोमा और ले आउट/डिजाइन मे कम से कम 2 वर्ष का अनुभव या हैड कम्पोजीटर व्यवसाय मे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र और व्यवसाय मे कम से कम 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव । या हैड कम्पोजिग और प्रूफ रीडिग के व्यवसायो मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र और व्यवसाय मे कम से कम 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु नही योग्यताए हा	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ।	प्रोन्नति फोटोग्राफर, ग्राफिक सहायक, प्रोसेस कैमरामैन और यूनिट मे ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा की हो ।	वर्ग तीन विभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागू नही होता
आयु नही योग्यताए हा	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ।	प्रोन्नति फोटो ग्राफर, ग्राफिक सहायक, प्रोसेस कैमरामैन और यूनिट मे ग्रेड मे कम से कम 5 वर्ष की सेवा ।	वर्ग तीन विभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
36. ग्राफिक सहायक	एक	साधारण केन्द्रीय, सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	210-10-290-15-425 रु०	अनारक्षित	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य : (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (2) किसी फोटोग्राफिक प्रयोगशाला में स्टिल फोटोग्राफ खींचने, डेवलप करने और प्रिंट करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (1) फिल्मों, क्रोमाईड प्रिन्टों की रिटचिंग ग्राफिक आर्ट्स, मैट्रिरिअल तैयार करने का एक वर्ष का अनुभव । (2) स्टिल कैमरो, ट्रांसपेरेन्सीज, मेकिंग किट्स और मशीनों का प्रयोग आदि । (3) वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा ।
37. फोटोग्राफर .	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	अनारक्षित	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य : (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (2) फोटोग्राफर के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । (3) स्टिल और मूवी कैमरों के साथ सही फोटोग्राफ लेने की क्षमता होनी चाहिए । (4) डेवलप करने, बड़े करने और प्रिंटिंग का ज्ञान होना चाहिए और फिल्म स्ट्रिप तथा स्लाइडें बनाने का अनुभव होना चाहिए । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वाणिज्यकला में डिप्लोमा ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं योग्यताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ।	प्रोन्नति : डार्क रूम सहायक, क्रोमाइडप्रिंटर और यूनिट में ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा ।	वर्ग तीन विभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागू नहीं होता
आयु : नही योग्यताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ।	प्रोन्नति : क्रोमाइड प्रिंटर/डार्क रूम सहायक और यूनिट में ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा ।	वर्ग तीन विभागीय प्रोन्नति समिति ।	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
38 बेरिटाइपर आपरेटर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	चयन	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (2) टाइप करने की कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए । (3) बेरिटाइपर कम्पोजिंग मशीन पर कार्य करनेका कम से कम एक वर्ष का अनुभव ।
39 हेलिग्रो आपरेटर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	150-10 250 द० रो०-10-290-15-320 रु०	लागू नही होता	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य (1) मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समकक्ष । (2) व्यवसाय मे लिथोग्राफिक प्रिंटिंग के लिए सर्फेस प्लेटे बनाने का कम से कम 2 वर्ष का औद्योगिक अनुभव । वांछनीय प्रोसेस कैमरामैन/रिटचर/इन्ग्रेवर व्यवसाय मे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या प्रोसेस कैमरामैन/रिटचर/इन्ग्रेवर के व्यवसायो मे औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रमाणपत्र ।
40 रिटचर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	150-10-250-द० रो०-10-290-15-320 रु०	लागू नही होता	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । और व्यवसाय मे कम से कम 2 वर्ष का औद्योगिक अनुभव या रिटचर (लिथोग्राफी) के व्यवसाय मे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र । या रिटचर के व्यवसाय मे औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का प्रमाणपत्र और कम से कम 2 वर्ष का औद्योगिक अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
नही	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती ।	प्रोन्नति आई० बी० एम० आपरेटर/प्रूफ रीडर और यूनिट में ग्रेड मे 5 वर्ष की सेवा तथा टाइपराइटर पर 40 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइप करने की क्षमता होनी चाहिए और बेरिटाइपर पर नोट एक्जीक्यूशन करने की क्षमता होनी चाहिए ।	वर्ग तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता
लागू नही होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
लागू नही होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

1	2	3	4	5	6	7
41 मशीन सहायक	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	150-10-250-द० रो०-10-290-15-320 रु०	लागू नहीं होता	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (2) किसी प्रिंटिंग प्रेस में व्यवसाय में 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव। वांछनीय : लैटर प्रैस मशीनमैन के व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या लैटर प्रैस मशीनमैन के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र।
42. जिल्दसाज	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	150-10-250-द० रो०-10-290-15-390 रु०	लागू नहीं होता	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (2) व्यवसाय में 3 वर्ष का औद्योगिक अनुभव या जिल्दसाजी के व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या जिल्दसाजी के व्यवसाय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र
43 आई० बी० एम० आपरेटर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300 रु०	लागू नहीं होता	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (2) कम-से-कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाइप करने की गति होनी चाहिए। (3) आई० बी० एम० टाइपराइटर पर लगभग एक वर्ष तक कार्य करने का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
44. प्रूफ रीडर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	130-5-60-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300 रु०	चयन	21–30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :—शैक्षिक (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (2) व्यवसाय में कम-से-कम एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव। या हैंड कम्पोजीटर के व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र। या हैंड कम्पोजीटर और प्रूफ रीडिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र।
45. कापी होल्डर	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)]	110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180	लागू नहीं होता	21–30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (ii) व्यवसाय में कम-से-कम एक वर्ष का औद्योगिक अनुभव। वांछनीय : हैंड कम्पोजिंग और प्रूफ-रीडिंग में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाण पत्र।
46. प्रोसेस कैमरा-मैन	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	चयन	21–30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (i) भौतिकी और रसायन शास्त्र सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। तकनीकी :— (ii) प्रोसेस कैमरे के प्रयोग करने और उसके अनुरक्षण का कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय :— (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा (ii) स्टिल और मूवी कैमरों के प्रयोग आदि का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : कापी होल्डर और यूनिट में ग्रेड में कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा।	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति।	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिस के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	एकक के स्तम्भ 7 में उल्लिखित योग्यता रखने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से पद के लिए उपयुक्तता जांचने के लिये विभागीय परीक्षा के परिणाम के आधार पर।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
नहीं	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती।	प्रोन्नति : ग्रोमाइड प्रिंटर/डार्करूम सहायक और एकक में ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा।	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
47. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (i) दृश्य-श्रव्य मोबाइलवैन (ii) क्लोज्ड सर्किट टेलीविजनदृश्य श्रव्य एकक	दो पांच	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु०	अचयन	21–30 वर्ष के बीच	अनिवार्य :— (i) शैक्षिक गणित और विज्ञान सहित मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (ii) तकनीकी . रेडियो या टेलिवीजन मे राष्ट्रीय प्रमाणपत्र । या रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र । या किसी औद्योगिक सस्थान में रेडियो या टलीविजन में कम-से-कम 3 वर्ष की शिक्षुता । या रक्षा सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी व्यवसायों में कम-से-कम तीन वर्ष की सेवा की हो या इलेक्ट्रानिकी या इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी मे डिप्लोमा । (iii) व्यावहारिक अनुभव :—उपर्युक्त (ii) में दी गई प्रशिक्षण अवधि सहित कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय : (i) केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से रेडियो या टेलीविजन या इलेक्ट्रानिकी में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (ii) दृश्य श्रव्य टेलीविजन यंत्रों को प्रयोग करने का ज्ञान और अनुभव । (iii) हल्की और मध्यम गाड़ियां चलाने की स्थाई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) (iv) फोटोग्राफी का ज्ञान और अनुभव (v) साउंड प्रोजेक्शनों पर कार्य का अनुभव

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं योग्यताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : (क) ड्राइवर एवं जेनरेटर परिचर और एकक में ग्रेड में कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा (ख) स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश य समकक्ष पद धारण करने वाले स्तम्भ-7 में निर्धारित योग्यताओं वाले अधिकारी	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

[सं० डी०जी०इ०टी-53/7/74-एपी]

New Delhi, the 21st June, 1975

G. S. R. 825.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training, (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely.—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur), Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1975,

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Kanpur), Class III posts Recruitment Rules, 1974, after item 31 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely:

1	2	3	4	5	6	7
"32. Film Cameraman	One	General Central Service Class III, (Non-Gazetted Non-ministerial)	Rs. 320-15-470-EB-15-530.	Not applicable.	Between 25—35 years.	Essential: Academic: Matriculation or equivalent with Science & Mathematics. Technical: (i) Diploma in Cinematography or Film Technology from a recognised Institute. (ii) Practical experience for not less than 2 years in the field. Desirable: (i) Experience in taking movie films for 2 years. (ii) Experience in handling lights for movies for 2 years.
33. Cameraman	One	General Central Service; Class III, (Non-Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 320-15-470-EB-15-530.	Not applicable.	Between 25—35 years.	Essential: Academic: Matriculation or equivalent with Science and Mathematics. Technical: Diploma in Cinematography or Television Technology from a recognised Institute with at cast 2 years' practical experience in the filed. Desirable: Experience for 2 years in handling Television Cameras/ video equipment / Television Console etc.
34 Visual Aid Artist	One	General Central Service, Class III, (Non-Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 320-15-470-EB-15-530	Selection.	Between 25—35 years.	Essential: Academic: Matriculation or equivalent. Technical: Diploma in Commercial Arts or Fine Arts or Painting with atleast 2 years' experience in the field.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable
Not applicable.	2 years.	Direct Recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Age—No Qualifications—yes.	2 years	Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion. Photographer, Graphic Assistant, Process Cameraman with 5 years service in the Grade in the Unit.	Class-III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
35. Layout Artist	One	General Central Service Class-III, (Non-Gazetted Non-Ministerial)	Rs. 320-15-470-EB-15-530.	Selection.	Between 25-35 years.	Essential: Academic: Matriculation or equivalent Technical: Diploma in Printing (Preferably in Lithography) with at least 2 years' experience in the industry. OR Diploma in Commercial Arts with at least 2 years experience in Layout Design. OR National Apprenticeship Certificate in the trade of Hand Compositor with at least 3 year's industrial experience in the trade. OR Industrial Training Institute Certificate in the trade of Hand Composing and proof Reading with atleast 5 years' industrial experience in the trade.
36. Graphic Assistant	One	General Central Service, Class III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 210-10-290-15-425.	Selection.	Between 21—30 years.	Essential: (i) Matriculation or equivalent. (ii) Atleast 5 years' experience of working in a Photographic laboratory in taking, developing, printing of still photographs. Desirable: (i) One year's experience in retouching of films, Bromide Prints, preparation of Graphic arts material. (ii) Handling of still cameras, Transparencies making kits and machines. (iii) Diploma in Commercial Arts.
37. Photographer	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Selection	Between 21-30 years.	Essential: (i) Matriculation or equivalent. (ii) Atleast 5 years' experience as Photographer (iii) Should be capable of taking accurate photographs with still and movie cameras. (iv) Should have knowlege of developing, enlarging and printing and should have knowledge and experience of making film strips and slides. Desirable: Diploma in Commercial Arts from a recognised Institute.

8	9	10	11	12	13
Age—No Qualification—Yes.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Photographer, Graphic Assistant, Process Cameraman with not less than 5 years' service in the grade in the Unit.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Age—No. Qualifications—Yes.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Dark Room Assistant/Bromide Printer with 5 years' service in the grade in the Unit.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Age—No. Qualifications—Yes.	2 years	Promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion: Bromide Printer/Dark Room Assistant with 5 years service in the grade in the unit.	Class-III Departmental Promotion committee.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
38. Verityper Operator	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 210-10-280-15-320-EB-15-425.	Selection	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Matriculation or equivalent. (ii) Typing speed of not less than 40 words per minute (iii) experience of working on a Verityper Composing Machine for atleast one year.
39. Helio Operator	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-320.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Pass in Matriculation or equivalent, (ii) Industrial experience in the trade in making surface plates for Lithographic printing for atleast 2 years. Desirable:— National Apprenticeship Certificate in the trade of Porcess Cameraman/Retoucher/Engraver. OR Industrial Training Institute Cerficate in the trades of Process Cameraman/Retou cher/Engsaver.
40. Retoucher	One	General Central Service, Class-I, (Mon-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-320.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential:— Matriculation or equivalent with Science with atleast 2 years' industrial experience in the trade. OR National Apprenticeship Certificate in the trade of Retoucher (Lithography). OR Industrial Training Institute Certificate in the trade of Retoucher with at least 2 years' industrial experience.
41. Machine Assistant	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-320.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Matriculation or equivalent. (ii) Industrial experience in the trade in a printing press for 3 years. Desirable:— National Apprenticeship Certificate in the trade of Letter Press Machineman. OR Industrial Training Institute Certificate in the trade of Letter Press Machineman.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years.	By Promotion failing which by direct recruitment.	Promotion:— IBM Operator/Proof Reader with 5 years' service in the grade in the Unit and capable of typing at 40 words per minute on typewriter and neat execution on Verityper.	Class-III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
42. Binder.	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial.)	Rs. 150-10-250-EB-10-290-15-320.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Matriculation or equivalent (ii) Industrial experience in the trade for 3 years. OR National Apprenticeship Certificate in the trade of book Binder. OR Industrial Traing Institute Certificate in the trade of Book Binder.
43. I.B.M. Operator	One	General Central Service Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280 10-300.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential :— (i) Matriculation or equivalent. (ii) Typing speed of not less than 35 words per minute (iii) Experience of working on an IBM Typewriter for about a year.
44. Proof Reader.	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300.	Selection	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Academic: Matriculation or equivalent (ii) Industrial experience in the trade for at least 1 year. OR National Apprenticeship Certificate in the trade of Hand compositor. OR Industrial Training Institute Certificate in Hand Compositor and Proof Reading
45. Copy Holder.	One	General Central Service Class-III (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.	Not applicable.	Between 21-30 years.	Essential: — (i) Matriculation or equivalent (ii) Industrial experience in the trade of at least 1 year. Desirable:— Industrial Training Institute Certificate in Hand Composing and Proof Reading.
46. Process Cameraman.	One	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Selection).	Rs. 210-10-290 15-320-EB-15-425.	Selection	Between 21-30 years.	Essential:— (i) Academic: Matriculation or equivalent with Physics and Chemistry (ii) Technical: Experience in Operating and Maintenance of Process Camera for not less than 3 years. Desirable:— (i) Diploma in Commercial Art from recognised Institute. (ii) Experience in handling still and movie cameras.

8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By direct recruitment	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Not applicable.	2 years.	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
No.	2 years.	By Promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion:— Copy Holder with not less than 5 years service in the grade in the Unit	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By transfer failing which by direct recruitment.	On the result of a departmental test designed to adjudge suitability for the post from amongst the regular Class IV employees in the Unit possessing the qualifications in Col. 7.	Not applicable.	Not applicable.
No.	2 years.	Promotion, failing which by direct recruitment.	Promotion:— Bromide Printer/Dark Room Assistant with 5 years service in the grade in the Unit.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
47. Junior Technical Assistant (i) Audio Visual Mobile Van. (ii) Closed Circuit Television/ Audio Visual Unit.	Two Five	General Central Service. Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Non-selection	Between 21-30 years	Essential:— (i) Academic: Matriculation or equivalent with Mathematics and science. (ii) Technical: National Certificate in Radio or Television. OR National Apprenticeship Certificate in Radio or Television. OR Apprenticeship in Radio or Television in an Industrial concern for a period of not less than 3 years. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in Electronics or Electrical Engineering trades. OR Diploma in Electronics or Electrical Engineering. (iii) Practical Experience:— Not less than 5 years, including the training period as shown in (ii) above. Desirable:— (i) Instructors training Certificate in Electronics or Radio or Television from the Central Training Institute for Instructors. (ii) Knowledge and experience of operating Audio Visual/Television equipment. (iii) Permanent driving licence for light and medium vehicles. (iv) Knowledge and experience of Photography. (v) Experience of working on sound projections.

8	9	10	11	12	13
Age No Qualifications-Yes.	2 years.	By promotion, failing which by transfer, failing which by direct recruitment.	Promotion:— (a) Driver-cum-Generator Attendant with not less than 10 years service in the grade in the unit. (b) Transfer: Officers holding analogous or equivalent posts in other Centrl Government offices who possess the qualifications prescribed in col. 7.	Class III Departmental Promotion committee.	Not applicable."

[No. DGET-53/7/74-AP]

सा० का० नि० 826.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय कलकत्ता स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमो का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (कलकत्ता स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान के एकक) वर्ग-3 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे ।

2 प्रशिक्षण निदेशालय (कलकत्ता स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एव उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान , केन्द्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसधान संस्थान – तथा क्षेत्रीय शिक्षता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची मे मद 44 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टिया जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"45. कनिष्ठ तकनीकी सहायक दृश्य श्रव्य मोबाइल वेन	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320 -द०रो०-15-425 रु०	प्रचयन	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य : (क) मौलिक गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (ख) तकनीकी:—रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र या किसी प्रौद्योगिक सस्थान में रेडियो या टेलीविजन मे कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता या रेडियो या टेलीविजन मे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या रक्षा सेवाओ के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी व्यवसाय मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो। या इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा । (ग) व्यावहारिक अनुभव : उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । वांछनीय:—(i) केन्द्रीय अनुदेश प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रोनिकी या रेडियो या टेलीविजन में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र । (ii) दृश्य-श्रव्य/टेलीविजन यंत्रो के प्रयोग का ज्ञान और अनुभव । (iii) हल्की और मध्यम गाड़ियों को चलाने के लिए स्थाई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) । (iv) फोटोग्राफी का ज्ञान और अनुभव । (v) साउण्ड प्रोजेक्शनों मे काम करने का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं योग्यताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	(क) प्रोन्नति :—ड्राइवर एवं जेनरेटर परिचर और एकक में ग्रेड में कम से कम 10 वर्ष की सेवा । (ख) स्थानान्तरण :—अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश या समकक्ष पद धारण करने वाले स्तम्भ-7 में निर्धारित योग्यताओ वाले अधिकारी ।	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

[सं० डी० जी० ई० टी–49/24/68–ए०पी०(1)]

G. S. R. 826.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate Training, (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached the reto; the Central Staff Training and Research Institute; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Calcutta).

Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; the Central Staff Training and Research Institute; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training of Calcutta),

Class III posts Recruitment Rules, 1974, after item 44 and the entries relating thereto the following items and entries shall be inserted namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"45. Junior Technical Assistant. Audio Visual Mobile Van.	2	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial)	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Non-Selection.	Between 21—30 years.	Essential : (a) Academic—Matriculation or equivalent with Mathematics and Science. (b) Technical :—National Certificate in Radio or Television. OR Apprenticeship in Radio orl Television in an industria concern for a period not less less than 3 years. OR National Apprenticeship Certificates in Radio or Television. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years service in Electronics or Electrical Engineering trades. OR Diploma in Electronic or Electrical Engineering. (c) Practical experience :—Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. / Desirable : Instructors Training, Certificate in Electronics or Radio or Television from the Central Training Institute for Instructors. (ii) Knowledge and experience of operating Audio Visual/ Television equipment. (iii) Permanent driving licence for light and medium vehicles, (iv) Knowledge and Experience of Photography. (v) Experience of working on Sound Projections.

8	9	10	11	12	13
Age—No Qualifications—Yes.	Two years.	By promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment	(a) Promotion :—Driver-cum- Generator Attendant with not less than 10 years service in the grade in the Unit. (b) Transfer : Officers holding analogous or equivalent posts in other Central Government Offices who possess the qualifications prescribed in column 7.	Class III Departmental Promotion Committee.	No applicable."

[No. DGET-49/24/68-AP(i)]

सा० का० नि० 827.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशिक्षण निदेशालय (मुम्बई स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (मुम्बई स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय के एकक) वर्ग-3 पद भर्ती (संशोधन) नियम 1975 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (मुम्बई स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में मद 34 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां को जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

1	2	3	4	5	6	7
"35 कनिष्ठ तकनीकी सहायक दृश्य-श्रव्य मोबाइल वैन	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 (अराजपत्रित, अननुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो० 15-425 रु०	अचयन	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य.—(क) शैक्षिक गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (ख) तकनीकी :—रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या किसी औद्योगिक संस्थान मे रेडियो या टेलीविजन में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता या रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र या रक्षा सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी व्यवसाय मे कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो । या इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा । (ग) व्यावहारिक अनुभव : उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम 5 वर्ष का अनुभव वांछनीय.—(i) केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान मे इलेक्ट्रोनिकी या रेडियो या टेलीविजन मे अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र । (ii) दृश्य-श्रव्य/टेलीविजन यंत्रों के प्रयोग का ज्ञान और अनुभव । (iii) हल्की और मध्यम गाड़ियों को चलाने के लिए स्थाई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) । (iv) फोटोग्राफी का ज्ञान और अनुभव (v) साउन्ड प्रोजेक्शनों में काम करने का अनुभव ।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं योग्यताएं : हां	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) प्रोन्नति : ड्राइवर एवं जेनरेटर परिचर और एकक में ग्रेड में कम से कम 10 वर्ष की सेवा। (ख) स्थानान्तरण : अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश या समकक्ष पद धारण करने वाले स्तम्भ-7 में निर्धारित योग्यताओं वाले अधिकारी।	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता"

[सं० डीजीईटी-49/24/68-ए०पी०(2)]

G. S. R. 827.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional directorate of Apprenticeship Training at Bombay (Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay).

Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Training Institute attached thereto; and the Regional Directorate of Apprenticeship Training at Bombay,

Class III posts Recruitment Rules, 1974, after item 34 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted namely :

1	2	3	4	5	6	7
"35. Junior Technical Assistant. Audio Visual Mobile Van.	2	General Central Service, Class III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15—425.	Non-Selection.	Between 21—30 years.	Essential : (a) Academic—Matriculation or equivalent with Mathematics and Science. (b) Technical—National Certificate in Radio or Television. OR Apprenticeship in Radio or Television in an industrial concern for a perio not less than 3 years. OR National Apprenticeship Certificate in Radio or Television. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years' service in Electronics or Electrical Engineering trades. OR Diploma in Electronics or Electrical Engineering. (c) Practical experience :—Not less than 5 years including the training period as shown in (b) above. Desirable : (i) Instructors Training Certificate in Electronics or Radio or Television from the Central Training Institute for Instructors. (ii) Knowledge experience of operating Audio Visual/ Television Equipment. (iii) Permanent driving licence for light medium vehicles. (iv) Knowledge and Experience of Photography. (v) Experience of working on Sound Projections.

8	9	10	11	12	13
Age No Qualifications—Yes.	Two years	By promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	(a) Promotion : Driver-cum-Generator Attendant with not less than 10 years' service in the grade in the Unit. (b) Transfer : Officers holding analogous or equivalent posts in other Central Government offices who possess the qualifications prescribed in column 7.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable."

[No. DGET-49/24/68-AP (ii)]

सा०का०नि० 828.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय ; और उच्च प्रशिक्षण संस्थान के एकक) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय ; और उच्च प्रशिक्षण संस्थान के एकक वर्ग-3 पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1975 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रशिक्षण निदेशालय (मद्रास स्थित केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान एवं उससे सम्बद्ध आदर्श प्रशिक्षण संस्थान ; क्षेत्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय ; और उच्च प्रशिक्षण संस्थान) वर्ग-3 पद भर्ती नियम, 1974 की अनुसूची में मद 33 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"34 कनिष्ठ तकनीकी सहायक दृश्य-श्रव्य मोबाइल वैन	2	साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 (अराजपत्रित, अनुसचिवीय)	210-10-290-15-320-द०रो०-15 425 रु०	अधयन	21-30 वर्ष के बीच	अनिवार्य:— (क) शैक्षिक : गणित और विज्ञान के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष । (ख) तकनीकी : रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र या किसी औद्योगिक संस्थान में रेडियो या टेलीविजन में कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता या रेडियो या टेलीविजन में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र या रक्षा सेवाओं के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी व्यवसाय में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो । या इलेक्ट्रोनिकी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा । (ग) व्यावहारिक अनुभव : उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम 5 वर्ष का अनुभव

					वांछनीय : (i) केन्द्रीय अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रॉनिकी, या रेडियो या टेलीविजन में अनुदेशक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र । (ii) दृश्य-श्रव्य/टेलीविजन यंत्रों प्रयोग का ज्ञान और अनुभव । (iii) हल्की और माध्यम गाड़ियो चलाने के लिए स्थाई अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) । (iv) फोटोग्राफी का ज्ञान और अनुभव (v) साउन्ड प्रोजेक्शनो में काम करने का अनुभव ।
8	9	10	11	12	13
आयु : नही योग्यता : हा	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	(क) प्रोन्नति : ड्राइवर एवं जनरेटर परिचर और एकक में ग्रेड में कम से कम 10 वर्ष की सेवा (ख) स्थानान्तरण : अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में सदृश या समकक्ष पद धारण करने वाले स्तम्भ-7 में निर्धारित योग्यताओं वाले अधिकारी ।	वर्ग-तीन विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

[सं० डी०जी०ई०टी० 49/24/68-ए०पी०(3)

ग० जगन्नाथ, उप-सचि

G.S.R. 828.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President heret makes the following rules further to amend the Directorate of Training, (the Unit of the Central Training Institute for Instructo and the Model Training Institute attached there to; the Regional Directorate of Apprenticeship Training; and the Advanced Trainir Institute at Madras) Class III posts Recruitment Rules, 1974, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Mod Training Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training; and the Advanced Training Institute at Madras)

Class III posts Recruitment (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Training (the Unit of the Central Training Institute for Instructors and the Model Traini Institute attached thereto; the Regional Directorate of Apprenticeship Training; and the Advanced Training Institute at Madras).

Class III posts Recruitment Rules, 1974, after item 33 and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserte namely :—

1	2	3	4	5	6	7
"34. Junior Technical Assistant Audio Visual Mobile Van.	2	General Central Service, Class-III, (Non-Gazetted, Non-Ministerial).	Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425.	Non-Selection.	Between 21—30 years.	Essential : (a) Academic—Matriculation or equivalent with Mathematic and Science. (b) Technical—National Certificate in Radio or Television. OR Apprenticeship in Radio or Television in an industrial concern for a period not less than 3 years. OR National Apprenticeship Certificate in Radio or Television. OR Persons from Defence Services with not less than 3 years' service in Electronics or Electrical Engineering trades. OR Diploma Electronics or Electrical Engineering. (c) Practical experience :—Not less than 5 years' including the training period as shown in (b) above. Desirable : (i) Instructors Training Certificate in Electronics or Radio or Television from the Central Training Institute for Instructors. (ii) Knowledge and experience of operating Audio Visual/ Television equipment. (iii) Permanent Driving licence for light and medium vehicles. (iv) Knowledge and experience of Photography. (v) Experience of working on Sound Projections.

8	9	10	11	12	13
-No Qualifications Yes.	Two years	By promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment	(a) Promotion : Driver-cum-Generator Attendant with not less than 10 years' service in the grade in the Unit. (b) Transfer : Officers holding analogous or equivalent posts in other Central Government offices who possess the qualifications prescribed in column 7.	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable."

[No. DGET-49/24/68-AP (iii)]

G. JAGANNATHAN, Dy. Secy.

खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, 18 जून, 1975

सा. का. नि. 829.—धातुत्पादक खान विनियमावली, 1961 के विनियम 148 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य खान निरीक्षक की हैसीयत से मैं प्रकाश प्रमापों का प्रकाश एवं संतुलनों का संलग्न परिशिष्ट में निर्दिष्ट करता हूं जो ओपनकास्ट खानों के भिन्न-भिन्न स्थानों या क्षेत्रों में कार्यकाल अवधि में उपलब्ध होना चाहिये जहां स्वाभाविक प्रकाश अपर्याप्त है।

परन्तु, जहां अधोहस्ताक्षरी का मत हो कि किसी खान की अवस्था ऐसी नहीं है कि इस अधिसूचना में निर्दिष्ट किये गये प्रमाप पर्याप्त रूप से व्यवहारगम्य हो या आवश्यक हो तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे खान को इस अधिसूचना के पालन से इस आदेश में लागू किये गये प्रतिबन्धों को आरोपित करते हुए विमुक्त कर सकता है।

परिशिष्ट

क्रम संख्या	प्रकाश का स्थान/क्षेत्र	प्रकाशित करने का प्रकार	प्रकाश का न्यूनतम प्रमाप	समतल जहां प्रकाश की व्यवस्था करनी है
1	2	3	4	5
1.	सामान्य कार्यक्षेत्र जो मैनेजर द्वारा लिखित रूप से निर्धारित किया गया हो।	—	0.2 लक्स	समतल प्रकाशित किया जाये।
2	भारी मशीनों का कार्य स्थान	जिससे मशीन संचालन की गहराई और ऊंचाई आच्छादित हो।	5.0 लक्स 10.0 लक्स	क्षैतिज उदग्र
3.	ड्रिलिंगकार्य क्षेत्र	खनक की पूरी ऊंचाई का प्रकाशित करना।	10.0 लक्स	उदग्र
4.	बुलडोजरों या ट्रैक्टर आरूढ़ मशीनों का कार्य क्षेत्र	—	10.0 लक्स	काउलर टैक्स समतल पर
5	हस्तकर्म किये जाने वाले स्थान	जिस क्षेत्र पर ऐसा काम किया जाता है उसी समतल पर प्रकाश दिया जाय।	5.0 लक्स 10.0 लक्स	क्षैतिज उदग्र
6	वे स्थान जहां डम्पर, ट्रक, या ट्रेन आदि का उदभरण, अवतारण या स्थानान्तरण उदभरण किया जाता है।	—	3.0 लक्स	क्षैतिज
7.	चालक की मशीन या मन्यन्यास की कोष्ठिका	मशीन की सतह से 0 8 मीटर की ऊंचाई तक प्रकाश पहुंचाना।	30 0 लक्स	क्षैतिज
8.	कोन्वेयर बेल्ट के हैन्ड पिकिंग स्थान पर।	पिकर से कम से कम 1–5 मीटर की दूरी तक प्रकाश पहुंचाना।	50.0 लक्स	कोन्वेयर बेल्ट की तरह पर।
9	ट्रक हालेज रोड	रोड की सतह पर	0.5 से 3.0 लक्स तक	क्षैतिज
10	पिट के अन्दर रेल हालेज ट्रक	रेल हेड की सतह पर	0.5 लक्स	क्षैतिज
11.	एक बेन्च से दूसरी बेन्च तक की सड़क एवं फुट पाथ।	—	3 0 लक्स	क्षैतिज
12.	कर्मचारियों के व्यवहार के लिये स्थायी रास्ते।	—	1.0 लक्स	क्षैतिज

[सं. 32(41)/74-जेनरल/9695]

श्याम शिव प्रसाद, मुख्य खान निरीक्षक

(Director-General of Mines Safety)

Dhanbad, the 18th June, 1975

G.S.R. 829.—In exercise of the powers conferred on me, as the Chief Inspector of Mines, under clause (b) of sub-regulation (2) of Regulation 148 of Metalliferous Mines Regulations 1961, I hereby, specify, the standards of lighting to be provided during working hours at different places or areas where natural light is insufficient in opencast mines in the manner and at the level indicated in the Appendix annexed hereto:

Provided that where the undersigned is of the opinion that conditions obtaining at any mine are such as to render compliance with the standards specified in this notification not reasonably practicable or not necessary, he may by an order in writing exempt such mine from the compliance of this notification subject to such conditions as may be imposed in such order.

APPENDIX

Sl. No.	Place/Area to be illuminated	Manner in which it is to be illuminated	Minimum standard of illumination	Plane/Level in which the illumination is to be provided
1	2	3	4	5
1.	General working Areas as determined by the Manager in writing.	—	0.2 Lux	At the level of the surface to be illuminated.
2.	Work place of Heavy Machinery .	So as to cover the depth and height through which the machinery operates.	5.0 Lux 10.0 Lux	Horizontal. Vertical.
3.	Area where drilling rig works . .	So as to illuminate the full height of the rig.	10.0 Lux	Vertical.
4.	Area where Bulldozer or other tractor mounted machine works.	—	10.0 Lux	At level of the Crawler tracks.
5.	Places where manual work is done .	To be provided at level of the surface on which such work is done.	5.0 Lux 10.0 Lux	Horizontal. Vertical.
6.	Places where loading, unloading or transfer loading of Dumpers, trucks or train is carried on.	—	3.0 Lux	Horizontal.
7.	Operator's cabins of machines or mechanisms.	To be provided upto a height of 0.8 metres from floor level.	30.0 Lux	Horizontal.
8.	At hand picking points along a conveyor belt.	To be provided upto a distance of not less than 1.5 metres from the picker.	50.0 Lux	On the surface of the conveyor belt.
9.	Truck haulage Roads . . .	To be provided at level of the road.	0.5 to 3.0 Lux	Horizontal.
10.	Rail haulage track in the pit . .	To be provided at level of the rail heads.	0.5 Lux	Horizontal.
11.	Roadways and footpaths from bench to bench.	—	3.0 Lux	Horizontal.
12.	Permanent paths for use of persons employed etc.	—	1.0 Lux	Horizontal.

[No. 32(41)/74-Genl/9695]

S. S. PRASAD, Chief Inspector of Mines

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975